खण्ड-146, अंक-1
सोमवार, 22 अग्रहायण, शक संवत् 1876
(13 दिसम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 146 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६७)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
(बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री
(सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महवीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नी लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्र दत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रावदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामपसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी , श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
बासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली, श्री
शिवराज सिंह ,यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द्र, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री

सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जिला पूर्ति अधिकारियों के सम्बन्ध में परिप्रश्न

**१—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पूर्ति अधिकारियों का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९५४ के आगे भी बढ़ाया जाने वाला है अथवा नहीं? यदि हां, तो कब तक के लिये यह वृद्धि की जा रही है?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—इन पदों का कार्यकाल अभी ३१ दिसम्बर, १९५४ ई० तक ही है। संभव है कि कार्यकाल और बढ़ाया जाय। किन्तु अवधि के बारे में अभी निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता।

**२—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया है कि जिला पूर्ति अधिकारियों को जिला नियोजन अधिकारी का काम सौंप दिया जाय और इस प्रकार उनको बेकार होने से बचाया जाय?

श्री बनारसी दास—ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय सप्लाई अफसरों के पास क्या-क्या काम हैं?

श्री बनारसी दास—सप्लाई का और रेंट कंट्रोल का ही काम है और कहीं-कहीं इवाकुई प्रापर्टी का भी काम है।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ व २ श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय ने पूछे।

श्री बसन्तलाल शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि काम की कमी के कारण यह अधिकारी ज्यादातर समय बेकार बैठे-बैठे ही खोते हैं ?

श्री बनारसी दास---ऐसा तो नहीं है । उनका स्टाफ काफी कम हो गया है । जहां तक सप्लाई अफसरों का सवाल है उनके पास काफी काम है और कई वस्तुओं के लाइसेंस भी उनको इश्यू करने पड़ते हैं ।

श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कुल कितने कर्मचारी होंगे कि जिनका कार्यकाल ३१ दिसम्बर को समाप्त हो जाने वाला है ?

श्री बनारसी दास---इस वक्त तक जितने भी अफसर हैं, प्रत्येक जिले में एक-एक सप्लाई अफसर होता है, उन सब का कार्यकाल खत्म हो जायगा ३१ दिसम्बर को जब तक कि उसको बढ़ाया नहीं जाता ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितने भी सप्लाई अफसर आज कल हमारे प्रदेश में हैं उन सब के पास एक-एक पिक अप गाड़ी भी है ?

श्री बनारसी दास---जी नहीं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---कितने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसरों के पास पिक-अप है ?

श्री बनारसी दास---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । लेकिन ज्यादा जिलों में पिक-अप नहीं है ।

सीरदार अधिवासियों द्वारा मालगुजारी अदा करने का तरीका

**३---श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कपा करेगी कि उसकी ओर से कोई आदेश इस आशय का जारी किया गया है कि ३० अक्तूबर, सन् १९५४ के बाद से अधिवासी जो सीरदार मान लिये गये हैं, उनसे सरकार स्वयं मालगुजारी वसूल करेगी ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है परन्तु धारा २४०-क के अन्तर्गत ३० अक्तूबर को विज्ञप्ति जारी की गई है जिसके परिणामस्वरूप २४०-ख के उपखंड (ख) के अनुसार अधिवासी को बाबत १३६२ फसली अपने क्षेत्रपति को देय लगान का २/३ बतौर मालगुजारी सरकार को ही अदा करना पड़ेगा और १३६३ फसली से पूरी मालगुजारी ऐसे सीरदार द्वारा सरकार को देय होगी ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कोई ऐसा आदेश जिलों में भेजा है कि अब अधिवासी के वह कागज दुरुस्त कर दिये जायं और उनके मौरूसी के खाने में खतौनी में दर्ज कर दिया जाय ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---सीरदार तो वह सब हो ही गये । कानून से हो गये और लैंड रिफार्म्स कमिश्नर के यहां से इस किस्म का आदेश जरूर जारी हुआ होगा और अगर नहीं हुआ होगा तो हो जायगा । गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म का कोई आर्डर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐक्ट में ऐसा हो गया है ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार स्वयं मालगुजारी कब से वसूल करना शुरू कर देगी ?

श्री चरण सिंह---१३६२ में एक बटे तीन मालगुजारी क्योंकि ४ महीने पहले वह लैंड होल्डर्स का हक रहा इसलिये वह हक पुराने लैंड होल्डर्स ही पाने के मुस्तहक होंगे और जो अब मालगुजारी उनको देनी होगी उसके सिलसिले में कागजात बन्दोबस्त के देखने होंगे, क्योंकि परती का लगान दुगने से ज्यादा दे रहे हैं तो जितना ज्यादा है वह वापस करना होगा और उसमें कई महीने लगेंगे। इस फसल में जो दो महीने बाकी हैं अभी तो जमींदार वसूल करेगा। जो कि गवर्नमेंट का वसूल करना था खरीफ में वह इस वक्त वसूल नहीं करेगी और जब लगान घट जायगा तो अगली फसल रबी और खरीफ का दोनों का वसूल करेगी, यानी खरीफ का एक बटे तीन।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अगर अधिवासियों से जो सीरदार बन गये हैं उनके असल काश्तकारों ने उनसे इधर जो पूरा लगान वसूल कर लिया या वसूल कर लेंगे तो उनके संबंध में क्या कोई कार्यवाही की जायगी ?

श्री चरण सिंह---वह अपने वापस करने का दावा दायर खुद करें। गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती। ३० अक्तूबर से जब उनका हक लैंड होल्डर्स का नहीं रहा और लगान देते हैं तो उनकी गलती है, तब तक तो ड्यू भी नहीं हुआ था।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस निश्चय का कि एक बटे तीन काश्तकारों को मिलेगा और दो बटे तीन सरकार को मिलेगा, इसका प्रचार करने के लिये क्या कार्य किया गया सरकार की ओर से ?

श्री चरण सिंह---३० अक्तूबर को गजट हुआ है। इस कानून का नतीजा यह हुआ कि चार महीने तक लैंड होल्डर्स कायम रहें। रही प्रचार की बात तो पंचायत राज पत्रिका में इस तरह का एक छोटा सा लेख निकलवा दिया जायगा, अखबारों में भी निकलवा दिया जायगा। लेकिन हमारे गांव वाले ९० प्रतिशत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिये प्रचार की सब जिम्मेदारी मेरे लायक दोस्तों पर ही पड़ेगी।

तारांकित प्रश्न

*१-२---**श्री राम सुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)---[हटा दिये गये।]

मऊनाथभंजन एव मधुबन बस स्टेशनों की निर्माण योजना

*३---**श्री राम सुन्दर पाण्डेय**---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ भंजन एवं मधुबन (आजमगढ़) बस स्टेशन के निर्माण का सरकार विचार कर रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में उन स्टेशनों के निर्माण के लिये कोई सहायता दी जाने वाली है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मऊनाथ भंजन में जमीन ली जा रही है मगर उसके लिये अभी रुपया नहीं जमा हो सका है। अगर यह जमीन मिल गयी तो सन् १९५५-५६ में यहां बस स्टेशन बन जायगा और मधुबन में कुछ जमीन ली जा रही है, उसके लिये कलेक्टर को लिखा जा रहा है। मिलने के बाद शायद सन् १९५६-५७ में बस स्टेशन बन जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों बस स्टेशनों के निर्माण का तखमीना लगाया गया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---अभी तखमीना लगाने का सवाल उठा नहीं है।

*४–६––श्री बलवन्त सिंह––[३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*७–९––श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)––[३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०–१२––श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––[२३ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या १२–१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१३–१५––श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)––[१० जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

विन्ध्य प्रदेश की पुलिस का प्रदेशीय बसों को रोक कर टैक्स लेना

*१६––श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)––क्या सरकार को पता है कि विन्ध्य प्रदेश की पुलिस झांसी जिले की प्रदेशीय व केंद्रीय सरकार की कुछ सड़कों से गुजरने वाली बसों व ठेलों को रोक कर तथा ड्राइवर आदि को गिरफ्तार करके उनके मालिकों को उसके प्रदेश से भी परमिट लेने के लिये विवश करती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा––जी हां।

*१७––श्री लक्ष्मणराव कदम––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा––अब तक इस State में Dowble Taxation Policy के अन्तर्गत जो दीगर स्टेटों के आपरेटर इस स्टेट में किराये पर मोटर चलाते थे उनसे इस स्टेट की दर से पूरा टैक्स लिया जाता था। इसलिये और स्टेटों के अधिकारी हमारी स्टेट की गाड़ियों से पूरा टैक्स लेने की कोशिश करते थे इसी वजह से विन्ध्य प्रदेश के अधिकारी हमारी स्टेट की बसों को जो उनके क्षेत्र में जाती थी रोक कर टैक्स वसूल करने की कोशिश करते थे। अब इस प्रदेश में Level point Taxation Policy अख्तियार की जाने वाली है जिसके अन्तर्गत दूसरे प्रदेशों की जो मोटरें किराये पर चलने इस प्रदेश में आयेंगी उनसे उनकी स्टेट के और इस स्टेट के टैक्स की दर में जो फरक होगा वही लिया जायगा। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो दूसरे स्टेट वाले भी हमारी बसों से दोनों प्रदेशों के टैक्सों में जो अन्तर होगा टैक्स के रूप में लेंगे। इसके लिये कोशिश की जावेगी।

श्री लक्ष्मण राव कदम––क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विन्ध्य प्रदेश की पुलिस की उक्त कार्यवाहियां कब से जारी हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा––जिस समय से हम लोगों ने दोनों तरफ का टैक्स लेना शुरू किया है। करीब-करीब एक साल इस झगड़े को हो गया है।

श्री लक्ष्मण राव कदम––क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मामला कब तक तय हो जायगा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा––उम्मीद है कि ४–५ महीने के अन्दर शायद यह झगड़ा खत्म हो जाय।

*१८–१९––श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)––[१० जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

मत्स्य संवर्धन योजना के अन्तर्गत हमीरपूर जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

*२०--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला हमीरपुर में मत्स्य संवर्धन योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारी किस-किस Catagory के पिछले दो वर्षों में रक्खे गये हैं और उनमें अनुसूचित (Scheduld Castes) और पिछड़ी जातियों की क्या संख्या है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--पिछले २ वर्षों में मत्स्य योजना के अन्तर्गत हमीरपुर जिले में २ मल्लाह रखे गये हैं । दोनों मल्लाह पिछड़ी जातियों के हैं ?

*२१--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि इन कर्मचारियों की न्यूनतम योग्यतायें क्या हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--नाव खेना, तैरना, जाल बनाना, घुमौवा जाल फेंकना डुबकी लगाना।

*२२--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि जिले के किन किन तालाबों में इस योजना को लागू किया गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--तालाबों की सूची नीचे दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१ पर)

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इसम जो तालाब दिये हुए हैं उनमें से बहुत से ऐसे तालाब हैं जिनका पट्टा हो गया है, उनमें खेती होती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य सूचना देंगे तो मैं पता लगाऊंगा और कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिन तालाबों का मत्स्य संवर्धन हो रहा है उन तालाबों में जो सिंघाड़ा है उसकी खेती नहीं होती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यदि किसी विशेष तालाब की ओर माननीय सदस्य ध्यान दिलायेंगे तो उसको देखेंगे ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो तालाब हैं, गांव समाज में हैं या गवर्नमेंट के हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह गवर्नमेंट के मातहत हैं।

बांदा जिले के अन्तगर्त मानिकपुर में गोसदन तथा करवी और मऊ में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने में कठिनाइयां

*२३--श्री जगपति सिंह (जिला बांदा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार मानिकपुर जिला बांदा के समीप लूले-लंगड़े और बूढ़े पशुओं के लिये गोसदन खोलने को सोचती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इस समय यहां पर गोसदन खोलने का कोई विचार नहीं है ?

*२४--श्री जगपति सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार करवी तथा मऊ ऐसे उचित स्थानों में कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था करके नस्ल सुधारने को सोचती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--वर्तमान वर्ष में विभाग द्वारा करवी अथवा मऊ में कोई भी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने की योजना नहीं है।

नोट--तारांकित प्रश्न २३ व २४ श्री बसन्त लाल शर्मा ने पूछे।

श्री बसन्त लाल शर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोसदन खोलने का प्रश्न सरकार किस आधार के ऊपर विचार करती है ?

श्री चरण सिंह---इस आधार पर कि वहां १२ महीने नहीं तो ११ महीने के लिये चारा मिल सके जिस जगह पर गोसदन खोला जाय। क्योंकि बाहर से चारा खरीद कर भिजवाना असम्भव बात है। फिर यह कि पानी का भी इन्तजाम वहां हो। यदि पास में जो एकोनोमिक कैटिल हैं उनकी संख्या ज्यादा नहीं है और अगर वह चारा उनके काम में पहले से आ रहा है तो उस जगह अनएकोनोमिक कैटिल के लिये जमीन रिजर्व कर देना मुनासिब न होगा। यही आधार है। दो खोले जा चुके हैं और जितने जानवरों की संख्या होनी चाहिये थी वहां उतनी नहीं हैं और ६ गोसदन खोलने का प्रस्ताव सदन के सामने बजट के सिलसिले में आ जायगा।

खीरी जिले के रहेरिया ग्राम में बस स्टेशन खोलने का विचार

*२५---**श्री राम भजन शर्मा** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोहम्मदी गोला (खीरी) के अन्तर्गत ग्राम रहेरिया में जो कि इर्द-गिर्द ग्रामों का केन्द्र तथा प्रमुख स्थान है, वह बस स्टेशन खोलने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--- जी नहीं।

मेरठ जिले में टिड्डियों से फसल को हानि

*२६---**श्री रघुबीर सिंह** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला मेरठ के कितने गांवों में टिड्डी के आने से फसल खरीफ़ को नुकसान पहुंचा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मेरठ जिले के २४१ गांवों में टिड्डियों का आक्रमण हुआ जिनमें हापुड़ तहसील के १२३ तथा सरधना तहसील के १४ गांवों में ज्वार और मक्का की नई बोई हुई फसल तथा गन्ने को कुछ नुकसान हुआ। अन्य गांवों के पूरे आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन किसानों के खेतों में टिड्डियों के द्वारा हानि हुई है उन्हें कोई सरकारी सहायता दी गई है अथवा नहीं ?

श्री चरण सिंह---जब आठ आने से ज्यादा नुकसान हो तब देने का सवाल उठता है वरना नहीं और ऐसा हुआ नहीं है।

श्री हरि सिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि टिड्डियों के द्वारा हापुड़ तहसील में खेतों में जो फसलें थीं उनको बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया ?

श्री चरण सिंह---ऐसा नष्ट-भ्रष्ट नहीं किया गया कि जिससे मालगुजारी में छूट देने की नौबत आये।

श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि गाजियाबाद और बागपत के पश्चिमी हिस्से में टिड्डियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया ?

श्री चरण सिंह---जी हां। यह गवर्नमेंट को मालूम है कि इस साल मेरठ जिले में सब से ज्यादा नुकसान हुआ और गाजियाबाद और बागपत में भी मेरठ जिले की

नोट---तारांकित प्रश्न २६ श्री हरिसिंह ने पूछा।

और तहसीलों की अपेक्षा ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन यह ज्यादा और सब से ज्यादा नुकसान भी आठ आने की हद तक नहीं पहुंचा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अन्य गांवों के आंकड़े अब तक आने में सरकार को क्या कठिनाई रही?

श्री चरण सिंह---कठिनाई तो कुछ भी नहीं रही। जिलाधीश के यहां से आये नहीं।

आजमगढ़ जिले में बाढ़-पीड़ितों के सहायतार्थ कार्य

*२७---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं और अब तक उन पर कितना व्यय हो चुका है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जिला आजमगढ़ में बाढ़-पीड़ितों के सहायतार्थ जो कार्य किये गये या किये जा रहे हैं उनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७२ पर।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि इन ८० नावों में से कितनी ऐसी नावें थीं जोकि सरकार की सहायता प्राप्त करके बनी थीं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता ह।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सही है कि आजमगढ़, देवरिया और गोंडा के टैस्ट वर्क पर मजदूरी में अन्तर है?

श्री चरण सिंह---जिन्स के भाव के अनुपात से अन्तर हो सकता है क्योंकि जो मजदूरी दी जाती है टेस्ट वर्क्स पर, रुपया, आना, पाई की कोई निश्चत दर नहीं होती बल्कि गल्ले की दर है। और गल्ले के भाव के अनुपात से मजदूरी में अन्तर हो सकता है, मुख्तलिफ जिलों में।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चना, गुड़, नमक तेल और १५ सौ गज कपड़ा जो मुफ्त दिये गये हैं वह कुल कितने रुपये के थे?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---७५३ मन चना, १५ मन गुड़, ४० मन नमक, ४५ टिन मिट्टी का तेल, और २०५ दर्जन दियासलाई के बक्स दिये गये। इसकी कीमत लगा लें। कीमत तो है नहीं मेरे पास।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो सहायता दी गयी है वह मुख्य-मुख्य क्या है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जो लिस्ट दे दी गयी ह उसमें तो विवरण के साथ दे दिया गया है। वह माननीय सदस्य रामसुन्दर जी से देख लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जो चर्खा देने की सरकार की योजना है सिगड़ी तहसील के रोनापार क्षेत्र में वे अभी तक नहीं बांटे गये हैं और ज्यों के त्यों पड़े हुये हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---३,५०० चर्खे जिलधीश को दे दिये गये हैं और घोसी तहसील के मधुबन क्षेत्र में तो कताई का काम भी शुरु कर दिया गया है।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या मंत्री महोदय मेहरबानी करके बतलायेंगे कि जो कताई का काम शुरू किया गया है उसमें कितना सूत काता जाता है और कितने लोगों ने कताई का काम शुरू किया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--नोटिस चाहिये।

आजमगढ़ जिले में बाढ़ से क्षति

*२८-- श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में किन-किन नदियों की बाढ़ से कितनी जन संख्या इस वर्ष पीड़ित हुई है और कितने वर्ग मील नुकसान हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :--

नदियों का नाम जिनमें बाढ़ आई	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित क्षेत्रफल
घाघरा	१,६५,०००	१४५ वर्ग मील
टोंस तथा अन्य छोटी नदियां जैसे कुंअर, बेसू, कयाड मगई, छोटी सरयू, भैंसई व सुकसुई आदि .	६०,०००	५० वर्ग मील
कुल योग ..	२,२५,०००	१९५ वर्ग मील

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि २९५ वर्ग मील में कितने का नुकसान हुआ होगा ?

श्री अध्यक्ष--माननीय जगपति सिंह जी, आप कृपा करके शान्ति से बैठिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनके बसाने, रहने के लिये मकान और खेती-बाड़ी इत्यादि का कुछ प्रबन्ध हुआ है ?

श्री चरण सिंह--जितनी सहायता जिले में दी गई है वह पहले प्रश्नों के उत्तर में बतलाया जा चुका है। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मुहय्या करना बड़ा मुश्किल काम है। १० हजार एकड़ जमीन तोड़ने की एक योजना है लखीमपुर की ओर। अगर उस योजना के लिये रुपया मिल गया तो १,००० भूमिहीन लोगों को वहां बसाया जायगा और प्रायरिटी उनको दी जायगी जिनकी भूमि बाढ़ में नदियों के द्वारा कट गई।

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री को पता है कि आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के किनारे पर ९ हजार एकड़ जमीन खाली पड़ी है जिसका नक्शा वगैरह कुछ नहीं बना है ?

श्री चरण सिंह--मुझे कोई इल्म नहीं है।

*२९-३१--श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--[३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

चकबन्दी से संबंधित असिस्टेंट कन्सालिडेशन आफिसर्स की नियुक्तियां

*३२--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी के सिलसिले में इस वर्ष कितने असिस्टेंट कन्सालीडेशन आफिसर्स की नियुक्तियां होने जा रही हैं और उनकी योग्यतायें क्या होंगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--चकबन्दी का कार्य इस वर्ष २ जिलों में आरम्भ किया गया है। इन दो जिलों के लिये अब तक सरकार ने ३२ असिस्टेंट कन्सालिडेशन आफिसर्स की नियुक्तियां की हैं। अन्य १४ जिलों में कार्य अगले वर्ष प्रारम्भ किया जायगा और इन जिलों के लिये लगभग २८० असिस्टेंट कन्सालिडेशन आफिसर्स की नियुक्तियां की जायंगी। उनका चुनाव सम्बद्ध सूची में दी हुई श्रेणियों में से किया जायगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७३ पर।)

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि इन श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने-कितने अफसर नियुक्त किय जायंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जवाब में कहा गया है कि अभी पूरा जो प्रत्येक श्रेणी का विवरण है वह है नहीं और वह अभी तैयार हो रहा है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि चकबन्दी का कार्य जो दो जिलों में हो रहा है, वह कौन-कौन से जिले हैं और बाकी जो १४ जिले हैं उनके भी नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह--मुजफ्फरनगर, और सुल्तानपुर में काम हो रहा है। बाकी और १४ जिले जिनमें कि काम आरम्भ करने का विचार है वह हैं--

बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, फैजाबाद, लखनऊ, उन्नाव, फर्रुखाबाद, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़ और मथुरा।

*३३-३४--**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)--[१० जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले में बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*३५--**श्री उमाशंकर मिश्र** (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में घाघरा व गोमती नदी की गत बाढ़ से किन-किन ग्रामों को क्षति पहुंची है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बाराबंकी जिले में गोमती नदी की गत बाढ़ से किसी गांव में कोई हानि नहीं हुई, परन्तु घाघरा नदी की बाढ़ से २६७ गांवों को हानि अवश्य पहुंची। इन गांवों की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

*३६--**श्री उमाशंकर मिश्र**--इन बाढ़ से पीड़ित ग्रामों को किस-किस प्रकार की सहायता दी गई और किन-किन ग्रामों को मालगुजारी में कितनी-कितनी छूट दी गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मालगुजारी में छूट देने का विचार रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--(क) बाढ़ ग्रस्त ग्रामों में जो सहायता दी गई उसका ब्योरा इस प्रकार है:

बकाया मालगुजारी, रु० ६६,४१८, और तकावी रु० ३८१, की वसूली रोक दी गई।

बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिये १३ केन्द्र खोले गये जहां उन्हें प्रति दिन की आवश्यक बस्तुयें बांटी गईं।

७,५५२ मनुष्य और १०,७०५ जानवर नाव द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाये गये और वहां उनके खाने और रहने का प्रबन्ध किया गया।

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में पीड़ित रोगियों के इलाज और स्वास्थ की रक्षा का पूरा प्रबन्ध किया गया। १०,००० रु० की मुफ्त सहायता देने की मंजूरी दी गई।

बीज के तकावी के लिये ४५,००० रु० की मंजूरी दी गई।

(ख) जिलाधीश ने १,६९,४१८ रु० ११ आना ० पाई मालगुजारी में छूट देने के के प्रारम्भिक प्रस्ताव भेजे हैं। उनके अन्तिम प्रस्ताव आने पर सरकार छूट के आदेश देगी।

श्री उमाशंकर मिश्र---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा से बाढ़-पीड़ित क्षेत्र को बचाने के लिये कोई उपाय सरकार सोच रही है ?

श्री चरण सिंह---उसके लिये एक फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है उसके मातहत सर्वे डिवीजन में काम हो रहा है। जहां पर बांध की आवश्यकता होगी रुपया होने पर वहां पर बांध बनाया जायगा। इसको सब जानते हैं।

श्री उमाशंकर मिश्र---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला भी बाढ़-पीड़ित जिलों में घोषित किया गया है ?

श्री चरण सिंह---बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की कोई खास घोषणा नहीं होती है। केवल १४ जिले ऐसे हैं कि जहां ५ हजार रुपया पहले से जिलाधीश को दे देते हैं कि यदि आशंका हो और बाढ़ से संकट की परिस्थिति पैदा हो तो फौरन् उनकी इमदाद कर सकें। अब इस वर्ष से हमने उसको १० हजार कर दिया है। बाराबंकी जिला भी उनमें जरूर है लेकिन वहां से जो नदियां बहती हैं उन पर बांध हो सकता है या नहीं, यह अभी नहीं कहा जा सकता।

देवरिया जिले में चारे की कमी

*३७---श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या सरकार देवरिया जिले में चारे की कमी को देखते हुये कोई ऐसा प्रबन्ध करेगी जिससे कि मिलों में तैयार होने वाला सारा खुद्दर (खोई) मवेशियों के चारे के काम आ सके।

श्री जगनप्रसाद रावत---नहीं। कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन इस समय नहीं है और आगे के लिये अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री महोदय, देवरिया जिले में हर साल चारे की कमी दूर को करने के लिये आगे के लिये कोई योजना बनाने को तैयार हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---देवरिया जिले में जो चारे की कमी है उससे सरकार काफी परिचित है और पिछली बार जब कभी चारे की कमी पड़ी तो मिलमालिकों से अनुरोध करके जो बगास होता था उसके वितरण करने की कोशिश की गयी। और उनके लिये बगास का प्रबन्ध किया गया लेकिन अब इस समय कुछ सन्देह बगास के लिये किया जा रहा है कि यह पशुओं के लिये ठीक है या नहीं है तो इसके लिये अनुसंधानशाला में परीक्षा हो रही है और उस परीक्षा का कुछ नतीजा आया भी है लेकिन पूरा नतीजा आने पर इस सम्बन्ध में जो भी ठीक होगा किया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार को पता है कि मिलों में जो बगास पैदा होता है उसको मिल में ही जला दिया जाता है और वह बचता नहीं है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---सब मिलों में ऐसा नहीं होता। कोशिश इस बात की हो रही है कि बगास बजाय हम किसी और काम में लायें उसको पशुओं के चारे के काम में ला सकें।

बस्ती जिले में बाढ़ से क्षति

*३८--श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले के प्रत्येक तहसील में इस बाढ़ के आ जाने से कितने गांवों की फसल को क्षति पहुंची है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--इस वर्ष बाढ़ आ जाने से जिला बस्ती के कुल १,२२० ग्रामों की फसल को क्षति पहुंची है जिनकी तहसीलवार संख्या निम्नलिखित है :

नाम तहसील	प्रभावित ग्रामों की संख्या
बस्ती	२६८
बांसी	३१०
खलीलाबाद	२५०
हरैया	२६१
डुमरियागंज	१३१

*३९--श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिले की प्रत्येक तहसील में कितना-कितना रक़बा बाढ़ से डूबा हुआ था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिले की प्रत्येक तहसील में बाढ़ से डूबे हुये क्षेत्रफल का विवरण निम्नलिखित है--

नाम तहसील	डूबा हुआ क्षेत्रफल
	एकड़
बस्ती	४४,३१२
बांसी	६४,१९५
खलीलाबाद	५१,३४०
हरैया	६०,३७७
डुमरियागंज	३२,५५१
योग ..	२,५२,७७५

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस बाढ़-क्षेत्र की जनता को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--तकावी के लिये ५२,८३० रुपया दिया गया और मुफ्त सहायता में २६,५५७- १४- ३ दिया गया।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो क्षेत्र बाढ़ से नष्ट हुआ है वह पूरे क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत् है ?

श्री चरण सिंह--सही आंकडे तो क्राप और सीजन रिपोर्ट में माननीय मित्र देख सकते हैं लेकिन वैसे मोटी सी बात है कि १५ लाख मुरब्बा मील बस्ती है और उसका ढाई लाख मील डूबा जिसमें से केवल कुल १ लाख ३९ हजार मील कल्टीवेटेड एरिया था।

*४०--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोंडा जिले की तरबगंज तहसील में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*४१—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, १९५४ ई० में जिला गोंडा तहसील तरबगंज में कितने ग्रामों में बाढ़ आई और कितने पशु तथा मनुष्यों की मृत्यु हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अगस्त १९५४ में जिला गोंडा, तहसील तरबगंज के २४१ ग्रामों में बाढ़ आई परन्तु किसी पशु या मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई।

*४२—श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ में कितने एकड़ खेती बर्बाद हुई है और बाढ़-पीडित लोगों के लिये सरकार ने क्या सहायता पहुंचाई ? क्या सरकार उसका पूर्ण विवरण मेज पर रखेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—तहसील तरबगंज में बाढ़ से १,१६,२७८ एकड़ खेती को हानि पहुंची। सरकार ने बाढ़-पीडितों के सहायतार्थ जो कार्यवाही की या कर रही है उसका विवरण इस प्रकार है :—

(१) मुफ्त सहायता के लिये सरकार ने १५,००० रु० स्वीकृत किया था। इस सहायता से सात केन्द्रों से लोगों की तात्कालिक आवश्यकता की चीजें मुफ्त वितरित की गईं।

(२) १,१०,००० रु० की तकाबी बीज तथा बैल के लिये बांटी गयी।

(३) सरकारी पावनों की वसूली स्थगित कर दी गई। खरीफ की मालगुजारी में छूट भी नियमानुसार दी जायेगी।

(४) ७०,००० रु० टेस्ट वर्क के लिये स्वीकृत किया गया है और टेस्ट वर्क चलाये जा रहे हैं।

(५) स्कूलों के छात्रों की फीस पांच महीने के लिये माफ कर दी गई है। मुफ्त वस्त्र वितरित किया गया। पशुओं तथा मनुष्यों के स्वास्थ्य की देख-रेख की गई तथा दवायें बांटी गईं।

(६) पशुओं के लिये भूसे का प्रबन्ध उचित मूल्य पर किया गया तथा सरकारी जंगलों में पशुओं के चरने की आज्ञा दी गई।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार को पता है कि इस क्षेत्र में लगातार ४ साल से बाढ़ आई है और वहां की जनता काफी परेशान है और इस परेशानी को दूर करने के लिये सरकार ने जो टेस्ट वर्क खोला था वह बन्द कर दिया गया है ?

श्री चरण सिंह—टेस्ट वर्क बन्द नहीं किया है और शायद माननीय मित्र को मालूम होगा कि वहां काम हो रहा है। २० नवम्बर के अखबार में हमने पढ़ा था कि वह टेस्ट वर्क इसलिये बन्द हो गया है कि उसके पास रुपया नहीं था। फ़ौरन उसी वक्त तार से ५० हजार रुपया दिया गया।

श्री गंगा प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि २४ नवम्बर को ४,००० मजदूरों की भीड़ डिप्टी कलेक्टर के बंगले पर आई और टेस्ट वर्क खोलने के लिये प्रार्थना की गई और रुपया जाने पर भी आज तक टेस्ट वर्क नहीं खोला गया है ?

श्री चरण सिंह—२४ नवम्बर, और १३ दिसम्बर में तो बहुत फर्क हो जाता है। माननीय मित्र अगर आज भी यह समझते हैं कि नहीं खोला गया है तो मैं मालूम करवा लूंगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५४ में जो बाढ़ आई उसमें तरबगंज तहसील की तक़ावी के लिये कितना रुपया मख़सूस था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---१ लाख १० हजार रुपया।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब को यह मालूम है या ऐसी कोई शिकायत आयी है कि बैल वगैरह के लिये जो रुपया दिया गया है, कानूनगो लोग जो इसकी वसूलयाबी कर रहे हैं उसके साथ २० प्रतिशत नाजायज तौर पर वसूल कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह---हमारे कानों में यह चीज पहले पहल पड़ रही है। मुझे शिकायत है कि अगर ऐसा था तो माननीय सदस्य ने उसकी शिकायत पहले क्यों नहीं की?

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के विद्यार्थियों की फीस, जो कि इंटर कालेजेज और डिग्री कालेजेज में पढ़ रहे हैं माफी की गयी है?

श्री चरण सिंह---जो प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के छात्र हैं उनकी फीस माफ की गयी है।

*४३---श्री रामकुमार शास्त्री---[१० जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*४४---श्री रामकुमार शास्त्री---[३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*४५-४६---श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--- [४ जनवरी, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ६०-६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४७---श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---[३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*४८---श्री गंगा प्रसाद---[३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*४९---श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़ जिले में विशेषरूप से उन भागों में जहां धान की पैदावार होती है सूखा पड़ा है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां। इस साल आजमगढ़ जिले में पानी कम बरसा, जो धान की फसल के लिये काफी नहीं था।

*५०---श्री पद्मनाथ सिंह---यदि हां, तो अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार क्या सहायता और सुविधा तत्काल देने का विचार कर रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सरकार परिस्थिति के प्रति जागरुक है और लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये टेस्ट वर्क, अहेतुक सहायता, संकटकालीन तकावी, मालगुजारी में छूट, स्कूलों में फीस माफी, आदि सुविधायें आवश्यकतानुसार दे रही है अथवा देगी।

श्री पद्मनाथ सिंह---सूखा की परिस्थिति को दूर करने के लिये सरकार ने बांध बनाये हैं, क्या वे बांध आजकल बिलकुल अनुपयुक्त हो गये हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---संभव है पानी न बरसने के कारण उनमें पानी न हो।

श्री पद्मनाथ सिंह---क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि ऐसे बांध उपयुक्त हैं या नहीं ?

श्री चरण सिंह---बांध का कोई वास्ता सूखा से नहीं है, वे तो पानी की बाढ़ से रक्षा करने के लिये बनाये जाते हैं।

श्री पद्मनाथ सिंह---५० नम्बर के सवाल में जो सहायता देने की बात कही गयी है उसके सम्बन्ध में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सूबे के कितने लोगों को उससे रिलीफ पहुंचा है, उसके बारे में क्या सरकार फेमिली टू फेमिली जांच करायेगी ?

श्री चरण सिंह---जितना रिलीफ दिया गया है उतना लोगों को रिलीफ हुआ है इसलिये फेमिली टू फेमिली जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

*५१---श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)---[१० जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*५२---श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)---[३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*५३-५५---श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) ---[२० दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४८-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

औकाफ अलल औलाद की जमींदारियों के मुआवजे

*५६---श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद) ---क्या सरकार को पता है कि वक्फ अलल औलाद की जमींदारियों के मावजे के बान्ड देना रोक दिया गया है और उसका सूद भी दो साल से बकाया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ८४ (ख) के अनुसार औक़ाफ़ अलल औलाद के बान्ड डिस्ट्रिक्ट जज के अख्तियार में दे दिये जाने चाहिये, मगर ऐसा करने पर उनका काम बहुत बढ़ जायगा और वक्फों से सम्बन्ध रखने वाले आदमियों को भी बहुत दिक्कतें होंगी। इस वजह से अभी तक इन वक्फ़ों को बान्ड नहीं दिये गये परन्तु उनको अन्तरिम मुआवजा बराबर दिया जा रहा है। इस प्रश्न पर सरकार ने बहुत गौर किया है और बहुत जल्द इस सिलसिले में अहकाम जारी होने वाले हैं।

*५७---श्री सुल्तान आलम खां---क्या यह सत्य है कि नकद अदायगी से संबंधित स्टाफ को हटाने का सरकार निश्चय कर चुकी है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी नहीं, सरकार ने कोई ऐसा निश्चय नहीं किया है।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार को यह पता है कि जिन बांडों के इंडेंट तहसीलों से भेजे गये हैं उन पर न तो कोई सूद ही दिया गया है और न इंटरिम मुआवजा ही दिया जा रहा है ?

श्री चरण सिंह---माननीय मित्र के सवाल का उस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि उसमें किसी इंडेंट का सवाल नहीं है। अगर इंडेंट भेजा जाता है और मुआविजा नहीं दिया जाता है तो इंडेंट और बांड की रक़म में गलती हो जायगी।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या यह सही है कि वक्फ अलल औलाद के इंडेंट भेजे गये हैं और उनके पाने वालों को कोई मुआविजा या इंटरिम मुआविजा नहीं मिला है ?

श्री चरण सिंह––अगर ऐसा है तो इसकी जांच की जायगी। उनके बांड्स किसको दिये जायं, इसके बारे में सरकार को पता नहीं है इसलिये यह सवाल नहीं उठता।

श्री सुल्तान आलम खां––क्या सरकार मेहरबानी कर के बतलायेगी कि इस ऐक्ट के मातहत जो कायदा ८४ रूल्स का है वह कब तक तरमीम हो जायगा ?

श्री चरण सिंह––उस पर गवर्नमेंट अपना फैसला कर चुकी है लेकिन ला ऐडवाइजर के पास कानूनी मशविरे के लिये वह गया है। अगर उन्होंने बैठ कर मंजूर कर दिया तो जल्दी जारी हो जायगा।

*५८–५९––**श्री महावीर प्रसाद शुक्ल** (जिला इलाहाबाद)––[४ जनवरी, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५८–५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गए।]

*६०––**श्री महावीर प्रसाद शुक्ल**––[१० जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में पशु चिकित्सालयों की आवश्यकता

*६१––**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में इस वर्ष कितने पशु चिकित्सालय खोलने की योजना है और वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत––इस वर्ष आजमगढ़ जिले में पशु चिकित्सालय खोलने की कोई योजना नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में सगड़ी तहसील में एक चिकित्सालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री उमाशंकर––क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि सगड़ी तहसील के किसी मुकाम के लिये सरकार को सुझाव दिया गया है ?

श्री चरण सिंह––जी हां, सुझाव है और माननीय मित्र ने ही एक सुझाव दिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी आजमगढ़ जिले में पशु चिकित्सालय क्यों नहीं खोले गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत––क्योंकि सूबे में चिकित्सालय की आवश्यकता तो बहुत से स्थानों पर है और अधिक से अधिक चिकित्सालय खोलने की कोशिश भी हो रही है लेकिन इसमें रकम की कमी और उसको चलाने के लिये शिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी की वजह से अभी तक वहां नये चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल––क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में पशुओं की संख्या बहुत है ?

श्री जगनप्रसाद रावत––यह तो जाहिर सी बात है।

स्थायी हरिजन तहसीलदार

*६२––**श्री चिरंजीलाल जाटव** (जिला एटा)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने हरिजन तहसीलदार स्थायी रूप से काम करते हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य––३ तहसीलदार।

*६३––**श्री चिरंजीलाल जाटव**––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितने तहसीलदार डिप्टी कलेक्टरी के पद पर अस्थायी रूप से काम करते हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--केवल १ तहसीलदार ।

श्री चिरंजी लाल जाटव--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि हरिजन तहसीलदार गैर-स्थायी रूप में कितने तहसीलदार के पद पर काम कर कर रहे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--७७ तहसीलदार हैं, जिनमें दो अल्पकालिक हैं ।

श्री चिरंजी लाल जाटव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अबतक कितने तहसीलदारों की डिप्टी कलेक्टरी के पद पर नियुक्तियां की गयी हैं ।

श्री चरण सिंह--हरिजनों के बारे में तो बतला दिया गया है, कई साहब आफिशियेट भी कर रहे हैं और जितनी जगह होती है उन में से एक-तिहाई प्रमोशन से जाते हैं । ठीक तो मुझे तादाद नहीं मालूम ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३ हरिजन तहसीलदारों में से चमार कितने हैं ?

श्री चरण सिंह--गालिबन तीनों जाटव हैं ?

प्रतापगढ़ जिले में गंगा के कछार की भूमि

*६४--**श्री रामनरेश शुक्ल**--क्या सरकार को पता है कि प्रतापगढ़ के गंगा के कछारों की जमीन पर बहुत से भूतपूर्व जमींदारों ने कब्जा कर लिया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं ।

*६५--**श्री रामनरेश शुक्ल**--क्या सरकार कछार की जमीनों की नाप कराने का विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--डिप्टी कमिश्नर प्रतापगढ़ अथवा लैन्ड रिफार्मस कमिश्नर के यहां से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है परन्तु ऐसा प्रस्ताव आने पर सरकार अवश्य उस पर विचार करेगी ।

श्री रामनरेश शुक्ल--सरकार को इस इत्तला का क्या आधार है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--गालिबन मेरे दोस्त को यह ख्याल है कि वहां एक खत लैन्ड रिफार्मस कमिश्नर के यहां से सुझाव मांगने के लिये गया है । इसलिये यह बात है, यह बात नहीं है, सुझाव आया नहीं है बल्कि मांगा गया है । डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट है ।

*६६--**श्री श्रीनाथ राम** (जिला आजमगढ़)--[८ दिसम्बर, १९५४ को प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

बांसी तहसील में बाढ़ से हानि

*६७--**श्री रामकुमार शास्त्री**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांसी तहसील के कितने गांवों में इस वर्ष बाढ़ आयी है और उससे खरीफ फसल की अन्दाजन कितनी हानि हुयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस वर्ष बांसी तहसील में बाढ़ से ३१० ग्रामों में खरीफ की फसल को लगभग ११,९२,५८० रु० की हानि हुयी है ।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन ३१० में से कितने ऐसे गांव हैं जहां फसल में आठ आने से अधिक हानि हुयी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---रकबा तो मुझे मालूम है कि कितनी फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन कितने गांवों में ऐसा हुआ है इस के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन ३१० गांवों में से कितने गांवों के बसने वाले लोगों को मालगुजारी की छूट दी गयी है ?

श्री चरणसिंह---आठ आने से ज्यादा कितने गांवों में हानि हुयी है और मालगुजारी की छूट कितने गांवों में हुयी है यह एक प्रश्न है और इस से संबंधित कागजात चल रहे हैं । वहां से रिपोर्ट आयी होगी कि कितनी वसूली स्थगित हुयी है, क्योंकि उन को खुद अख्तयार है । अगर वह तफसील चाहते हैं तो उस के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बस्ती जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की समस्त तहसीलों के मुकाबिले में बांसी तहसील के अधिक गांव बाढ़ग्रस्त थे ?

श्री चरणसिंह---जी हां । वह तो १२२१ गांव में से ३१० या ३११ हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के निवासियों को किस-किस ढंग से सहायता पहुंचाई गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---कुछ तो मुफ्त सहायता दी गयी । ८ हजार ५ सौ रुपये में से २ हजार ८९३ रुपये बंटे होंगे । मकान के लिये १८ सौ रुपये दिये गये हैं, जिनमें से ८ सौ रुपये बंट चुके हैं और भी बंटे होंगे ।

श्री राम कुमार शास्त्री---क्या बाढ़ग्रस्ट क्षेत्र के निवासियों के लिये कुछ नावें वगैरः बनवाकर पिछले वर्ष सहायता के रूप में उनकी जानें बचाने के लिये दिया था ?

श्री चरणसिंह---ग्रेचुएस रिलीफ, तकावी, टेस्ट वर्क्स, नावें वगैरः, हर जिले में यह इमदाद पहुंचाई जाती है और हरसाल यथाशक्ति पहुंचायी जाती है । इस साल देवरिया को छोड़कर सबसे ज्यादा ग्रैचुटस रिलीफ बस्ती जिले को दी गयी है । अब हर तहसील में कितना-कितना खर्च हुआ ह अगर माननीय मित्र यह जानना चाहते हैं तो उसके लिये नोटिस चाहिये ।

*६८-६९---**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)---[स्थगित किये गये ।]

हमीरपुर जिले में बैलों के लिए तक़ावी

*७०---**श्री तेजप्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हमीरपुर जिले में इस वर्ष (१९५४) तहसीलवार कितना रुपया बैलों के लिये तकावी में दिया गया है ?

श्री चरणसिंह---हमीरपुर जिले में इस वर्ष तहसीलवार निम्नलिखित रुपया अब तक बैलों के लिये तकावी में दिया गया है ।

तहसील	धनराशि
	रु०
हमीरपुर	१५,०००
मौदहा	९,०००
महोबा	८,५००
चरखारी	९,५००
राठ	४,०७५
योग	४६,०७५

गाजियाबाद में तहसील की नई इमारत बनवाने की योजना

*७१—श्री तेजासिंह—क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद में तहसील की नयी बिल्डिंग बनाने के लिये म्युनिसिपल बोर्ड ने २ लाख रुपया सरकार को दिया है ? यदि हां, तो सरकार इस भवन का बनवाना कब आरम्भ करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—म्युनिसिपल बोर्ड गाजियाबाद ने सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है कि वह सरकार को २ लाख रुपया इस शर्त पर देने के लिये तयार है कि उसे मौजूदा तहसील तथा रजिस्ट्रेशन दफ्तर की इमारतें एक साल के भीतर खाली करके म्युनिसिपल मार्केट बनवाने के लिये दे दी जायं । यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि प्रस्ताव पास करने के बाद म्युनिसिपल बोर्ड ने १ लाख रुपये खजाने में जमा कर दिये हैं और ७ एकड़ जमीन पर कबजा भी एस०डी०एम० साहब को दे दिया है ?

श्री चरणसिंह—यह तो नहीं मालूम है कि यह एक लाख की रकम २ लाख रुपये का जुज है लेकिन रुपया दाखिल किया है । १ लाख रुपया पिछले साल एस०डी०एम० का क्वार्टर बनवाने के लिये इसमें जमा करा दिया था । प्रस्ताव जुलाई सन् १९५४ में पास हुआ था । अब नक्शे वगैरह की तैयारी हो रही है । टाउन प्लानर ६ या ७ नवम्बर को वहां गये थे और उनकी रिपोर्ट आ जाय तो उस पर कार्यवाही चले ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी ऐसी हालत में इस योजना को अगले बजट में ले लेने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—जी कोशिश की जायगी ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह पुरानी तहसील की इमारत म्युनिसिपल बोर्ड को २ लाख रुपये में बेंची जा रही है या सरकार का उस पर अधिकार रहेगा ?

श्री चरणसिंह—यह कैसे हो सकता है कि २ लाख रुपया भी ले लें, साथ ही जमीन भी और इमारत भी । वह इमारत को ढहाकर म्युनिसिपल मार्केट बनाना चाहते हैं । इसलिये २ लाख रुपये में वह इमारत ले रहे हैं और जमीन के एवज में ७ एकड़ जमीन दे रहे हैं कि आप बनवा लीजिये ।

सहारनपुर जिले में ट्रैक्टरों और प्राइवेट ट्यूबवेलों के लिए सहायता

*७२—श्री महमूद अली खां (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सहारनपुर में सन् १९५०–५१ व १९५१–५२ और १९५२–५३ में कुल कितनी इमदाद (subsidy) ट्रैक्टरों और प्राइवेट ट्यूबवेलों के लिये दी गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इन वर्षों में ट्रैक्टर और प्राइवेट ट्यूबवेलों के लिये कोई राजसहायता (subsidy) सहारनपुर जिले में नहीं दी गयी ।

*७३—श्री महमूदअली खां—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस इमदाद से कितने ट्रैक्टर खरीद गये और कितने ट्यूबवेल लगाये जा चुके हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री महमूद अली खां--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस जिले में कितनी दरख्वास्तें सहायता के लिये आयीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--प्राइवेट ट्यूबवेलों को चूंकि सहायता नहीं दी जाती इसलिये उनकी दरख्वास्तों का प्रश्न नहीं उठता ।

*७४-७५--**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर)--[१६ दिसम्बर, १९५४ को प्रश्न संख्या २४-२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गन्ना विकास विभाग का स्थायीकरण

*७६--**श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में गन्ना विकास विभाग कब से कार्य कर रहा है और इसे कब स्थायी किया गया?

श्री जगन प्रसाद रावत--गन्ना विकास विभाग १९३५ के आरम्भ से इस प्रदेश में कार्य कर रहा है और इस विभाग को १ अप्रैल १९४८ से स्थायी किया गया ।

मिर्जापुर जिले में सीमेंट फैक्ट्री तथा रिहन्द बांध का निरीक्षण

*७७--**श्री रामस्वरूप** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि जिला मिर्जापुर में सीमेंट फैक्टरी तथा रिहन्द बांध के निरीक्षण तथा अवलोकन के सम्बन्ध में उच्च अधिकारी तथा मंत्रीगण प्रायः हर माह दौरा करते हैं और उनके प्रबन्ध में माल मुहकमे के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपने पास से व्यय करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ।

श्री चरण सिंह--जहां तक सरकार को मालूम है उच्च अधिकारी तथा मंत्रीगण जिला मिर्जापुर में सीमेंट फैक्ट्री तथा रिहंद बांध के निरीक्षण के निमित्त कभी-कभी जाया करते है। परन्तु उनके प्रबन्ध में माल मुहकमे के अधिकारी तथा कर्मचारियों को अपने पास से कोई व्यय नहीं करना पड़ता है ।

अतारांकित प्रश्न

बस्ती जिले की बांसी तहसील में दस गुना जमा करने वालों को भूमिधरी की सनद न मिलना

१--**श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती की बांसी तहसील में कितने ऐसे केस हैं जिनका दसगुना रुपया तो जमा है पर भूमिधरी की सनद नहीं बनी है ?

श्री चरणसिंह--केवल १० शामिल खाते ऐसे हैं जिनमें खातों के हिस्से का दस गुना जमा किया गया है परन्तु सनदें अभी तक नहीं जारी हो सकी हैं क्योंकि अभी तक प्रार्थियों के हिस्से की तस्दीक व देय लगान का निर्धारण नहीं हो पाया है ।

गांव समाज के मुकदमों की पैरवी करने वाले वकीलों का मेहनताना

२--**श्री राजा राम शर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव समाजों के मुकदमों की पैरवी के लिये जो वकील सरकार की तरफ से तहसीलों और जिला अदालतों में नियुक्त किये गये हैं, उनका मेहनताना कौन देता है ?

श्री चरणसिंह--गांव समाजों के मुकदमों की पैरवी के लिये जो वकील सरकार की तरफ से तहसीलों और जिला अदालतों में नियुक्त किये गये हैं उनका मेहनताना सरकार की ओर से दिया जायगा ।

विधान सभा से अवकाश के लिये श्री भगवान सहाय की प्रार्थना

श्री अध्यक्ष--श्री भगवान सहाय की एक प्रार्थना सदन के सामने इस प्रकार की आयी है कि--

"मैं एक कांफ्रेंस अटेंड करने तथा स्टेडी टूर पर ६ महीने के लिये हिन्दुस्तान से बाहर वियना जा रहा हूं। अतएव जून सन् ५५ तक मैं विधान सभा की बैठकों में उपस्थित न हो सकूंगा। इसके लिये मुझे कृपया उक्त समय तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें।"

मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह अवकाश देने की सबकी सम्मत्ति है?

(सदन की अनुमति से अवकाश प्रदान किया गया।)

*हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल विधेयक, १९५४

†खंड ३२ (क्रमागत)

**श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गजेन्द्रसिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जिस उपखंड (२) की रचना की गई है वह अत्यन्त आश्चर्यजनक है। आप देखेंगे कि खंड ३२ के पहले हिस्से में हमने इस बात की व्यवस्था की है कि अगर हस्तिनापुर विकास मंडल कोई ऐसा कार्य करता है जो मंडल के अधिकारों और कर्तव्यों के विपरीत है तो राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से मंडल को अधिक्रान्त या सुपरसीड कर सकती है। अब वर्तमान उपखंड (२) जिस प्रकार लिखा गया है उसकी यदि हम विवेचना करेंगे तो हम देखेंगे कि सुपरसीड होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट किसी दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेटर को रखे। इसमें लिखा हुआ है कि अधिक्रांत रहने के काल में उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अथवा कार्यान्वित होंगे जिसे अथवा जिन्हें राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात निर्णीत करे। इसके क्या अर्थ हैं?

आज कल के वातावरण में या आज कल की परिस्थिति में जब किसी म्युनिसिपल बोर्ड में बदइन्तजामी होती है तो सरकार उसको सुपरसीड करने के बाद एक ऐडमिनिस्ट्रेटर रखती है जैसा कि लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर में आज कल है। अब यहां हस्तिनापुर डेवलपमेंट बोर्ड में पहले से ही ऐडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था की गई है। अब आप यह देखें कि एक तरफ तो ऐडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, दूसरी तरफ डेवलपमेंट बोर्ड है जो सरकार की नामीनेटेड बाडी है तो सरकार पहले ही अस्वाभाविक कदम उठाती है कि वह अपने ही नामजद बोर्ड को सुपरसीड करती है और दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेटर को रखती है। एक तो सरकार द्वारा ऐडमिनिस्ट्रेटर पहले से ही मुकर्रर है दूसरा सुपरसीड करने के बाद सरकार मुकर्रर करती है, तो श्रीमन्, आप जरा कल्पना कीजिये कि किस प्रकार से यह डुअल अथारिटी यानी दो ऐडमिनिस्ट्रेटर्स काम करेंगे? इस विधेयक में यह होता कि मंडल के अधिक्रान्त किये जाने के बाद मंडल की सारी शक्ति ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में आ जायगी तब तो दूसरी बात थी लेकिन ऐसा नहीं है...

श्री अध्यक्ष--सदन में शान्ति रहनी चाहिये, शोर बहुत हो रहा है।

---

*२६ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†९ दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो दो ऐडमिनिस्ट्रेटर्स का एक साथ प्रशासक रहना ही एक अस्वाभाविक स्थिति है। इसलिये इस सिद्धान्त के आधार पर किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड या टाउन एरिया में दो ऐडमिनिस्ट्रेटर्स काम नहीं करेंगे चाहे वह नामीनेटेड बाडी की स्थिति हो चाहे सुपरसीडिड बाडी की स्थिति हो और चाहे कोई भी स्थिति हो। अब आप यह देखेंगे कि उपखंड (३) में एक उपधारा रखी हुई है कि "उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अधिक्रान्त रहने के काल की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार दो काम कर सकती है। पहला यह कि समय-समय पर अधिक्रान्त रहने का काल उस अवधि के लिये बढ़ा सकती है जिसे वह उचित समझे अथवा धारा ४ में व्यवस्थित रीति से मंडल को संगठित कर सकती है।" तो इसमें उपखंड ३ में माननीय मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब मंडल को दुबारा गठित करना पड़ जाय, दूसरा नामजद करना पड़ जाय। गजेन्द्रसिंह जी का संशोधन कहता है कि बजाय इसके कि आप बाद की स्थिति लायें पहले ही मंडल को संगठित कर दें। अगर पुराना मंडल निकम्मा हो गया है और कार्य नहीं कर सकता है तो बजाय दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेटर के मुकर्रर करने के नये मंडल को संगठित करें। और आप देखिये, श्रीमन् आखिर इस ऐक्ट की अवधि क्या है? केवल पांच साल। तो पांच साल के लिये बोर्ड के कुछ हजार आदमियों के लिये इतनी सुविधाओं का बरतना मैं तो कहूंगा कि ये सुविधायें जरूरत से ज्यादा हैं और इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उपखंड (३) में जो बात उन्होंने आखिर में रखी है, उसको वह पहले ही ले आयें और इस बात का निश्चय करें कि धारा ४ के अनुसार बोर्ड के सुपरसीड होने के बाद दूसरे बोर्ड को रिकांस्टीटचूट किया जायगा। धारा ४ के प्रोविजन्स के अनुसार मैं समझता हूं कि मंडल की स्थिति को देखते हुये यही धारा अत्यावश्यक होगी और प्रजातंत्रात्मक सिद्धान्तों को निबाहने वाली होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो तरमीम इस सदन के सामने है यह बिल्कुल ग़लत है। अगर यह मान ली जाती है तो एक ऐसी परिस्थिति पैदा होने का अन्देशा होगा जिसकी वजह से जो दिक्कत होगी उसके हल करने में बड़ी कठिनायी का सामना करना पड़ेगा। जैसे म्यूनिसियल ऐक्ट और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में भी ऐसे प्राविजन्स हैं जिनके अनुसार राज्य सरकार को बोर्ड को डिज़ाल्व करने का अधिकार है और जिस वक्त बोर्ड डिज़ाल्व होता है तो उसके डिज़ाल्व होने की तिथि से और नये बोर्ड के काम करने के दरमियान में कुछ वक्त जरूर गुजरता है, क्योंकि यह बिल्कुल नामुमकिन है कि इधर हम कोई नोटिफिकेशन करके कोई बोर्ड डिज़ाल्व कर दें और उसी वक्त नामिनेशन करके हम फौरन दूसरे बोर्ड का निर्माण कर दें। इसके लिये कुछ नियम हैं कि नोटिफिकेशन होता है, यह होता है, वह होता है तब दूसरा बोर्ड बनाया जाता है। तो इस सूरत में जो वैकुअम हो जायगा उस पीरियड के लिये बड़ी दिक्कत होगी। अगर बोर्ड डिज़ाल्व हुआ तो जो प्रापर्टी बोर्ड में वेस्ट है वह किस में वेस्ट करेगी। वह नोमैन्स प्रापर्टी नहीं रह सकती एक क्षण के लिये और म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट में भी धारा ३० और ३१ में इस तरह का प्राविजन है कि बोर्ड के डिज़ाल्व होने के बाद फलां बातें पैदा होंगी, सब मेम्बर मेम्बरी से अलग हो जायंगे और जो प्रापर्टी बोर्ड की है वह एक शख्स जिसको सरकार मुक़र्रर करे उसमें वेस्ट हो जायगी और वह कुल फंक्शन बोर्ड का करेगा। लिहाजा उस पीरियड के लिये ऐसा होना जरूरी है। इसलिये धारा ३२ (२) मौजूदा शक्ल में रखी गयी है। लिहाजा यह तरमीम जो है यह इस ऐक्ट में मंजूर हो जाने पर रोजमर्रा के कार्यों में बाधा पैदा करेगी, इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

*श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने हमारा संशोधन न मानने के लिये बतलाया कि बोर्ड के डिजाल्व होने और दूसरे बोर्ड को नये सिरे से बना के बीच के पीरियड में वहां की व्यवस्था की जिम्मेदारी किस तरह से निभायी जायगी अगर किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जायगा, और इस पीरियड में इतनी जल्दी दूसरे बोर्ड के बनाये जाने की परेशानी भी उन्होंने हमारे सामने रखी। जहां तक दूसरे बोर्ड के बनाने का प्रश्न है या कुछ व्यक्तियों के नियुक्त करने का प्रश्न है, मुझे तो दोनों चीजें बराबर मालूम पड़ती हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट के सामने नये बोर्ड के बनाने की परेशानी आ सकती है उसी तरह से कुछ व्यक्तियों के नियुक्त करने की बात भी आ सकती है। अगर गवर्नमेंट के सामने नये बोर्ड के बनाने का सवाल दरपेश है तो उसी तरह से नये व्यक्तियों की नियुक्ति का भी सवाल है।

जहां तक मंडल की सम्पत्ति की हिफाजत का प्रश्न है तो अगर वह कुछ व्यक्तियों के द्वारा हो सकती है तो एक नामिनेटेड मंडल के द्वारा भी हो सकती है। इसलिए माननीय मंत्री जी ने जो दलील पेश की उसमें मुझे कोई भी तत्व दिखाई नहीं देता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पर जोर देता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री हुकुमसिंह—मुझे कुछ और नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि खंड ३२ के उपखंड (२) के अन्तिम शब्द "हो जाय तो" के आगे निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय तथा भाग (क), (ख) और (ग) निकाल दिये जायं—

"धारा ४ के अनुसार मंडल का पुर्नानर्माण होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—मान्यवर, मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

खंड ३२ के उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "इस उपधारा" के स्थान पर शब्द व अंक "उधारा (१)" रख दिये जायं।

श्री हुकुमसिंह—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२ के उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "इस उपधारा" के स्थान पर शब्द व अंक "उपधारा (१)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तलाल शर्मा—श्रीमन् मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

खंड ३२ के उपखंड (३) के भाग (क) की पंक्ति १ में शब्द "काल" और शब्द "उस" के बीच में शब्द "को" रख दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—यह तो बिल्कुल शाब्दिक है। मैं खुद ही इसको कर लूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बसन्त लाल शर्मा---श्रीमन्, मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं---

खंड ३२ के उपखंड (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"(४) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को भेजेगी।"

श्री हुकुम सिंह---स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३२ के उपखंड (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"(४) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को भेजेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३३

विवाद। ३३---यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी और मंडल के बीच कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाय जिसके सुलझाने की व्यवस्था इस अधिनियम में अन्यथा नहीं की गई है तो वह विषय राज्य सरकार के पास अभिदिष्ट किया जायगा, और उस पर राज्य सरकर का निर्णय अन्तिम होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसा विवाद मंडल और कैन्टूनमेंट बोर्ड के बीच उत्पन्न हो तो राज्य सरकार निर्णय देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श कर लेगी।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३४

प्रवेश का अधिकार। ३४---जब इस अधिनियम के अधीन मंडल द्वारा अधिकारों के प्रयोग अथवा कर्तव्यों के पालन के प्रारम्भिक अथवा आनुषंगिक रूप से कोई मापन परीक्षण अथवा गवेषण (survey or examination or investigation) करना अथवा किसी निर्माण कार्य को करना आवश्यक हो तो मंडल का सामान्यतः अथवा विशिष्टतः अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भूमि अथवा गृहादि में, भूमि अथवा गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी को ऐसा करने के अपने विचार की उचित सूचना देकर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे निर्माण-कार्य को कार्यान्वित करने के लिये अथवा मापन, परीक्षण अथवा गवेषण के प्रयोजन से प्रवेश कर सकता है और ऐसी भूमि अथवा गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी की लिखित अनुमति से किसी भी समय प्रवेश कर सकता है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३५ तथा ३६

अधिकारों का सौंपना।

३५—प्रस्ताव में निर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन, यदि कोई हों, मंडल प्रस्ताव द्वारा अपने अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक को इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकार और कर्तव्य मंडल के दैनिक प्रशासन के सुदक्ष निर्वाह के हेतु, जिन्हें वह आवश्यक समझें, सौंप (delegate) सकता है।

मंडल के लिये भूमि का अनिवार्य रूप से उपार्जन।

३६—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये मंडल द्वारा अपेक्षित कोई भी भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक समझी जायगी और उक्त भूमि मंडल द्वारा इस प्रकार उपार्जित कर ली जायगी मानों कि लैंड एक्वीज़िशन ऐक्ट, १८९४ (ऐक्ट १, १८९४) के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त हों और मंडल उक्त ऐक्ट की धारा ३ के खंड (ई) के अधीन कम्पनी हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३५ और ३६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड ३६—क

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३६ के पश्चात् निम्नलिखित को नये खंड ३६—क के रूप में जोड़ दिया जाय—

जायदाद व हैसियत-कर से छूट

"३६—क—दि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के उपबन्धों का इस नगर के सम्बन्ध में उसी प्रकार अर्थ लगाया जायगा और उनका ऐसा प्रभाव होगा मानों यह नगर म्युनिसिपैलिटी हो और मंडल (बोर्ड) 'दि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई०' के अधीन बना हुआ बोर्ड (Board) हो।"

अध्यक्ष महोदय, धारा ३६ में जो व्यवस्था दी गई है उससे यह साफ जाहिर होता है कि हस्तिनापुर बोर्ड जो जमीन अपने उपयोग के लिये चाहेगा उसे वह लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत प्राप्त कर सकता है और इस लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अधीन जो भी प्राविजन होंगे वे सब बोर्ड द्वारा उपलब्ध जमीन पर लागू होंगे। जो संशोधन मैं इसके बाद रख रहा हूं वह यदि यहां न रक्खा जाय तो जो जमीन हस्तिनापुर बोर्ड उक्त तरह से प्राप्त करेगा उस पर जायदाद कर से छूट नहीं मलेगी और उस पर जायदाद कर लग जायगा। इसलिये उचित जान पड़ता है कि यह संशोधन यहां रख दिया जाय और इस संशोधन के रखने से यह बोर्ड जो जमीन या जायदाद अपने प्रयोग के लिये प्राप्त करेगा उसे भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड की तरह से यह अधिकार होगा कि वह जायदाद कर से मुक्त रहे। इस नियत से मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३६ के पश्चात् निम्नलिखित को नये खंड ३६—क के रूप में जोड़ दिया जाय—

जायदाद व हैसियत-कर से छूट।

"३६—क—दि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के उपबन्धों का इस नगर के सम्बन्ध में उसी प्रकार अर्थ लगाया जायगा और उनका ऐसा प्रभाव होगा मानो यह नगर म्युनिसिपैलिटी हो और मंडल (बोर्ड) 'दि यू० पी०

म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई०' के अधीन बना हुआ बोर्ड (Board) हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड ३६–क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३७

३७—मंडल के सभी सदस्य, अधिकारी तथा सेवक, चाहे वे मंडल द्वारा नियुक्त हों अथवा राज्य सरकार द्वारा, जब वे इस अधिनियम के प्रयोजनों के अनुसार कार्य कर रहे हों या कार्य करते हुए समझे जाते हों, तो वे इंडियन पैनल कोड की धारा २१ के प्रयोजनों के निमित्त पब्लिक सर्वेन्ट (जन सेवक) समझे जायंगे। मंडल के सदस्य अधिकारी और सेवक जनसेवक (Public servants) समझे जायंगे। ऐक्ट ४५, १८६०।

श्री हुकुमसिंह—नं० २० पर श्री बसन्तलाल जी का जो संशोधन है वह शाब्दिक है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसे खुद कर लूंगा।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३८

३८—यदि अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था न हो कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन किसी भी अपराध की अवेक्षा न करेगा (shall not take cognizance) जब तक कि मंडल अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई भी व्यक्ति अभियोग (complaint) प्रस्तुत न करे। अभियोजन की प्रक्रिया।

श्री हुकुम सिंह—खंड ३८ में जो संशोधन हैं वे शाब्दिक हैं।

श्री अध्यक्ष—इन्हें भी मैं खुद कर लूंगा।

†श्री नारायणदत्त तिवारी—खंड ३८ के बारे में मैं एक स्पष्टोक्ति चाहता हूं। मैं आपका ध्यान संविधान के खंड १४ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि—

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान के द्वारा सुरक्षित हैं। मेरे विचार से जिस प्रकार से इस धारा की शब्दावली को प्रयोग में लाया गया है उसके अनुसार इक्वल प्रोटेक्शन आफ दी ला का जो सिद्धान्त है यह अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से पहुंचेगा और सभी नागरिक उसका प्रयोग कर सकेंगे। इस धारा की शब्दावली इस प्रकार है।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

"यदि अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था न हो कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अथवा तदान्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन किसी भी अपराध की अपेक्षा न करेगा जब तक कि मंडल अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई भी व्यक्ति अभियोग प्रस्तुत न करे"।

तो यह जो है वह इक्वल प्रोटेक्शन आफ ला को सीमित करता है। इस सम्बन्ध में शब्दावली को स्पष्ट कर दिया जाय तो अच्छा होगा या आप स्वयं इसका स्पष्टीकरण कर देनेकी कृपा करेंगे।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र नारायण दत्त जी तिवारी ने कांस्टीटचूशन की धारा की यहां पर खींचतान की। मैं यह निवेदन करता हूं कि इसमें धारा ३८ का केवल यह मन्शा है कि जब बोर्ड इस्तगासा दायर करे तब ही प्रोसीडिंग स्टार्ट हों। दूसरे जो म्युनिसिपल बोर्ड्स कानून है उसमें भी ऐसा आपको मिलेगा और दीगर ऐक्ट में भी आपको ऐसा मिलेगा। जब तक कि अथारिटी इस्तगासा दायर न करेगी तब तक कोई काम नहीं होगा। यह सीधा सा प्राविजन इसके अन्दर है। इसमें संविधान के खंड १४ का कोई उल्लंघन कहीं भी नहीं होता है। ऐसी सूरत में मैं यह अर्ज करूंगा कि इसमें किसी तरह से भी संविधान का उल्लंघन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—श्री नारायण दत्त जी ने यहां पर यह प्रश्न उठाया कि इसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया गया है? मैं यहां पर यह देखता हूं कि इसमें किसी पर्सन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस धारा ३८ में यह है कि :

"Unless otherwise expressly provided, no court shall take cognizance of any offence under the Act or under any rules made thereunder except on the complaint of the Board or a person authorised by the Board in this behalf."

यह किसी पर्सन के खिलाफ नहीं है। बोर्ड का जो आर्डर है या बोर्ड जो व्यवस्था करेगा और उसके सम्बन्ध में अगर कोई अपराध किसी ने किया तो उस पर कार्यवाही बोर्ड या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही कर सकता है। मसलन यदि मेरी जायदाद है, अगर उसको कोई आदमी उठाकर ले जाता है तो अगर मैं यह कहूं कि बगैर मुझसे पूछे हुये उसकी शिकायत अदालत में न हो यह नियम अगर होता है तो वह उचित ही है। इसमें मैं किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई काम नहीं करता हूं, बल्कि अपनी ही रक्षा के लिये ऐसा करता हूं। मैंने अंग्रेजी में यह खण्ड इसलिये पढ़ा कि शायद आप उसको हिन्दी में समझे नहीं हैं। इसमें केवल इतना ही प्रतिबन्ध है और उससे किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। इसलिये संविधान की धारा १४ इसके लिये बाधक नहीं हो सकती है। इसलिये इसके ऊपर सदन में विचार हो सकता है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३८ की पंक्ति ४ में से शब्द "उसके" को हटा कर उसके स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" रख दिये जावें।

अध्यक्ष महोदय, धारा ३८ को अभी तिवारी जी ने पढ़ा है, जिसमें यह है कि मंडल अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही लीगल कार्यवाही कर सकता है। खंड ४ से जैसे मंडल की स्थापना की गई है वह सब गवर्नमेंट के द्वारा बनाये जावेंगे। मंडल के सदस्य या कोई अधिकारी अक्षमता दिखलाते हैं तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं उचित समझता हूं कि राज्य सरकार को भी यह अधिकार हो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी भी कार्यवाही कर सके। जैसा तिवारी जी

ने बताया, संविधान का आर्टिकिल १४ भी इस बात की ओर संकेत करता है। अगर यहां पर राज्य सरकार नहीं रखा जायगा तो मंडल के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री जी इस शाब्दिक संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री हुकुमसिंह—अध्यक्ष महोदय, इसमें सारी पावर बोर्ड को है, इस अधिनियम के जरिये। इसलिये रखा गया है कि बोर्ड जिसको अधिकार दे वह इस्तगासा दायर कर सकता है। हमारे मित्र चाहते हैं कि यह अधिकार राज्य सरकार को भी होना चाहिये। हमने तो यह ऐसे ही रखा है जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड में होता है कि एक्जीक्यूटिव आफीसर या सेक्रेटरी इस्तगासा दायर करता है। अब जरासा मामला कोई आवे तो उसके लिये राज्य सरकार के पास आना अनावश्यक होगा। तो जब तक पांचों आदमी मिलकर के न करें तब तक दिक्कत है, या बोर्ड अपनी ओर से किसी को अख्तियार दे दे वह करे। इसीलिये हमने "उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई भी व्यक्ति" रखा है।

मेरे मित्र का संशोधन मानने से यह होगा कि बोर्ड राज्य सरकार को लिख कर भेजेगा। राज्य सरकार अपने अधिकारियों द्वारा जांच परताल करावेगी। तमाम सेक्रेटेरियेट में हो कर मेरे पास आवेगा। और तब मैं उस पर आर्डर दूंगा कि फलां कानूनी कार्यवाही की जाय। तब तक तो सारा मामला ठंढा हो जायगा। बोर्ड को हमने सारे अधिकार दिये हैं तो केवल इस्तग़ासा दायर करने के अधिकार राज्य सरकार क्यों ले, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस संशोधन को मानने से काम में रुकावट पड़ेगी। हम ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देना चाहते हैं ताकि डेवलपमेंट के काम में बाधा न हो। हमारे मित्र जोरावर जी समझ लें कि रुकावट पड़ेगी या नहीं। अगर कितनी भी जल्दी की जाय तो भी १५–२० दिन लग जावेंगे कि वहां से काग़जात आवें और हम आर्डर दें। और तब तक जैसा कि मैंने अर्ज किया वह मामला ही ठंडा हो जायगा। इसलिये इसकी कोई अहमियत ही नहीं रहती। जोरावर जी को राज्य सरकार से बहुत मुहब्बत पैदा हो गई है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि यह तजवीज नामंजूर होनी चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि यह अधिकार उसी प्रकार दिये गये हैं जिस प्रकार से म्यूनिसिपल बोर्ड के ऐक्जीक्यूटिव आफीसर को दिये जाते हैं और जिसके अनुसार वे म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ जो कार्यवाही होती है अथवा उनके खिलाफ जो मुकदमा कायम होता है उसमें कार्यवाही करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ राज्य सरकार के पास भी तो कुछ अधिकार रहते हैं। अगर वे अपने अधिकार प्रयोग में नहीं लाते हैं तो ऐसे समय के लिये राज्य सरकार के पास भी कुछ अधिकार होते हैं। लेकिन जो प्रस्तुत विधेयक है उसमें राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिये इस शब्द के साथ म सरकार को कुछ अधिकार देना चाहता हूं।

जहां तक माननीय मंत्री जी ने मुहब्बत की बात कही और अगर आप उसके बावजूद भी यह ऐडवाइस मुझे देते हैं कि मैं इसको वापिस ले लूं तो इस प्रकार से आप ही उस मुहब्बत को तोड़ना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वास्तव में मेरे इस संशोधन से कोई देर होने वाली नहीं है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जिसकी नियुक्ति मंडल के द्वारा होगी वह मंडल के खिलाफ कार्यवाही कैसे करेगा। जहां तक कार्य की बात है मंत्री जी को कभी तो कार्य की जल्दी होती है और कभी इसके विपरीत कहते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार वे बातों को उलटफेर करके ऐसा करते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी फिर इस पर विचार करके इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री हुकुमसिंह—मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३८ की पंक्ति ४ में से शब्द 'उसके' को हटा कर उसकी स्थान पर शब्द 'राज्य सरकार' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३९

विधिक कार्यवाहियों पर रोक।

३९—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये समझे गये किसी भी कार्य के सम्बन्ध में मंडल के किसी भी अधिकारी अथवा सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद अथवा विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३९ की पंक्ति २ में से शब्द 'अथवा किये समझे गये किसी भी' निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के बाद खंड ३९ इस प्रकार से हो जायगा—

"इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सद्भावना से किये गये कार्य के सम्बन्ध में मंडल के किसी भी अधिकारी अथवा सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद अथवा विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो शब्द "अथवा किये समझे गये किसी भी" कुछ समझ में नहीं आते। जो मंडल के कार्यकर्ता या सदस्य हैं अगर वे सद्भावना से कार्य करते हैं तो उनकी रक्षा होनी ही चाहिये। यदि सद्भावना से कार्य हो तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन कोई काम सद्भावना से हो या न हो और उसके लिये इस तरह की 'राउन्ड अबाउट वे' में बात करना ठीक मालूम नहीं होता। कोई भी कैसा ही काम वह करे उसके लिये वह क्षम्य क्यों समझा जाय। मेरे विचार में कोई भी कार्य सद्भावना से हो या न हो वह विहित कार्यवाही नहीं समझी जानी चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र की दिक्कतों को समझता हूं। वाकई में देखने में इसमें परेशानी मालूम होती है, आसानी से बात समझ में आ भी नहीं सकती। स्टैंडर्ड ड्राफ्टिंग का एक प्रापर फार्म है, उसे स्टैन्डर्ड लेजिस्लेटिव ड्राटिंड फार्म के मुताबिक ऐसे अलफाज का रहना बहुत जरूरी है। मैं श्रीमान् की आज्ञा से इस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग फार्म की किताब में से उस फार्म को पढ़ देता हूं जो कि उसमें दिया हुआ है—

"No proceedings civil or criminal shall be instituted against any person in respect of any act done or purporting to be done in the execution of his duty as a servant of the Crown in.....before the.....day of....., except with the consent of the.....in his discretion."

यह फार्म इसमें दिया गया है और उस फार्म को मंजूर करके यह सब जगह किया गया है। अभी इस सदन के सामने जमींदारी एबालिशन ऐक्ट पास हो चुका है जिसकी धारा ३३४ में यह दिया गया है कि इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बने किसी नियम के अधीन किया गया या किया गया प्रतीत होने वाला कोई कार्य, यदि सद्भाव से और इस अधिनियम के द्वारा या अधिनियम के अधीन लगाये गये कर्तव्यों के पालन या सौंपे गये कार्यों के सम्पादन में किया गया हो तो

इसके विषय में किसी अधिकारी या सरकारी सेवक पर कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा न चल सकेगा तो 'परपोर्टिग टु बी डन' इस विधेयक में भी रखा गया है और करीब-करीब तमाम ऐक्ट में जैसा कि प्राविजन है सब जगह रखा जाता है। तो यह फार्म प्रापर स्टैण्डर्ड फार्म है और इसीलिये ऐसा रखा गया है। जहां तक दिक्कत होने की बात है, मैं समझता हूं कि अब मेरे मित्र इसको समझ गये होंगे और इसको वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहीं से पढ़ कर यह सुनाया है। मैं ऐसा समझता था कि चूंकि सब ऐक्टों से एबव (ऊपर) यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इसलिये उसमें ये शब्द रखे गये हैं। चूंकि उनके हटाने से माननीय मंत्री जी द्वारा नियुक्त मंडल के कार्य में बाधा होगी इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४०

मंडल का विघटन तथा उसके धन (assets) अथवा दायित्व का किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को संक्रामित होना। नियम बनाने का अधिकार।

४०—(१) जब नगर निर्मित तथा विकसित हो जाय अथवा इस सीमा तक निर्मित और विकसित हो जाय जिससे कि राज्य सरकार की राय में मंडल का जारी रहना अनावश्यक हो जाय, तो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, प्रख्यापित कर सकती है कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से मंडल विघटित हो जायगा और मंडल तदनुसार विघटित समझा जायगा।

(२) उक्त दिनांक पर तथा उससे—

(क) मंडल के पास सभी सम्पत्तियां, निधियां, एवं देय धनराशियां तथा कार्यक्षेत्र में स्थित सभी सम्पत्तियां, जो उक्त दिनांक से तत्काल पूर्व मंडल के पास में थीं अथवा उसके द्वारा वसूल की जा सकती थीं, ऐसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित होंगी तथा उसके द्वारा वसूल करने योग्य होंगी जिसे राज्य सरकार समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन संगठित करे ;

(ख) उक्त दिनांक से तत्काल पूर्व मंडल के विरुद्ध प्रयोजनीय (enforceable) सभी दायित्व (liabilities) उक्त स्थानीय प्राधिकारी के विरुद्ध प्रयोजनीय होंगे;

(ग) मंडल द्वारा आरब्ध किन्तु अपूर्ण रूप से निष्पन्न किसी निर्माण कार्य के सम्मापन (completion) के प्रयोजन के लिये तथा खंड (क) में अभिदिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देय धनराशियों को उगाहने के लिये इस अधिनियम के अधीन मंडल के कृत्य उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जायेंगे ;

(घ) उक्त स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्राप्त तथा व्ययित (expended) सभी धनराशियों का अलग हिसाब रखेगी जब तक कि तद्न्तर्गत लिये गये सभी ऋणों का पुनर्भुगतान न हो जाय तथा खंड (ग) में अभिदिष्ट अन्य दायित्वों का शोधन न हो जाय।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं:—

खड ४० के उपखंड (१)की पक्ति ४ में शब्दों "की स्वीकृति से" के स्थान पर शब्द "के परामर्श से" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, यदि खंड ४० को देखा जाय तो इसमें यह व्यवस्था दी हुयी है कि यह हस्तिनापुर जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाय और राज्य सरकार समझे कि अब इसके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है तो वह केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति लेकर इस बोर्ड को विघटित कर दे । इसलिये मैं यह सशोधन पेश कर रहा हू कि "की स्वीकृति से" की जगह पर "के परामर्श से" रख दिये जायं । यानी उससे परामर्श करके चाहे तो मडल को विघटित कर दे । इन शब्दों के साथ चूंकि यह विधेयक का अंतिम अध्याय है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करें ।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, बोर्ड के बनाने में भी केन्द्रीय सरकार के परामर्श से ही बनाने का हमको अधिकार है लिहाजा बिगाड़ने में भी उससे परामर्श लेना आवश्यक है । इसमें स्वीकृति की जरूरत नहीं है, इस तरमीम को मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्दों "की स्वीकृति से" के स्थान पर शब्द "के परामर्श से" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४० इस विधेयक का अंग माना जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४१

नियम बनाने का अधिकार

४१—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है—

(क) सदस्यों का कार्यकाल, आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति, तथा मंडल के किसी भी सदस्य अथवा सम्बद्ध सदस्य (associate member) को देय भत्ता, अथवा शुल्क,

(ख) धारा ६ के अधीन नियुक्त मंडल के अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा के प्रतिबन्ध और शर्तें,

(ग) धारा १० के अधीन नियुक्त प्रशासक की सेवा के प्रतिबन्ध और शर्तें

(घ) प्रशासक के कृत्य और कर्त्तव्य,

(ङ) मंडल की बैठकों का समय तथा स्थान और ऐसी बैठकों में होने वाले कार्य के निमित्त अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(च) समय जिसमें और रीति जिससे मंडल के लेखे रखे जायेंगे और उनका परीक्षण (audit) किया जायगा ;

(छ) वे आकार (forms) जिनमें बजट और वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायगी तथा धारा २४ और २६ के अधीन राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार को भेजी जायगी,

(ज) इस अधिनियम के अधीन सूचनाओं (नोटिसों) और आज्ञाओं की तामील, तथा

(झ) अन्य विषय जिन्हें नियत करना है और जो नियत किये जायं।

(३) इस धारा के अधीन बने सभी नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होंगे।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी भी नियम में व्यवस्था की जा सकती है कि उसका उल्लंघन अर्थदंड द्वारा दंडनीय होगा जो ५०० रुपए तक हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४१ इस विधेयक का अंग माना जाय,

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४२

अपवाद ।

४२--एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन मंडल के संगठन से पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा संठित हस्तिनापुर नगर विकास मंडल नामक संस्था द्वारा, नगर के निर्माण और विकास के प्रयोजनार्थ की गयी सब बातें तथा किये गये सभी कार्य, अथवा की गयी समझी जाने वाली सभी बातें अथवा कार्य उक्त संस्था के संगठन में किसी दोष अथवा अवैधता के रहते हुए इस अधिनियम के अधीन संगठित मंडल द्वारा वैध रूप से की गयी बातें अथवा किये गये कार्य समझे जायेंगे मानों यह अधिनियम उस समय प्रचलित था और मंडल उस समय संगठित था जब ऐसी बातें अथवा कार्य किये गये थे।

श्री बसन्त लाल शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४२ की पंक्ति २ में शब्द "राज्य" के स्थान पर शब्द "केन्द्रीय" रख दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम के लागू होने से पहले अब तक जो काम हस्तिनापुर के उत्थान के लिये होता था वह केन्द्रीय सरकार की ओर से होता था । इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें जो छप गया है वह पहले की तरह ही हो गया है और "केन्द्रीय" रखना ही उपयुक्त होगा।

श्री हुकुम सिंह--मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४२ की पंक्ति २ में शब्द "राज्य" के स्थान पर शब्द "केन्द्रीय" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४२ इस विधेयक का अग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४

नगर के निर्माण और विकास एवं वहां विस्थापितों को बसाने के प्रयोजन से तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों के लिये, जिला मेरठ के हस्तिनापुर में विकास मंडल की स्थापना के निमित्त

विधेयक

यह आवश्यक है कि नगर के निर्माण और विकास एवं वहां विस्थापितों को बसाने के प्रयोजन से तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों के लिये जिला मेरठ के हस्तिनापुर में नगर विकास मंडल की स्थापना की व्यवस्था की जाय ।

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रारम्भ और कालावधि।

१—(१) यह अधिनियम हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४ कहलायेगा ।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञापित करे।

यू० पी० ऐक्ट १, १९०४

(३) यह दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्ति पर उक्त दिनांक से पूर्व कृत, अथवा अकृत विषयों (things done or omitted to be done) को छोड़कर प्रचलित न रहेगा, तथा इस अधिनियम की समाप्ति पर यू०पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, की धारा ६ इस पर इस प्रकार प्रवृत्त होगी, मानो यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम (U. P. Act) द्वारा निरस्त (repeal) हुआ हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

* उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रस्ताव को उपस्थित करते समय केवल इतना ही कहना है कि यों तो म्युनिसिपैलिटीज के बारे में अभी तक बहुत सी बड़ी-बड़ी बातों पर विचार किया जा जा रहा है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हो और इसके सम्बन्ध में कई बेसिक चीजें और कई फंडामेंटल्स तय करना बाकी है और कारपोरेशन बिल में उसी की कुछ तस्वीर दिखायी देगी । लेकिन इस वक्त जो छोटा सा अमेंडमेंट बिल इस सदन के सामने रखा गया है उसमें खास तौर से एक चीज है और वह यह है कि इस वक्त कानून के मुताबिक म्युनिसिपल बोर्ड्स के प्रेसीडेन्ट का एलेक्शन जेनरल एलेक्टोरेट डाइरेक्टली करते हैं। इस संशोधन के साथ यह सेक्शन अब इन्डाइरेक्टली यानी बोर्ड द्वारा ही होगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को अच्छी तरह से मालूम होगा कि किन दिक्कतों को सामने रखकर यह इन्डाइरेक्ट की जगह डाइरेक्ट एलेक्शन किया गया था । उसके बाद खराबियां भी काफी नजर आयी और बोर्डों का काम चलना काफी मुश्किल हो गया । इस समय ११३ जोन ये चुने हुए म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, क्योंकि ७ का तो चुनाव नहीं हुआ, उनमें से ऐसे

---

* विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक, २ दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

७८ म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं जहां कि झगड़े चल रहे हैं और जहां की शिकायतें हमारे पास आयी हैं। उन शिकायतों की संख्या कुछ दिनों पहले ४७८ थी जो सिर्फ सारे बोर्डों के सम्बन्ध में रखती थीं। यह शिकायतें वे नहीं हैं जो स्टाफ के या स्टाफ के खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन की शक्ल में या अपीलों की शक्ल में या दूसरी चीजों से ताल्लुक रखती हों, ये शिकायतें वे हैं जो प्रेसीडेंटों या मेम्बरों के खिलाफ हैं। इतनी शिकायतों के होते हुए यह बहुत आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि बोर्डों का चलना काफी मुश्किल है। चुनाव के बाद जो बोर्ड बने थे उसमें जो बाद में तबदीली हो गयी हो और मेम्बर इधर से उधर हो गये हों उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ४३ म्युनिसिपल बोर्ड्स ऐसे थे जहां प्रेसीडेंटों की मेजारिटी नहीं थी और २२ म्युनिसिपल बोर्डस ऐसे हैं जिनमें एक और २ की मेजारिटी है और जहां एकाध आदमी इधर से उधर हुए और उनके प्रेसीडेंटों की हालत डावांडोल हो जाती है। इस बात को जब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सदन के सामने रखता हूं तो उस वक्त मैं इसको कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करूंगा कि यह संख्या जो मैंने इस वक्त सामने रखी उसमें सभी पार्टियों और सभी दलों के हैं। यह प्रेसीडेंट जो कि माइनारिटी में हैं उनमें से इंडिपेंडेंट्स १९ हैं, कांग्रेस ८, पी०एस०पी० ८ जनसंघ ६, सोशलिस्ट १, और हिन्दू सभा १। इस तरह से यह ४३ संख्या पूरी होती है। यह तो माइनारिटी में हैं, और जिनकी हालत डांवाडोल है एक या दो संख्या से उनमें कांग्रेस के १३, इंडिपेंडेंट्स ६ हैं, पी०एस०पी० २ हैं, और जनसंघ का एक है। यह २२ वह संख्या है जिनमें से एक दो वोट उधर इधर होने से नकशा बदल सकता है और प्रेसीडेंट्स उसमें मुसीबत में रहते हैं। इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि यह किसी एक पार्टी या दल की वजह से नहीं है और इतनी बात तो साफ ही है कि जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है उसमें प्रेसीडेंट के हटाने पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रेसीडेंट को जिस तरह से आज हटाया जा सकता है उसी तरह से इस संशोधन के पास हो जाने के बाद हटाया जा सकेगा। इसलिए यह जो ४३ और २२ प्रेसीडेंटों की हालत नाजुक है और जैसा कि मैंने कहा वे भिन्न-भिन्न पार्टियों के हैं, उनकी हालत नाजुक रहती है इस संशोधन के पास हो जाने के बाद भी। सवाल यह है कि जब उनकी यह हालत है और पुरानी संख्या, जो मैंने कौंसिल के सामने दी थी वह अभी तक रिवाइज्ड मेरे सामने नहीं है। २३ म्युनिसिपैल बोर्ड्स ऐसे थे कि जिन में कमेटियां नहीं बनी थीं, पांच म्युनिसिपल बोर्ड्स ऐसे थे जिन के वाइस प्रेसीडेंट नहीं चुने गये थे और १८ म्युनिसिपल बोर्ड्स ऐसे थे जहां बजट पास नहीं हुआ था या जिनकी सूचना नहीं आयी थी। मैं यह आंकड़े सिर्फ इसलिये सामने रखना चाहता हूं कि जैसे इन्डाइरेक्ट एलेक्शन की खराबिओं को महसूस करते हुए उसकी जगह पर डाइरेक्ट एलेक्शन रखा गया था और उस डाइरेक्ट एलेक्शन के बाद जनरल एलेक्शन जो लास्ट इयर हुआ उसके बाद जो उसकी खराबियां देखने में आयी हैं म्युनिसिपल बोर्ड की वर्किंग में उसका थोड़ा सा नक्शा आपके सामने रखने की, अध्यक्ष महोदय, मैंने कोशिश की। मैं नहीं कह सकता कि इस सदन के दूसरे माननीय सदस्य क्या विचार रखते हैं, लेकिन एक विचार यह भी है कि जेनरल एलेक्शन के बाद बहुत से म्युनिसिपल बोर्ड्स की हालत सुधर गयी होगी, लेकिन जिन बोर्ड्स की हालत सुधरी है शायद उससे कम न होगी, अगर ज्यादा नहीं तो उन बोर्डस की तादाद जिनकी हालत खराब हुयी है, पहले से खराब हुयी है और इस वक्त काफी म्युनिसिपल बोर्डस की वर्किंग में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिये यह जरूरी समझा गया कि बोर्ड और प्रेसीडेंट साथ-साथ काम करें। या तो हम इस तरह से एक तरीका रखें कि प्रेसीडेंट डाइरेक्टली एलेक्ट हो और बोर्ड भी डाइरेक्टली एलेक्ट हो और दोनों का ताल्लुक इस तरह से हो कि वह एक दूसरे से एलेक्टडेबट रेस्पांसिबिल हों, लेकिन एक को दूसरा रिमूव न कर सके। मिसाल के तौर पर भी अमरीका के प्रेसीडेंट का एलेक्शन है। वह डाइरेक्टली होता है, पार्लियामेंट का एलेक्शन भी डाइरेक्ट होता है। लेकिन वहां की पार्लियामेंट प्रेसीडेंट को रिमूव नहीं कर सकती। अगर यह तस्वीर मैं मान लूं और डाइरेक्ट प्रेसीडेंट को एलेक्ट करने की बात कहूं तो ठीक है, लेकिन तब यह जरूरी हो जाता है कि फिर जो चुना हुआ बोर्ड है और कितने ही एलेक्टोरेट से चुना हुआ हो, चाहे एक एलेक्टोरेट को उसका वोट देने का अधिकार हो या ४, लेकिन नम्बर आफ वोटर्स

[श्री मोहनलाल गौतम]

वही हो जिसने बोर्ड को और प्रेसीडेंट को चुना है और अगर हम डाइरेक्टली एलेक्शन चाहें बोर्ड का और प्रेसीडेंट का तो उसके लिये जरूरी यह होना चाहिये कि जितने आदमियों की नुमाइंदगी बोर्ड करता है उतने ही की प्रेसीडेंट करता हो। बहुत मुमकिन है कि बोर्ड के मेम्बरों को चुनने में उतना परसेंटेज न हो जितना कि प्रेसीडेंट का हो। हो सकता है कि प्रेसीडेंट को ७० फीसदी वोट मिले हों और यह भी हो सकता है कि जितने सक्सेसफुल मेंम्बर्स हैं बोर्ड के, उनको ६० परसेंट ही वोट मिले हों। यह भी हो सकता है कि मेम्बरों को ज्यादा मिले हों। मैं इस बात को न कह कर इतना जरूर कह सकता हूं कि जब उतने ही मेम्बरों की वोटरों की नुमाइन्दगी प्रेसीडेंट करता है, जितने की कि बोर्ड और फिर बोर्ड की माइनारिटी हमेशा प्रेसीडेंट के साथ रहती हो तो फिर माइनारिटी के साथ मिल कर प्रेसीडेंट उस मेजारिटी से कहीं ज्यादा हो जाता है कि जो उसको रिमूव कर देती है। मान लीजिये कि ७० परसेंट प्रसीडेन्ट को वोट मिले और मेम्बरों को ६० परसेंट मिले कुल। इस ६० परसेंट में से ३५ परसेंट अगर प्रेसीडेंट के खिलाफ हैं और २५ परसेंट हक में है तो प्रेसीडेंट की सपोर्ट में ६० परसेंट में अपनी उसकी हैसियत है ही। २५ परसेंट मेम्बरों की ताकत उसके पीछे है वोटर्स की और केवल ३५ परसेंट खिलाफ। ८५ परसेंट उसके हक में और फिर भी वह निकाला जाता है। इसलिये अगर डाइरेक्टली इलेक्टेड प्रेसीडेंट हो तो उसको निकालने का अधिकार उसी बोर्ड को हो जो उसे चुने। उसकी भी एक मैजारिटी हो। यह कहां तक मुनासिब है, यह सोचने की बात है। इसलिये शायद मुख्य स्मूथ वर्किंग के लिये इस नतीजे पर पहुंचना पड़े कि अगर प्रेसीडेंट डाइरेक्टली इलेक्टेड है तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचें कि प्रेसीडेंट डाइरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिये तो इस नतीजे पर भी हमको पहुंचना पड़ेगा कि बोर्ड उसको रिमूव नहीं कर सकता और अगर इस नतीजे पर पहुंच गये तो जो हमारा कन्सेप्शन आज है बोर्ड का वह हमको बदलना पड़ेगा और उसमें एक स्ट्रांग ऐक्जीक्यूटिव, एक मजबूत प्रेसीडेंट होगा और बोर्ड की हालत धीरे-धीरे एक ऐडवाइजरी बाडी की सी हो जायगी। अगर प्रेसीडेंट रिमूव नहीं करते तो स्मूथ वर्किंग के लिये यह जरूरी है कि कभी अगर बोर्ड बजट पास न करे तो प्रेसीडेंट सर्टिफाई करदे, अगर बोर्ड कुछ गलत काम करे तो उसको न माने, अगर बोर्ड सही काम न करे तो उसको अपने आर्डर से पास कर दे। तो अल्टीमेटली यह होगा कि अगर डाइरेक्टली इलेक्टड प्रेसीडेंट है और उसको बोर्ड न हटा सके तो बोर्ड की पावर धीरे-धीरे कम होती जायगी और अंत में बोर्ड एक ऐडवाइजरी बाडी की सूरत में रहेगा, उसकी राय प्रेसीडेंट माने या न माने। ऐसी तस्वीर हमारे सामने नहीं है। और हम बोर्ड को जिम्मेदारी देना चाहते हैं, उसकी राय से वहां का इंतजाम हो, ऐसी ही हमारी तस्वीर है।

दूसरी तरफ यह है कि फिर बोर्ड के साथ प्रेसीडेंट हो और मेम्बरों की मेजारिटी प्रेसीडेंट के साथ हो। अगर मेम्बरों की मैजारिटी नहीं है तो बजट नहीं पास होगा, कमेटियां नहीं बनेंगी, बहुत सी रुकावटें होंगी। यह मैं निवेदन कर दूं कि कानून के हिसाब से एक साल तक प्रेसीडेंट जो अब तक थे, निकाले नहीं जा सकते। तो निकाले तो नहीं गये, लेकिन दिक्कतें बहुत आयीं और कामों में म्युनिसिपल बोर्ड्स के बहुत खराबियों रहीं। इसलिये अब इंतजार था लोगों को, और मेरा अंदाजा है बहुत सी जगहें वोट आफ नो कांफीडेंस आने शुरू हो गये हैं और ख्याल है कि काफी प्रेसीडेंट्स को हटना पड़ेगा। तो अगर ऐसी तस्वीर हमारी नहीं बनती और बोर्ड को जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो दूसरा तरीका यह है कि इंगलैन्ड की तरह बोर्ड ही अपना ऐक्जीक्यूटिव चुन ले। पार्लियामेंट अपना प्राइम मिनिस्टर चुनती है। तो बोर्ड जब चुनेगा अपना प्रेसीडेंट, उसके साथ मैजारिटी होगी और वह काम कर सकेगा। तो जो भी काम बोर्ड करना चाहेगा, अच्छा करे, बुरा करे, करने में रुकावट नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तो दिक्कतें हैं झगड़े हैं। यह एक बड़ा सवाल है और यही मुख्य संशोधन है, जो इसमें किया गया है। अब जो भी प्रेसीडेंट हटेंगे, उनको बजाय डाइरेक्ट इलेक्टोरेट के चुनाव न के, वह बोर्ड ही खुद चुन दे। यह इस संशोधन का मुख्य मतलब है।

कुछ गलतफहमी ऐसी थी, हालांकि बहुत वजन नहीं है, कि विधेयक के पास होने से सब प्रेसीडेंट्स हट जायेंगे । मैं कह देना चाहता हूं कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। जो प्रेसीडेंट्स चुने गये हैं वह रहेंगे और जब तक वह हट नहीं जायेंगे किसी कायदे के हिसाब से तब तक उनकी जगहें खाली नहीं होंगी । और जब खाली होंगी, उसी के लिये यह अमेंडमेंट है कि बजाय इसके कि डाइरेक्ट इलेक्टेड हों, बोर्ड खुद चुन लेगा, यह एक मुख्य धारा है ।

दूसरे यह है कि हिसाब रखने के लिये अगर किसी शेड्यूल बैंक में गवर्नमेंट इजाजत दे तो रखा जा सके । अब तक कायदा यह है कि या तो ट्रेजरी में या उसकी ब्रांचेज में या उस बैंक में जिसमें कि ट्रेजरी का हिसाब रहता है, जिसके माने हैं प्रैक्टिकली इम्पीरिअल बैंक आफ इंडिया, उसी में रख सकते हैं और जहां ट्रेजरी या इम्पीरिअल बैंक की ब्रांच न हो वहां शिड्यूल बैंक में गवर्नमेंट की इजाजत से । अब इस संशोधन के बाद यह हो जायगा कि जहां इम्पीरियल बैंक की ब्रांच हो वहां भी अगर गवर्नमेंट की इजाजत से कोई लोकल म्युनिसिपल बोर्ड अपना हिसाब रखना चाहे किसी शिड्यूल बैंक में तो वह रख सकता है । यह है इसमें । बाकी तो बहुत छोटी-छोटी धारायें हैं जिसके बारे में अगर वक्त पर कोई अमेंडमेंट आया तो उस वक्त जिक्र करूंगा । मैं इससे ज्यादा सदन का समय नहीं लेना चाहता । माननीय अध्यक्ष महोदय, और मुझे उम्मीद है कि यह बहुत छोटा सा अमेंडमेंट विधेयक जिसका कि असर म्युनिसिपल बोर्डों पर बहुत काफी पड़ेगा, जितनी जल्दी यह स्वीकार हो जाय उतना ही अच्छा होगा और इस आशा से कि इससे म्युनिसिपल बोर्डों की हालत सुधरे और काम ज्यादा अच्छी तरह से हो सके, मैं यह बिल इस सदन के सामने विचार के लिये रखता हूं ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं नियमावली के नियम १३७ के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को इस सदन के द्वारा नियुक्त एक प्रवर समिति के सम्मुख भेजा जाय जिसका समय तथा सदस्यों के नाम, मैं आपकी आज्ञा से बाद में प्रस्तुत करूंगा ।

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि मैं माननीय मंत्री जी के इस तर्क से सहमत नहीं हो सकता कि यह विधेयक बहुत छोटा सा है या कोई ज्यादा महत्व का नहीं है । मैं तो यह समझता हूं कि यह विधेयक जिसे माननीय मंत्री जी छोटा समझते हैं यह हमारे प्रदेश की शहरी जनता के लिये बहुत ही महत्व का है और केवल प्रदेश की जनता के लिये ही महत्व का नहीं है, जो कि शहरों में रहती है बल्कि सारे स्वायत्त शासन के सिद्धांत पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि इसमें माननीय मंत्री जी ने जो मुख्य परिवर्त्तन किया है वह चेयरमैन के चुनाव से संबंधित है कि भविष्य में किस प्रकार का चुनाव होगा, किस प्रकार उन पर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकेगा और अगर आगे कोई सभापति का चुनाव होगा तो किस प्रकार होगा । ये सिद्धांत जो स्वायत्त शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हैं वह सब इसी विधेयक में आते हैं । श्रीमन्, मैं जब आज माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे कुछ ऐसा लगता था कि जैसे मेरी गुस्ताखी माफ हो—मानो स्वयं उन्हें अपनी उक्ति में, अपनी घोषणा में, या जो कुछ वह कह रहे थे, उसमें विश्वास नहीं था, कन्विक्शन नहीं था । मैं आश्चर्य कर रहा था, मैं विचार कर रहा था, कि आज से एक वर्ष पहले जब इन्हीं माननीय मंत्री जी ने इसी आदरणीय सदन में एक एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिये चुने गये चेयरमैन की पद्धति का बड़ा अच्छा विश्लेषण किया था, मेरे सामने सन् ५२ के ऐक्ट नम्बर, ७ की एक छपी हुयी कापी रखी हुयी है जिसे माननीय मंत्री जी ने लगातार १९ दिन तक इसी सदन में विचार करा के पास कराया था और बड़े कन्विक्शन के साथ और एक बड़ी सुन्दर विचारधारा के साथ कि किस प्रकार बालिग मताधिकार के अनुसार चेयरमैन का चुनाव होगा, किस प्रकार कमेटियां बनेंगी, किस प्रकार काम होगा, यह सब उपस्थित किया था और हमने एक लम्बे वादविवाद के बाद उसे स्वीकार किया था । आज क्या ऐसी परिस्थिति आ पड़ी, क्या ऐसी महान् आवश्यकता आ गयी कि जिसको देखते हुए माननीय मंत्री जी को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

एक साल के ही अन्दर अपने विचारों को बदलना पड़ा और वह उसी नतीजे पर पहुंचे जिस नतीजे पर कि हमारे ब्रिटिश शासक यहां की स्वायत्त शासन प्रणाली को शुरू करते समय आज से कई शताब्दियों पहले यानी ३०-४० वर्ष पहले पहुंचे थे। उसी नतीजे पर आज हमारे माननीय मंत्री जी पहुंचते हैं। श्रीमन्, यह सही है कि बहुत से म्युनिसिपल बोर्डों में बड़ी गुत्थियां सी हो गयी हैं। बहुत जगह डेडलाक क्रियेट हो गया है। माननीय मंत्री जी ने जो कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वह सही हैं। मैं उनकी सत्यता पर अविश्वास करने के लिये नहीं आया हूं। मैं यह नहीं कहता कि आज प्रांत में बहुत से म्युनिसिपल बोर्डस ऐसे हैं जिनके एक तरफ चेयरमैन हैं, लेकिन बहुमत नहीं है। बहुत जगहें ऐसी हैं जिनके चेयरमैन किसी पार्टी के हैं। दूसरी तरफ जो पार्टी के सदस्य हैं उनमें आपस में ऐसा बैलेंस है या गठजोड़ है जिसमें काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं इन सब बातों को मानता हूं। इस कठिन समस्या को सुलझाने के लिये माननीय मंत्री जी ने एकांगी पद्धति अपनायी है बिना सदन की राय लिये। हम भी इस आवश्यकता को महसूस करते हैं, प्रदेश की शहरी जनता भी इस आवश्यकता को महसूस करती होगी, लेकिन इस बात को यानी इस गुत्थी को सुलझाने के लिये क्या यही आवश्यक था? क्या माननीय मंत्री जी के लिये यह अपेक्षित नहीं था कि वह सभी म्युनिसिपल बोर्डों से सुझाव मांगते कि इस गुत्थी का निबटारा कैसे हो?

हमारी नियमावली में एक नियम ऐसा है कि जिसके अनुसार हम इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजते। लेकिन अब समय नहीं रहा, अगर सम्भव होता और हम इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये रिफर कर सकते तो मेरी पहली प्रार्थना यही होती कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय या म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों की राय मांगी जाती। लेकिन अब यह सम्भव नहीं है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने म्युनिसिपल बोर्डों से क्या राय ली। आप यह देखेंगे कि इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि जिम्मेदारी अनुभव करने वाले कितने ही उत्तरदायित्व-जनों से यह सुझाव मिले हैं कि बोर्ड के सुचारु संचालन के लिये सदस्यों द्वारा प्रेसीडेंट का चुना जाना आवश्यक है। श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि यह उत्तरदायित्व जन, रिस्पांसीबिल परसंस कौन हैं। जब माननीय मंत्री जी आंकड़ों की सूची दे रहे थे तो मैं सोच रहा था कि वह उन सज्जनों के नाम बतला सकेंगे कि आखिर यह डिपार्टमेंट ऐक्सपर्टस हैं या फारेन ऐक्सपर्टस हैं, जिन्होंने कहा कि आप अपनी साल भर पहले की राय को बदल दीजिये। लेकिन माननीय मंत्री जी ने नाम नहीं बतलाये। शायद आयंदा भी बतलाना उचित न समझें, गोपनीय हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह कौन हैं जिनकी राय पर आपने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। क्या म्युनिसिपल बोर्डों ने आपको यह राय दी या कांग्रेस पार्टी ने यह राय दी। मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल कांग्रेस पार्टी में ही नहीं बल्कि और बहुत से लोगों में यह गहरा मतभेद है और आज ही नहीं बल्कि बहुत पहले से यह मतभेद चला आ रहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो या इन्डायरेक्ट इलेक्शन हो। लेकिन यह तरीका नहीं है कि सरकार एक बिल लाकर यहां पारित करने के लिये प्रस्तुत कर दे।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि हमने आपके नेतृत्व में १९५० में इस विधान को रचा था कि हम बालिग मताधिकार के अनुसार चेयरमैन का चुनाव करेंगे। इससे पहले साम्राज्यशाही के जमाने में इंडायरेक्ट इलेक्शन की इसमें गुंजाइश थी। लेकिन इसके बाद अध्यक्ष महोदय, पहली कांग्रेस मिनिस्ट्री के जमाने में दो कमेटियां बनायी गयीं और दोनों कमेटियां आपके नाम से मशहूर हैं, 'खेर कमेटी' के नाम से प्रख्यात हैं। एक कमेटी के सदस्य श्री सुल्तान आशम खां आज भी इस सदन के सदस्य हैं। दूसरी कमेटी एक ऐक्सपर्ट की कमेटी बिठायी गयी, जिसको

माननीय मंत्री जी अपने शब्दों में उत्तरादायित्वपूर्ण जन कह सकते हैं। उसमें साठे जैसे एक्सपर्ट थे, आप जैसे एक्सपर्ट थे और भी जिनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस था वे भी उस कमेटी में मौजूद थे और बाहरी लोगों की राय भी उसमें थी। तो अगर आप इस सम्बन्ध में मुझे थोड़ी सी आज्ञा दें, चूंकि यह सिद्धांत का प्रश्न है, तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊं कि जो उन्होंने अपनी दलीलें पेश कीं उनके मुकाबिले में आपकी शक्ति को नहीं डालना चाहता। मैं तो श्री आत्माराम गोविंद खेर की बात कर रहा हूं, जो उस समय स्वशासन मंत्री थे और उस हैसियत से उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनकी बात कहना चाहता हूं। उस कमेटी की रिपोर्ट के पेज ८ पर चेयरमैन के सिद्धांत पर कितने सुन्दर शब्दों में कहा गया है। आपकी आज्ञा से मैं केवल थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं। दुर्भाग्य से अंग्रेजी की ही प्रतिलिपि मेरे पास है, हिन्दी की लायब्रेरी में मिल न सकी। उसका मैं हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा। उसमें लिखा है--

"It has been forcefully brought to our notice that the existing provision relating to the election of Chairman by members has given rise to a lot of dissatisfaction."

यह हम लोगों की नोटिस में बहुत जोरदार तरीके से लाया गया है कि चेयरमैन को मेम्बरों द्वारा एलेक्शन के सम्बन्ध में वर्तमान प्राविजन से बहुत असन्तोष हुआ है।

"It has frequently happened that temptations have been put in the way of members by outsiders who have been interested in influencing the election of a Chairman so that they may be in a position to control the policy of the Board for their own profit."

यह कई बार हुआ है कि मेम्बरों के रास्ते में लालच बाहर के व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार दिया गया है, जो कि चेयरमैनी के चुनाव में असर डालता है और इस प्रकार की स्थिति में अपने को लाते हैं कि वह बोर्ड की नीति को अपने निजी मुनाफे के लिये कंट्रोल कर सकें।

"The evils that have resulted from such practice can better be imagined than described."

इस प्रकार की पद्धति से जो बुराइयां पैदा हुई हैं उनको कहने की अपेक्षा हम कल्पना अधिक कर सकते हैं।

"And it is surprising that really first rate men, who would otherwise be perfectly fit and ready to shoulder the responsibility of Chairman's office, have been shy of coming into the field."

इसके लिये हमको आश्चर्य नहीं है कि, जो काबिल आदमी हैं, जो कि दूसरे तरीके से बिलकुल उपयुक्त होते कि वे चेयरमैन की जिम्मेदारी को सम्हालें उनको मैदान में आने में शर्म आती है।

"The system has also encouraged unhealthy party groupings in a Board and it has often happened that in a contest between two persons a rank outsider was elected as Chairman not because he had confidence of the Members but because he had the cunning to exploit the party differences in his favour."

श्री अध्यक्ष--अब सवा बज गया है। आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व काल में खेर कमेटी के उन उद्धरणों को पढ़ रहा था जो उन्होंने चेयरमैन के चुनाव के सम्बन्ध में अपनी लोकलसेल्फ गवर्नमेंट कमेटी रिपोर्ट में दिये थे।

"The system has also encouraged unhealthy party grouping in a Board and it has often happened that in a contest between two persons a rank

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

outsider was elected Chairman not because he had the confidence of members but because he had the necessary cunning to exploit the party differences in his favour."

इस पद्धति ने यानी मेम्बरों द्वारा चुनाव की पद्धति ने इस प्रकार की पार्टीबन्दी को भी प्रोत्साहन दिया है कि जब कभी दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में चुनाव हुआ है तो एक ऐसा व्यक्ति चेयरमैन चुन लिया गया जो कि बिलकुल बाहर का था इसलिये नहीं कि उसमें विश्वास मेम्बरों का था बल्कि इसलिये कि दलबन्दी के मतभेदों में चालाकी के साथ उनको अपने पक्ष में करने की काबिलियत उसमें थी और उसके यही विश्वास का साधन था।

"The position of a Chairman elected under these conditions has been most unenviable."

इस प्रकार के चेयरमैन की स्थिति, जो ऐसी स्थिति में चुना गया है, अवर्णनीय कही जा सकती है।

"He has to pamper to all sorts of demands of his supporters."

उसे अपने समर्थकों की हर प्रकार की मांग को पूरा करना पड़ता है।

"If he fails, those very members who had previously raised him to the position of Chairman start making fresh alliances with other disgrunted members in order to turn him out of office by means of a no confidence motion or if that is not possible, to obstruct his work at every stage."

अगर वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है यानी सदस्यों की हर प्रकार की मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो वही सदस्य जिन्होंने पहले उसे चेयरमैन बनाया था, वे दूसरी गुटबन्दी करने लगते हैं और दूसरे असंतुष्ट सदस्यों से मिल कर अविश्वास का प्रस्ताव पास करते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उसके काम को हर प्रकार रोकने की चेष्टा करते हैं।

"The Chairman is then forced in his own interest to woo other members and as he possesses lot of patronage he very often succeeds in doing so."

इसलिये चेयरमैन को अपने ही हित में इस बात के लिये मजबूर होना पड़ता है कि चेयरमैन दूसरे सदस्यों को अपने पक्ष में हर प्रकार से करे। चूंकि उसके पास नाना प्रकार के प्रलोभन होते ह, इसलिये वह ऐसा करने में सफल होता है।

"Practically all the energy and time of the Chairman is thus spent in maintaining the strength of his party and the interests of the board are neglected."

इसलिये व्यावहारिक रूप से चेयरमैन की सारी शक्ति और समय अपनी पार्टी की शक्ति को अपने व्यक्तिगत दल की शक्ति को, मजबूत करने में लगता है और बोर्ड के हित समाप्त हो जाते हैं।

श्रीमन्, यह एक विश्लेषण है जो आदरणीय खेर कमेटी ने इस सम्बन्ध में किया था और उस खेर कमेटी में इस विधान सभा के २४ सदस्य उपस्थित थे। जिसमें मिसाल के लिये श्री आत्माराम गोविंद खेर, श्री वेंकटेशनारायण तिवारी, श्री सी०बी० गुप्त, श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री द्वारका प्रसाद, श्री केशवदेव मालवीय, ये तमाम विधान सभा के सदस्य उसमें थे।

इसके बाद जो मैंने दूसरी कमेटी का जिक्र किया, एक्सपर्ट्स कमेटी उसकी रिपोर्ट के भी उद्धरण मेरे पास हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसमें आई० सी० एस० आफिसर्स, जिनको एक्सपर्ट कहा जा सकता है, वे भी मौजूद थे। सभासचिव श्री आत्मा राम गोविंद खेर इसके अध्यक्ष थे। एक्सपर्ट कमेटी की क्या राय है, इसके लिये उसके कुछ उद्धरण पढ़ना चाहता हूं और जिसके लिये मैं सदन से माफी चाहता हूं। मैं ज्यादा इसमें समय न लूंगा और वे उद्धरण डेडलाक के ही सम्बन्ध में हैं।

"We are unanimously of the opinion that some provision should be made to remove the danger of deadlocks between the chairman and the members of local bodies and the majority of us think that the following proposal will, to a large extent, remove this danger."

हम लोग एकमत से इस राय के हैं कि कोई न कोई ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये जिसके द्वारा चेयरमैन और सदस्यों के बीच में जो गुत्थियां उलझ जाती हैं उनको दूर करने के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये। इसलिये निम्न प्रस्ताव की सिफारिश की जाती है, जो बहुत हद तक इस खतरे को दूर कर देगा।

"We recommend that if after any election it is found that the members and the chairman of a local body do not agree together and there is general friction and a deadlock in the local body the chairman should be given power to dissolve the board and a fresh election of members only should be held."

श्रीमन्, देखिये कितना महत्वपूर्ण है। उनकी सिफारिश थी कि चुनाव के बाद अगर यह पाया जाता है कि सदस्यों और चेयरमैन के बीच में एग्रिमेंट नहीं है, वे आपस में एक साथ नहीं चल सकते और बोर्ड के काम में काफी संघर्ष हो रहा है, खींचातानी हो रही है और जिच हो रही है तो चेयरमैन को अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह बोर्ड को भंग कर दे और केवल सदस्यों का ही चुनाव होना चाहिये। यह खेर कमेटी के एक्सपर्ट्स की राय है। आगे इसमें यह है –

"We propose this some what drastic power to be given to the chairman of a local body because, in our opinion, the chairman, who would be returned by the general body of voters, would presumably command greater confidence and therefore entitled to better protection than the members who would be elected on a different basis."

हम इस प्रकार एक और शक्ति चेयरमैन को इसलिये दे रहे हैं चूंकि हमारी राय में चेयरमैन जो कि बालिग मताधिकार के अनुसार चुना जायगा वह मतदाताओं के इस बोर्ड का एक प्रतिनिधि होगा और वह जनता का ज्यादा विश्वासपात्र होगा बजाय सदस्यों के जो दूसरे आधार पर चुने गये हैं।

"But if after the members have been elected after the new dissolution, it is found again that the chairman and the new board cannot agree, then the chairman shall have to resign."

लेकिन नये चुनाव के बाद अगर नये मेम्बर चुने जाते हैं और फिर चेयरमैन और नये मेम्बरों में समझौता नहीं होता तो फिर चेयरमैन को इस्तीफा देना होगा।

"The reason why we make this suggestion is that the members who woulb be newlyelected would presumably appeal to the electorate with special reference to the questions on which the old members had to vacate office."

यह एक दूसरा सुझाव दिया है कि जो नये मेम्बर चुने जायेंगे वे उसी आधार पर चुने जायेंगे जिस आधार पर पुराने बोर्ड के सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा।

"It is, there fore, expected that the electorate would, in the second election return only such members as command their complete confidence."

इसलिये इस बात का विश्वास किया जाता है कि मतदाता दूसरे चुनाव में सही मेम्बरों को भेजेंगे जो उनके पूरे विश्वासपात्र कहे जा सकते हैं।

आगे चल कर एक्सपर्ट कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि अगर फिर चेयरमैन और नये बोर्ड में झगड़ा हुआ तो फिर बोर्ड को डिजाल्व कर देना चाहिये और सारे बोर्ड का चुनाव होना चाहिये। ये तीन निश्चित रायें बहुत लम्बी बहस के बाद एक्सपर्ट्स ने हमारे सामने रक्खीं। खेर कमेटी की रिपोर्ट में यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें ठीक कहा गया है कि जो बालिग मताधिकार के अनुसार चेयरमैन चुने गये हैं वे म्युनिसिपल क्षेत्र के बहुमत के अधिक

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रतिनिधि हैं बजाय सदस्यों के बहुमत के। यह सिद्धांत जो निर्धारित किया गया है यह सिद्धांत एक प्रकार से यों भी जायज माना जा सकता है कि बहुत जगह ऐसा है कि मेम्बर एक पार्टी के चुने गये लेकिन चेयरमैन दूसरी पार्टी का चुना गया। जनता का चेयरमैन पर ज्यादा विश्वास उसके व्यक्तित्व के प्रति ज्यादा विश्वास था। इसलिये सन् ४९ में नो कांफिडेंस मोशन की व्यवस्था की गयी कि अगर एक साल के बाद चेयरमैन डिक्टेटराना ढंग अख्तियार करे तो मेम्बरों को यह अख्तियार दिया गया कि वे अविश्वास का प्रस्ताव ला सकें।पहले नो कांफिडेंस की इस प्रकार से व्यवस्था नहीं थी लेकिन सन् १९४९ ई० में जब इसी सदन में म्युनिसिपल बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर बहस हुयी तो नो कांफिडेंस की व्यवस्था के लिये एक धारा रखी गयी। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि फ्रिक्शन हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज इस विधेयक में इस प्रकार की धारा विद्यमान नहीं है ? आज अगर चेयरमैन डिक्टेटर हो जाता है तो एक साल के अन्दर यदि नो कांफिडेंस आ रहा है तो आखिर वह किस धारा के अन्दर आ रहा है। क्या चेयरमैन के लिये इस विधेयक में ऐसी धारा नहीं है कि जो उसका प्रबन्ध कर सके। अगर माननीय मंत्री जी इस म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट की धारा ८७ को देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि उसमें नो कांफिडेंस के मुताबिक पूरा प्राविजन मौजूद है। नो कांफिडेंस इसी धारा के मुताबिक हो रहा है। यदि बहुमत गड़बड़ करता है तो माननीय मंत्री जी को धारा ३० के अनुसार अधिकार मिला हुआ है कि वह बोर्ड को डिजाल्व कर सकतेहैं। मेम्बरों का चुनाव हो सकता है। उन्होंने आज तक बालिग मताधिकार के चुनाव को स्वीकार किया है लेकिन उन्होंने चेक और बैलेन्स का तरीका रखा है। चेक और बैलेन्स के तरीके को उन्होंने २५ नवम्बर, सन् १९४८ ई० को बतलाया था कि जहां तक कि नो कांफिडेंस मोशन की बात कही गयी है वह इसमें नहीं आना चाहिये क्योंकि वह लोग तो जनता के ही चुने हुये होंगे। इस पर भी हमने काफी गौर किया है और हमने यह समझा है कि अगर यहां भी वही कैबिनेट सिस्टम रख दें तो उससे हमें कोई लाभ होने की आशा नहीं है। मुमकिन है कि पब्लिक के जो नुमायन्दे हैं वह अपने को जनता के नुमायन्दा होने की वजह से डिक्टेटर न बना लें और उस अधिकार का दुरुपयोग न करें क्योंकि वह डायरेक्ट एलेक्शन से आते हैं। यहां पर जितने भी एलेक्शन होते हैं उनमें बहुमत पार्टी की सरकार बनती है लेकिन वहां पर जहां अमेरिकन सिस्टम चल रहा है खतरे से बचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा न हो कि छोटी छोटी जगहों में डिक्टेटर बन जायं क्योंकि वह अपनी मनमानी करेंगे और कोई नियंत्रण उन पर न रह सकेगा।इसलिये हमने यह एक नया नो कांफिडेंस मोशन का तरीका रखा है और इससे नियंत्रण भी रहता है और नाजायज तौर से उनको दबाया भी नहीं जा सकता। प्रेसीडेंट को अधिकार होगा कि जो नो कांफिडेंस मोशन आवे और उसमें यह हो कि तुम पर पब्लिक को कांफिडेंस नहीं है तो वह लिखे कि मेरी भी राय है और इसलिये मैं सरकार से सिफारिश करता हूं कि उसे बरखास्त किया जाय। इसलिये हमने यह चेक और बैलेंस का तरीका इसमें रखा है और ऐसी हालत में मामूली तौर से जल्दी जल्दी नो कांफिडेंस मोशन नहीं आ सकते क्योंकि अगर आते हैं तो उसमें सब को एक दूसरे से खतरा है। चेयरमैन को भी खतरा रहेगा कि वह ऐसी सिफारिश न करे कि बोर्ड को बरखास्त कर दिया जाय क्योंकि उसको तो खुद ही खतरा रहेगा। इसलिये मैंने चेक और बैलेंस का तरीका रखा है।

इतने समय तक विचार करने के बाद म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर नये चुनाव की प्रणाली को स्वीकार आप करते हैं लेकिन उस १० साल के विचार को आज हमारी कांग्रेस सरकार अपनी लेखनी की एक झनकार से बदल देना चाहती है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से क्या कहूं। मैं मजबूर हूं इस बात के लिये कि उनकी सेवा में एक और कोटेशन दूं जो उन्होंने २४ नवम्बर, सन् १९४८ ई० को बालिग मताधिकार के सम्बन्ध में कहा था। "एक और सुधार जो किय गया है वह चेयरमैन के चुनाव के बारे में है। अब तक जो चेयरमैन का चुनाव होता था वह मेम्बर करते थे जिसका

नतीजा यह होता था कि मेम्बर थोड़ी तादाद में होने के कारण कहीं कहीं यह भी पाया गया कि उन पर या तो नाजायज दबाव डालकर या रिश्वत देकर वोट प्राप्त कर लेते थे। इस विधान में हम ऐसा परिवर्तन कर देना चाहते हैं कि जो चेयरमैन चुना जाय उसके लिये मुमकिन ही न हो सके कि वह किसी तरह से जोर डालकर या रुपये के जोर से वोट हासिल कर सके एक नहीं बल्कि हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं जिससे यह साबित होता है कि बालिग मताधिकार के सिद्धांत को हमने कितनी बुलन्दी के साथ स्वीकार किया है। तो आज उसे ठुकराना एक आसान बात नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी को वह बात याद नहीं है जबकि बोर्ड में पार्टी का आधार चलता ही नहीं था? राजनीतिक प्रोग्राम पर कोई बोर्ड काम करता ही नहीं था बल्कि वैयक्तिक और जातीयता के आधार पर सारे चुनाव होते थे और बोर्डों के चेयरमैन बदले जाते थे। क्या यह सही नहीं है कि बहुत से बोर्डों को इसीलिये सुपरसीड करना पड़ा था? और देशों के बारे में वह कह सकते हैं। इंगलैन्ड में सही है कि इनडाइरेक्ट इलैक्शन पर मेयर का चुनाव करते हैं लेकिन क्या यह सही नहीं है कि वहां मेयर की अवधि केवल १ साल तक होती है? मेरे पास इंगलैन्ड का लोकलसैल्फ गवर्नमेंट ऐक्ट है जहां मेयर का चुनाव केवल एक साल के लिये लिखा है और वह एक साल की अवधि इसलिये रखी गयी है कि कोई चेयरमैन डिक्टेटर न हो सके। हैक्सल्स लोकल गवर्नमेंट के पेज ४८४ में है कि "The Mayor has to be elected annually by the Borough and from among the eldermen or councillors of the Borough or persons qualified to be eldermen or councillors of the Borough," और माननीय मंत्री जी उसे लगातार पूरी अवधि देना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि जब बोर्ड के मेम्बरों को जनता से चुने जाने का अधिकार आप देते हैं तो चेयरमैन को दूर क्यों हटाते हैं? माननीय मंत्री जी इस बात को भूल जाते हैं कि प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत क्या है। क्या अमरीका में ऐसा नहीं है कि लोग अपने प्रेसीडेंट का भी नाम पहले एनाउन्स कर देते हैं इसलिये प्रेसीडेंट का नाम जनता पहले ही से जानती है कि अगर हम इस मेम्बर को राय देंगे तो फलां सीनेटर को वोट देंगे, तो वह आगे फलां आदमी को प्रेसीडेंट के लिये वोट देगा। इसलिये वह एक प्रकार से डाइरेक्ट एलेक्शन होता है। अगर ऐसा न भी हो तो वहां की जनता को इस बात का अधिकार देना कि वह किसको चेयरमैन चुने, यह कोई ऐसा गलत सिद्धांत नहीं होगा जिसे माननीय मंत्री जी इतनी जल्दी हीन प्राय घोषित करें।

मैं यह नहीं कहता कि आप इस पर विचार न करें, इस जिंच के प्रश्न पर विचार न करें। मैं तो केवल यह कहता हूं कि सरकार इस सदन को मौका दे कि हम प्रवर समिति में इस पर विचार करें। इस सदन के आदरणीय सदस्य बैठें, तमाम बातों को देखें, माननीय मंत्री जी और दूसरे एक्सपर्टस की सलाह लें, इस सदन के मेम्बरों को जो अपने निजी तजुर्बे हैं अलग-अलग बोर्डों के, उनकी सलाह लें और अगर गवाहियों की आवश्यकता हो तो उन्हें प्राप्त करें। इसके बाद अगर इंगलैन्ड का तरीका अच्छा लगे तो उसे अपनावें या अमरीका की चुनाव पद्धति अपनाना चाहते हैं तो उसे देखें। अगर कोई नया रास्ता निकालना चाहते हैं तो उसे देखें। अगर खेर कमेटी की रिपोर्ट अच्छी लगे तो उसे अपना लें। लेकिन एक दम बिना सदन की और म्युनिसिपल बोर्डों की राय लिये आमूल परिवर्तन किया जाय, यह उपयुक्त नहीं है। आज इस प्रदेश में एक भावना दृढ़ हो रही है, और शायद माननीय मंत्री जी मेरी गुस्ताखी माफ करें और वह धारणा यह है कि सरकार बहुमत के हित को ध्यान में रखते हुए एक साल के अन्दर इस प्रकार की रद्दोबदल करने जा रही है। क्योंकि यह सर्व विदित है कि माननीय मंत्री जी जिस पार्टी में हैं उस पार्टी को अधिक सफलता नहीं मिली, सदस्यों के चुनाव में और चेयरमैन के चुनाव में और उसका उनको आगे भी बहुत भरोसा नहीं है। ऐसी बहुत से लोगों की धारणा है और मेरी भी है। और माननीय मंत्री जी इस शिकायत से बच नहीं सकते हैं और उन्हें जनता की इस शिकायत को दूर करने के लिये यत्न करना होगा कि बिना किसी आधार के उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि उत्तरदायित्वपूर्ण जनता ने उनसे यह कहा तो मुझसे भी ऐसे ही लोगों ने कहा कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार से इनडायरेक्टली

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अपनी पार्टी का बहुमत करना चाहते हैं और येनकेनप्रकारेण वे चेयरमैन और मेम्बरों को अपनी पार्टी का सदस्य बना लेंगे नहीं तो उनके काम में रुकावट पड़ेगी क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है म्युनिसिपल बोर्डों को उनकी पार्टी के आधार पर चलना होगा। इसलिये सरकार को इस बात से बचना होगा कि पहले सामने एक नक्शा रख कर फिर इस विधेयक को लाया गया है। साथ ही साथ इसमें एक बात और अस्वाभाविक रक्खी गयी है वह यह है कि अविश्वास के प्रस्ताव में का जो तरीका पहले था उसको बदल दिया गया है। पहले अविश्वास के प्रस्ताव के करने में एक साल का समय था और अब भी एक साल का समय है लेकिन इसमें माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि अगर अविश्वास का प्रस्ताव बोर्ड प्रेसीडेंट के विरुद्ध पास कर दे तो उसको तीन दिन के अन्दर इस्तीफा देना होगा। अगर वह नहीं देता है तो स्टेट गवर्नमेंट फौरन उसको निकाल देगी, एक नोटीफिकेशन निकाल कर। पुरानी धारा ८७ को अगर आप देखें तो उसमें भी बिलकुल यही बात मिलेगी कि सरकार उसको निकालेगी। लेकिन उसमें इस्तीफा देने की बात इस प्रकार से है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक मीटिंग बुलाता है या किसी जुडीशियल आफिसर को वहाँ भेजता है। उस जुडिशियल आफिसर के सामने वह अविश्वास का प्रस्ताव पास होता है ताकि कोई यह न कह सके कि नो कांफिडेंस मोशन लाने में कोई नाजायज तरीका बरता गया है या कोई ऐसी बात तो नहीं की जाती जिससे चेयरमैन के पक्ष में या विपक्ष में वोट देने में असर पड़ता हो। इसलिये पुरानी धारा ८७ बहुत सोच समझ कर रक्खी गयी थी। जुडीशियल आफिसर के सामने अविश्वास का प्रस्ताव पास होने की एक बहुत अच्छी योजना बनायी गयी थी ताकि जनता में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे और वह यह जान सके कि अविश्वास का प्रस्ताव एक सही वातावरण में पास किया था या नाकामयाब हुआ था। उस धारा ८७ में १५ उपधारायें थीं। अब उन सबके स्थान पर माननीय मंत्री जी ने जो धारायें रक्खी हैं उनको देखने से आश्चर्य होता है और ऐसा मालूम होता है कि अगर प्रेसीडेंट तीन दिन के भीतर इस्तीफा नहीं देता है तो उसको किस प्रकार से हटाना होगा ; इसलिये मुझे इस नयी प्रणाली से बुनियादी ऐतराज है। माननीय मंत्री जी ने कोई कारण नहीं बतलाया कि क्यों उन्होंने इस प्रणाली को रक्खा है। श्रीमन्, क्योंकि यह एक सिद्धांत का विषय है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा उनसे अपील करूंगा, एक विरोधी के नाते नहीं बल्कि एक नागरिक क नाते कि म्युनिसिपल शासन को देखते हुए, इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए वे प्रवर समिति के सामने जाने दें ताकि वहां शांति के दृष्टिकोण से, निष्पक्षता के दृष्टिकोण से, सब की राय लेकर इस जिच को दूर करने की संभावना पर विचार किया जा सके।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--जनाब डिप्टी स्पीकर महोदय, जो बिल इस वक्त हमारे सामने है वह उन दिक्कतों की बुनियाद पर बना है जो गुजिश्ता साल में म्युनिसिपैलिटियों के जनरल एलेक्शन के बाद पेश आयी हैं। हमें याद है कि जब पिछला बिल बनाया जा रहा था तो बहुत बहस मुबाहसे के बाद यह चीज रखी गयी थी कि प्रेसिडेंट का एलेक्शन डाइरेक्ट हो। इसके अलावा कुछ और भी तब्दीलियां इस नये बिल के जरिये की गयी हैं जिनके मुताल्लिक मैं बाद में अर्ज करूंगा लेकिन सब से ज्यादा इम्पार्टेंट और सब से ज्यादा जरूरी जो चीज इस बिल के अन्दर रखी गयी है वह यही है कि प्रेसीडेंट का एलेक्शन डाइरेक्ट न हो कर इनडाइरेक्ट किया जाय। जनाबवाला, इसकी एक लम्बी तवारीख है और उस तवारीख को मेरे दोस्त नारायण दत्त जी ने बड़ी खूबी के साथ दोहराया है। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि सन् १९३८ ई० में जब कि लोकलसेल्फ गवर्नमेंट कमेटी इस सूबे के अन्दर बनायी गयी थी, उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनायी गयी, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी का मुझे भी मेम्बर रहने का काफी फख्र हासिल रहा उस लोकल सेल्फ गवनमेंट कमेटी में इस मसले पर काफी गौर हुआ और बिलआखिर यही बात उस वक्त तय हुई कि प्रेसिडेंट का ऐलेक्शन, लोकल बाडीज का ख्वाह वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, या म्युनिसिपैलिटी हो या ग्राम पंचायत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो या टाउन एरिया हो, उसको डाइरेक्ट कर दिया जाय। लेकिन लोकलसेल्फ गवर्नमेंट की वह रिपोर्ट गवर्नमेंट के रिजाइन कर देने के बाद और लड़ाई के शुरू हो जाने से कोल्ड स्टोरेज में रख दी गयी और उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया जा सका। सन् ४६ में जब कि मौजूदा पोपुलर गवर्नमेंट फिर हुकूमत बन कर इस सूबे में आयी तो वह रिपोर्ट निकाली गयी और उसके ऊपर अज़सरे नौ गौर हुआ और उसी के मातहत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट का अमेंडमेंट हुआ और म्युनिसिपैलिटीज़ का यह ऐक्ट जिसके मातहत पिछला इन्तखाब हुआ वह भी उसी के मातहत बना। जनाबवाला, मैं यह बात अगर अर्ज़ करूं तो बेजा न होगा कि जिस वक्त लोकलसेल्फ गवर्नमेंट कमेटी के सामने यह मसला आया तो मैं जाती तौर पर इस बात से मुत्तफिक न था कि प्रेसीडेंट के एलेक्शन को डाइरेक्ट बनाया जाय। मैं यह सोचता था कि अगर प्रेसीडेंट का एलेक्शन डाइरेक्ट बनाया गया तो बाद में बहुत सी दिक्क़तें और दुश्वारियां सामने आयेंगी और सब से बड़ी दिक्क़त और दुश्वारी जो आयेगी वह यह होगी कि यह मुमकिन हो सकता है कि प्रेसीडेंट एक पार्टी का मुन्तखिब हो कर आये और कसरत मेम्बरान दूसरी पार्टी के मुन्तखिब हो कर आयें। और अगर यह चीज़ हो गयी तो उसका नतीजा यह होगा कि मुस्तकिल तौर पर डेडलाक रहेगा और लोकल बाडीज के वेस्ट इन्टरेस्ट में यह तरीका कभी भी कामयाब नहीं होगा। लेकिन मेरी आवाज़ उस वक्त बिल्कुल वैसी आवाज थी जैसी नक्कारखाने में तूती की आवाज कही जा सकती है। बहरहाल, मेजारिटी ने एक फैसला लिया और उस फैसले के मातहत आयन्दा कानून बनते रहे।

जनाबवाला, मैंने उस वक्त इस बात पर भी जोर दिया था कि इनडाइरेक्ट एलेक्शन प्रेसीडेंट का अगर रखा जाय तो उसके साथ साथ इस बात पर भी गौर किया जाय कि प्रेसीडेंट की पोजीशन को कहां तक सेक्योर बनाया जाय और कहां तक उसे इस काबिल बनाया जाय कि वह किसी तरह की शरारत का काम न कर सके। मैंने उस वक्त यह भी अर्ज़ किया था कि अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ नो कंफिडेंस मोशन को निकाल दिया जाय और उसे न रखा जाय तो ज्यादा बेहतर है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने शुरू में फरमाया था मैंने एक तजवीज और भी रखी थी कि ग्रोट आफ नो कैंफिडेंस को निकाल दिया जाय लेकिन उसके साथ बोर्ड के प्रेसीडेंट की मियाद बतायी जाय तीन साल या चार साल के एक साल की कर दी जाय। अगर बोर्ड का कोई प्रेसीडेंट कोई फेल करेगा तो बोर्ड के इंटरेस्ट में उसे निकाल दिया जायगा और फिर हर साल बोर्ड के प्रेसीडेंट का चुनाव होता रहेगा। इस तरह से कोई भी शरारत का काम करने की हिम्मत भी नहीं करेगा और जैसी दिक्क़त और दुश्वारियां हर साल सामने आती हैं वे भी नहीं आयेंगी। अगर हर साल प्रेसीडेंट एलेक्ट किया जाय तो यह तजुर्बा ज्यादा मुफीद हो सकता है। बहरहाल यह तवारीख थी और दास्तान थी जिसको मैंने दोहरा दिया। अब सवाल यह है कि जो मौजूदा हालत है, जो मौजूदा स्थिति है उसमें हमको क्या करना है? इसमें कोई शक नहीं कि जनरल एलेक्शन के बाद बहुत सी म्युनिसिपैलिटियों की हालत बहुत खराब हो गयी। बहुत जगह डेडलाक पैदा हो गया। मंत्री जी ने जो लम्बी लिस्ट सुनाई उससे मालूम होता है कि किस तरह से म्युनिसिपैलिटीज़ का काम उन जगहों में कामयाबी से नहीं चल रहा है और दुश्वारियां हो रही हैं। अब सवाल यह होता है कि उन दिक्कतों को दूर करने का क्या तरीका हो सकता है या यही मुनासिब होगा कि म्युनिसिपैलिटीज़ को इसी हालत में छोड़ दिया जाय या कोई तरीका उनको सही हालत में लाने के लिये निकाला जाय। मैं समझता हूं कि जहाँ तक पालिटिक्स का ताल्लुक है और जहां तक बिलखसूस एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है चाहे वह म्युनिसिपिल बोर्ड का हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो, सूबे का हो या सेन्टर का हो उसको हम सेन्टीमेन्ट्स से बाहर रखें और एक प्रेक्टिकल व्यू से देखें तो मुनासिब होगा। बज़ाहिर देखने में तो बहुत सी चीजें अच्छी मालूम होती हैं और मैं समझता हूं कि हमें भी अपने कांस्टीटयूशन में ऐसी चीजें लानी चाहिये जो दूसरे तरक्कीयाफ्ता मुल्कों में रायज हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि आया अगर हम वह पोजीशन अपने यहां लाते हैं तो हम उसमें कामयाब हो सकते हैं या नहीं। अगर हम

[श्री सुल्तान आलम खां]

रूस के कांस्टीट्यूशन को देखें तो वहां एक और खास चीज भी है जो हमें अपने कांस्टीट्यूशन में नहीं मिलती। जहां वहां मेम्बरों को एलेक्ट कर के कौंसिल या असेम्बली में भेजने का हक़ है वहां पर उन्हें यह भी हक़ है कि वह उनको हटा सकें, एडल्ट फ्रेन्चाइज पर वहां प्रेसीडेंट का चुनाव होता है और अगर फ्रिक्शन होता है तो फिर जनता पर छोड़ दिया जाता है कि वह जो चाहे करे। लेकिन हमें देखना यह है कि हमारे मुल्क के हालत क्या हैं। हमारे मुल्क में अभी मास एजूकेशन नहीं है और लोग अभी अपने वोट को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम जरा गौर से देखें तो पता लग सकता है कि इसका सही इलाज इस वक्त क्या है। यह हो सकता है कि हम प्रोग्रेसिब होने के लिये एक बोल्ड एक्सपेरीमेंट करने के लिये आगे बढ़े थे लेकिन अब हमें मानना पड़ेगा कि वह एक्सपेरीमेंट नाकामयाब रहा है। मैं मंत्री जी को इसके लिये बधाई दूंगा कि साल भर अच्छी तरह से गौर करने के बाद उन्होंने यह फैसला किया और समझा कि वह स्टेप जो उठाया था वह अभी कामयाब नहीं हो सकता है।

जनाब नारायण दत्त जी ने अपनी तकरीर में माननीय खेर साहब की तकरीरें सुनाईं म मानता हूं कि उनकी तकरीरें अपनी जगह पर ठीक थीं लेकिन इस बदलती हुई दुनियां में कोई आइडियालाजी नहीं हो सकती जो हमेशा कायम रहे। इससे कोई शख्स इन्कार नहीं कर सकता कि अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव अपनी जगह पर ठीक नहीं है और एक कदम आगे बढ़ कर उस बोल्ड एक्सपेरीमेंट को किया गया, वह सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही नहीं बल्कि सब की तरफ से हुआ और सभी ने इस एलेक्शन में हिस्सा लिया और उसी आधार पर वह एलेक्शन हुये जो कानून यहां पास हुआ था। फिर भी अगर हम अपने दिल को टटोलें तो हम यह महसूस करेंगे कि जो तरीका बनाया गया था वह बेहतर जरूर था और डेमोक्रेटिक तरीकों में सब से बेहतर तरीका था लेकिन हमें यह गौर करना है कि वह फेल क्यों हो गया। अगर हम इसकी वजह पर गौर करें तो वजह सब से बड़ी यह है कि अभी मुल्क इसके लिये तैयार नहीं था, मुल्क में अभी मास एजूकेशन नहीं थी और अभी जनता राइट आफ वोट को कम समझती है। दूसरे हमारे यहां का लीडरशिप भी लोगों को एक्सप्लायट करने की गलत कोशिश अक्सर करती है और जिसकी वजह से दिक्कतें और दुश्वारियां होती हैं और जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारा वह एक्सपेरीमेन्ट फेल हो गया। आज हम इस लिये यहां बैठे हैं कि हम इन तमाम मसलों पर गौर करें कि हमें आगे क्या तरीका अपनाना है। जहां तक मेरा ख्याल है, मेरी यह राय है और शायद सही राय है कि आज हमें डायरेक्ट एलेक्शन का जो तरीका है वह खत्म कर देना चाहिये और प्रेसीडेंट का एलेक्शन इन्डायरेक्ट तरीके से होना चाहिये। हमारे सामने एक तरफ तो यह सवाल है कि कहां तक यह डेमोक्रेटिक वे है और दूसरी तरफ हमारे सामने डेमोक्रेटिक क्वेश्चन है। मैं समझता हूं कि इनडाइरेक्ट तरीके से एलेक्शन किया जाय और वह इन्डाइरेक्ट तौर से एलेक्ट हुआ प्रेसीडेंट एलेक्ट होने के बाद बोर्ड का काम सही तौर पर करे और ज्यादा से ज्यादा वक्त जनता के काम में सर्फ करे, जाती गरज से उस काम को कर रहा है ऐसा समझ कर न करे बल्कि यह समझ कर करे, बल्कि इस गरज से करे कि वह जिस काम के लिये मामूर हुआ है वह पब्लिक इंटरेस्ट का काम है। तो मुझे यकीन है कि इस तरीके पर एलेक्ट किया हुआ चेयरमैन भी ज्यादा बेहतर काम कर सकता है बनिस्बत उस चेयरमैन के जो डाइरेक्ट तौर पर एलेक्ट हुआ हो।

जनाबवाला, इस बिल के अन्दर जो बहस की गयी है उसमें एक चीज यह भी कही गई कि हिन्दुस्तान के प्रेसीडेंट का एलेक्शन तो ३८ करोड़ आदमियों का एलेक्शन था और इसलिये उसको डाइरेक्ट एलेक्शन नहीं बनाया जा सका। मैं इस बात को तो नहीं मान सकता कि ३८ करोड़ वोटर्स हैं। ऐडल्ट फ्रेन्चाइज में तो ५० परसेंट वोटर्स होते हैं। इसलिये यहां १७ या १८ करोड़ वोटर्स थे और वह प्रेसीडेंट को डाइरेक्ट एलेक्शन से

चुन सकत थे लेकिन हमारे यहां के कांस्टीट्यूशन मेकर्स ने, उन लोगों ने जिनके हाथ में कांस्टीट्यूशन बनाने का काम था, यही मुनासिब समझा कि प्रेसीडेंट का इलेक्शन इन्डाइरेक्ट ही रहे। अब इसके मुताल्लिक यह बहस कि वह सही था या सही नहीं था यह मुकाम उसके लिये नहीं है। बहरहाल यह बात सही है कि हमारा प्रेसीडेंट, जो हिन्दुस्तान का फर्स्ट सिटीजन है उसका एलेक्शन इन्डाइरेक्ट होता है और वह जब इन्डाइरेक्ट एलेक्ट होता है तो कोई वजह नहीं है कि म्यूनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के प्रेसीडेंट्स का एलेक्शन इन्डाइरेक्ट न रखा जाय और महज इस वजह से कि वह इन्डाइरेक्ट एलेक्ट किया हुआ होगा इसलिये वह बेहतर काम नहीं कर सकेगा मुनासिब नहीं है। इन्डाइरेक्ट तौर पर चुना हुआ प्रेसीडेंट भी बहुत ज्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकता है बनिस्बत उस प्रेसीडेंट के जो डाइरेक्ट चुना हुआ हो बशर्ते वह जनता के इंटरेस्ट को सामने रख कर काम करता है। बहर हाल इस चीज का फैसला करते वक्त हमें जजबात से काम लेना नहीं है बल्कि हमें अपने सामने ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को रखना है और हमें यह भी देखना है कि जो एक बड़ा बोल्ड एक्सपेरीमेन्ट हुआ है और जो नाकामयाब हो चुका है उससे हम क्या सबक लेते हैं। ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि अगर हम इस वक्त इस तरीके को सामने लाते हैं तो यह तरीका ऐसा नहीं है जिसको रद्द कर दिया जाय। इस पर गौर करने की जरूरत है। इस पर बहुत सोचने विचारने की जरूरत है। मुल्क की मौजूदा हालत में यह तरमीमी बिल मंजूर होना चाहिये।

जनाब वाला, इस बिल के अन्दर इसके अलावा और बहुत सी छोटी छोटी तरमीमें भी रखी गयी हैं और वह तरमीमें ऐसी नहीं हैं जिन पर कुछ ज्यादा वक्त दिया जाय। एक चीज जो मैं इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं वह यह कि जो बिल आया है उसके अन्दर यह बात लिखी हुई है कि प्रेसीडेंट का एलेक्शन सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के जरिये से किया जायगा। जनाब वाला, इस चीज को अच्छी तरीके से समझा नहीं गया है। यह एलेक्शन किस तरीके से ज्यादा अच्छा और ज्यादा कामयाब हो सकेगा। मैं मुनासिब समझता हूं कि एलेक्शन खुला हुआ होना चाहिये और सही है कि उस एलेक्शन में यह तरीका रखा जाय कि फर्ज कीजिये कि ४ नाम प्रपोज होते हैं और पहले ४ पर वोट लिये जायं। जिस पर सब से कम वोट हो उनको रिमूव कर दिया जाय। उसके बाद अब तीन पर वोट लिये जायं और जिसके सब से कम वोट हों उसको छोड़ दिया जाय। उसके बाद तीसरी बार जो लोग बचते हैं उनको वोट पर रखा जाय, उनमें से जिसके वोट ज्यादा हों उसी को कामयाब माना जाय। हो सकता है यह तरीका ऐसा हो कि ज्यादा लम्बा हो लेकिन मैं समझता हूं कि यही मुनासिब तरीका है कि खुला हुआ वोट लिया जाय। खुले वोट देने में यह दिक्कत हो सकती है कि लोग बहक जायं, पार्टियां उन्हें तोड़ लें लेकिन ऐसा सोचना हमारे उन मेम्बरों की तौहीन करना है कि जिनके हाथ में वोटिंग का काम है। जब हमें अपनी जनता में पूरा विश्वास है और इतमिनान है कि वह सही आदमियों को ही एलेक्ट करेगी तो हमें यह भी इतमिनान करना चाहिये कि जिस शख्स को जनता ने अपना रिप्रेजेन्टेटिव चुन कर, बना कर भेजा है सही तरीके पर वह अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। मैं यह इसलिये सोच रहा था कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट का जो तरीका है वह इतना पेचीदा है कि वह आसानी से जनता की समझ में न आयेगा और अगर वह समझ में नहीं आया तो बड़ी दिक्कत पैदा होगी। लेकिन अगर खुला हुआ तरीका हो तो वह आसान होगा और उसे हर एक समझ लेगा और बगैर किसी दिक्कत के, दुश्वारी के एलेक्शन हो सकता है।

मेरे दोस्त नारायणदत्त जी ने एक बात फरमाई। अपनी तकरीर में उन्होंने बतलाया कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय और सेलेक्ट कमेटी इस पर गौर करे। अगर सेलेक्ट कमेटी के सामने यह बिल जाता तो मुझे एतराज नहीं था। वह भी गौर कर लेती, लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम इस स्टेज पर पहुंच गये हैं कि कौंसिल ने इस बिल को पास कर दिया है और यह भी वाकया है कि इसकी बहुत जरूरत है और जो बोर्ड के अन्दर

[श्री सुल्तान आलम खां]

खराबियां पैदा हो गई हैं उनको बहुत जल्द से जल्द दूर करना है इसकी मदद से तो मैं समझता हूं कि यह बहुत लेट स्टेज है कि हम इस बिल को किसी सेलेक्ट कमेटी के सामने गौर करने के लिये भेजें। सही है कि जब सेलेक्ट कमेटी के सामने यह बिल जाता तो इस हाउस के मेम्बरों को उस पर गौर करने का मौका मिलता और वहां ज्यादा अच्छी तरह और शुरू से बैठ कर इस पर गौर किया जाता लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया अब, जब कि यह बिल इस मंजिल पर आ पहुंचा है, इसको यहीं पर खत्म करने की जरूरत है। जो मेम्बर वहां बैठ कर गौर करते वही मेम्बर साहबान यहां पर इस पर गौर करेंगे और यह उन्हीं की राय से पास होगा और मैं समझता हूं कि यह किसी के ऊपर लादा नहीं जा सकता। यह बिल तो इस हाउस की अक्सरियत राय से ही पास हो सकता है। मैं समझता हूं कि इसको पास करने में जल्दी की जायगी इसलिये जाहिर बात है और यह जरूरी है कि उनका इलाज जल्द से जल्द हो क्योंकि अगर इलाज जल्दी से जल्दी न हुआ तो म्युनिसिपैलिटियों की हालत खराब होती जायगी और उनका इन्तजाम खराब होगा और मैं समझता हूं कि यहां बैठे सभी मेम्बरान चाहेंगे कि म्युनिसिपैलिटियों के इन्तजाम को जल्दी से जल्दी बेहतर बनाया जाय और उनकी जो भी खराबियां हैं उनको दूर किया जाय।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो छोटा सा बिल भवन के सामने प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। इसका विरोध करते हुये माननीय तिवारी जी ने जो भाषण दिया उसे मैंने बड़े ध्यान से सुना। मुझे खुद भी इस बात का थोड़ा सा दुख हुआ कि इतनी जल्दी हमको एक ऐसे बिल को इस भवन के सामने लाने की आवश्यकता पड़ी। जहां तक सवाल इस बात का है कि प्रेसीडेंट का चुनाव डाइरेक्ट हो या इन्डाइरेक्ट हो, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर कोई दो ओपीनियन (रायें) हो सकती हैं ऐसी बात समझ में आती है। मैं नहीं समझता हूं कि डाइरेक्ट चुनाव होना ज्यादा डेमोक्रेटिक है लेकिन इस एक्सपेरीमेंट को किया और उस एक्सपेरीमेन्ट को करने के बाद जो आज हमारी परिस्थिति है म्युनिसिपैलिटियों की , जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि २२ म्युनिपैलिटियां ऐसी हैं और उससे भी अधिक जहां मेम्बर भी अध्यक्ष भिन्न-दलों के हैं म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हैं जिनमें एक डेड लाक पैदा हो गया है , स्थिति यह है कि संभव है कि आगामी बजट भी म्युनिसिपैलिटियों का पास न हो। इस परिस्थिति में एक दम किस तरह उस परेशानी को हम दूर करें, यह प्रश्न आज सरकार के सामने था। यह इतने महत्व की बात नहीं थी इस समय कि चुनाव डाइरेक्ट हो या इन्डाइरेक्ट हो। खुद सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि हम चेयरमैन का चुनाव डाइरेक्ट करवायेंगे और करवाया भी। मगर जो अनुभव हुआ उससे यह महसूस हुआ कि शायद हमारा एक्सपेरीमेंट ज्यादा कामयाब नहीं था। डाइरेक्ट इलेक्शन के सिलसिले में जैसा मंत्री जी ने कहा कि या तो यह होना चाहिये था कि चेयरमैन को इतने पावर्स दी जाती कि वह अपने बोर्ड को सस्पेंड कर सकता या किसी भी स्थिति में उसके विरुद्ध वोट आफ नो कान्फीडेंस पास न हो सकता था। परन्तु ऐसी स्थिति जो हमारा मौजूदा ऐक्ट है उसके अन्दर नहीं है। यदि माननीय नारायण दत्त जी इस बात को कहते कि वह हर सूरत में डाइरेक्ट चुनाव के फ़ेवर में हैं, मैं यह समझ सकता था कि यह उनकी ईमानदाराना राय है, मगर जो उन्होंने दलीलें दीं उसमें कोई विशेष तर्क नहीं दिया था। जहां तक खेर कमेटी का सम्बन्ध है, श्रीमन्, मेरा अनुभव है कि किसी भी कमेटी की रिपोर्ट अगर इस सरकार की तरफ से छपाई जाय तो दो महीने के बाद वह इतनी सेक्रेड हो जाती है , उसकी इतनी सैंक्टिटी हो जाती है कि कम से कम हमारे मित्र तिवारी जी के लिये, कि उसका एक एक अक्षर उनको ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे वह आखिरी है। खैर जो भी हो, उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी का बहुमत हर जगह नहीं आया इसीलिये इस मेल की आवश्यकता पड़ी। क्या मैं

निहायत अदब के साथ अपने साथी तिवारी जी से पूंछ सकता हूं कि उनकी पार्टी के कितने मेम्बर कितने म्युनिसिपैलिटीज में आये उनका कितना पर्सेंटेज है? तो इस तरह की बात मेरी समझ में नहीं आती। उन्होंने यह भी आक्षेप किया कि कांग्रेस पार्टी, और खास तौर से कांग्रेस सरकार की यह नियत हो सकती है कि वह इस कानून को ला कर अपना बहुमत बनाना चाहती है। अगर कांग्रेस सरकार की यही इच्छा होती तब जो भी इंडिपेंडेंट चेयरमैन हुए हैं, श्रीमन्, मैं समझता हूं कि उनको कांग्रेस पार्टी के लिये अडाप्ट करना मुश्किल नहीं था। तो ऐसी कोई नियत हमारी नहीं है। ऐसा विश्वास मैं गेंदा सिंह जी को और तिवारी जी को देना चाहता हूं।

यह भी कहा गया कि ऐडल्ट फ्रैन्चाइज को फ़ेयरवैल दे दिया, मैं तो नहीं समझ पाया कि उसको कहां खत्म कर दिया। मेम्बर्स का चुनाव ऐडल्ट फ्रैन्जाइज पर होगा। हमने तो केवल चेयरमैन के चुनने की पद्धति को बदला है। तो एडल्ट फ्रैन्चाइज को हमने खत्म नहीं किया है। जनतन्त्र की कुछ बात कही गयी। मुझे तो अजीब हैरानी होती है कि आखिर इसके क्या मानी हैं, और हम जनतंत्र का क्या मतलब समझते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने जनतन्त्र का तमाशा देखा और जनतंत्र की दुहाई कुछ अपने ऐसे माननीय साथियों के मुंह से सुनी है जो उस पार्टी के हैं जहा जनतंत्र का स्थान नहीं है। तो जनतंत्र का नाम इतना आसान है कि हर बात में हम कह देते हैं कि इस बात से जनतंत्र खत्म होता ह। इसके साथ साथ जैसा कि मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि इस बिल में जो चेयरमैन की चुनाव करने की विधि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से है बजाय इसके अगर सिम्पिल मेजारिटी वोट से हो तो अच्छा है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। मुझे यह भी कहना है कि नो कान्फीडेंस के सम्बन्ध में अब तक जो ऐक्ट हमारे पास था उसमें एक ऐसा प्रौवीजन था कि अगर चेयरमैन के खिलाफ नो कान्फ़ीडेंस का मोशन आयेगा और वह मोशन पास हो जायगा तो सरकार को इस बात का डिस्क्रीशन होगा कि वह चाहे तो चेयरमैन को हटा दे और चाहे तो पूरे बोर्ड को सस्पेंड कर सकती है। मैं यह चाहता हूं और मेरा यह निश्चित मत है कि इस तरह का प्राविजन अब भी रखा जाय। कारण उसका यह है कि हमने यह बात देखी कि जो इन्डाइरेक्ट चुनाव होता है उसके अन्दर काफी गुटबन्दियां होती हैं काफी पार्टीबाजी होती है। यह भी हमने देखा कि कभी कभी एक मास्टर के ट्रांसफर के ऊपर चेयरमैन महोदय के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव बोर्ड में आ जाता है और उनको उस बोर्ड से बिदा लेनी पड़ती है। तो जहां यह स्तर हो हमारा वहां मैं समझता हूं कि थोड़ा अंकुश मेम्बर साहबान पर भी रहे तो ज्यादा अच्छा है। उनके ऊपर भी यदि थोड़ा यह अंकुश रहे कि इस तरह से नो कांफिडेंस आने के बाद पूरा बोर्ड भी सस्पेंड हो सकता है तो मैं समझता हूं कि नो कांफिडेंस इतनी आसानी से चेयरमैन के ऊपर नहीं आयेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें और जैसा प्राविजन था वह दो प्राविजन अब भी रखा जाय।

एक निवेदन मुझे और भी करना है कि इस चुनाव में हमने देखा कि बावजूद इसके कि हम और हमारे दूसरे साथी लोग जो सब यहां बैठे हुए हैं, इस बात में बहुत हामी थे कि हर किस्म के लोगों के लिये उचित स्थान लोकल बाडीज में मिले लेकिन चुनाव में हमने देखा कि स्त्रियों के लिये उसमें काफी स्थान नहीं मिल सका और यह भी देखा कि और भी बहुत से इन्टरेस्ट थे जो कि प्रापरली रिप्रिजेंट नहीं हो सके। तो हम यह भी चाहेंगे और मेरा तो ऐसा विचार है श्रीमन्, कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे कि कुछ नामजदगी भी होनी चाहिये उन लोगों की जो लोग कि विशेष हितों को रिप्रिजेंट करते हों, जो विशेषज्ञ हों। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और जो माननीय मित्र तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय, मैं समझता हूं कि इसके अन्दर बहुत पेचीदा सवाल कोई है नहीं, एक ही सवाल बुनियादी है कि चेयरमैन का चुनाव डाइरेक्ट हो या इन्डायरेक्ट। तो उसके लिये मैं समझता हूं कि पूरा भवन आज उस पर विचार प्रगट कर सकता है इसलिये इसको सेलेक्ट कमटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने हैं उसका मैं स्वागत करता हूं और मेरे मित्र नारायण दत्त जी तिवारी ने जो यह सुझाव रक्खा है कि इसको प्रवर समिति के सामने भेजा जाय। उससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरी समझ में प्र.र समिति में किसी बिल के भेजने की उस वक्त आवश्यकता पड़ती है जब उसमें कोई बहुत ही मौलिक बातें हों। मेरे ख्याल से इस बिल के अन्दर एक ही महत्वपूण बात है, कुछ और अन्य छोटी छोटी बातों के साथ में वह ह प्रेसीडेंट का इनडाइरेक्ट एलेक्शन। प्रश्न हमारे सामने इस बात का है कि इसको मान लेना चाहिये या नहीं। जहां तक मैं समझ पाया हूं मेरे विचार से इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने थोड़े ही दिन पहले म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट के संशोधन के लिये एक बिल प्र तुत हुआ और उसमें काफी सोच विचार के बाद में उन संशोधनों को स्वीकार किया गया जिनमें यह प्रणाली रखी गयी थी कि प्रेसीडेंट का एलेक्शन डाइरेक्ट हो। उसके पहले जो बोर्ड चल रहे थे उनके जो चुनाव हुए थे वह बालिग मताधिकार के ऊपर नहीं हुए थे और स्वतंत्र राय के लोग उसके अन्दर चुन करके आया करते थे। उसमें प्रेसीडेंट से और उनसे समय समय पर विभिन्न राय हो जाने के कारण जो परिस्थितियां आ जाय करती थीं या जो गुत्थियां उलझ जाया करती थीं, और जो समस्या पैदा होती थी, उनको विचार में रख कर के हमारे यहां हाउस के अन्दर उनके ऊपर विचार किया गया और यह एक अनुभव के लिये उपयुक्त समझा गया कि यदि प्रेसीडेंट का एलेक्शन डाइरेक्ट होगा तो शायद यह कार्य सुचारु रूप से चल सके। इसके लिये मेरे पूर्व वक्ताओं ने दुख भी प्रगट किया। लेकिन मेरे विचार से हमारे लिये दुख प्रगट करने की कोई बात नहीं है। आज जनतंत्र के आधार पर हम चल रहे हैं। जनता के हित के लिये नये कानून बनाना कानूनों में परिवर्तन करना हमारा काम है। यदि कानून बनाने में कोई खामी रह जाती है या कोई नयी बात समझ में आती है तो हमारा कर्त्तव्य है कि उसके लिये हम सोचें, विचारें और उसे फिर संशोधित कर दें। आज हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बिल को लाकर जनहित का काम किया है क्योंकि जो समस्यायें बोर्ड्स में चल रही हैं वही उन्होंने हमारे सामने रखी हैं और उसको उद्देश्य और कारणों में भी दिया हुआ है।

माननीय मंत्री महोदय ने ११३ में ७८ ऐसी म्युनिसिपैलिटीज का जिक्र किया लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने केवल म्युनिसिपैलिटीज के सम्बन्ध में ही बतलाया। इस कानून से नोटीफाइड एरिया का भी कंट्रोल होता है और वहां भी ऐसी समस्यायें हैं। यदि उनकी संख्या उसमें जोड़ी जाय तो यह संख्या बहुत बढ़ जायगी। मेरा भी संबंध एक नोटीफाइड एरिया से है। आज जो गंदा वातावरण स्थानीय निकायों में चल रहा है उसके कई कारण हैं। जो पिछले वर्ष चुनाव हुये वह दलबन्दी के आधार पर हुए। हमारे माननीय मित्र नारायण दत्त जी तिवारी ने फरमाया कि उन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तगड़ी हार हुयी और माननीय मंत्री उसी पार्टी के हैं इसीलिये वह इस बिल को लाये हैं कि उनकी पार्टी के लोग प्रेसीडेंट हो जायं। लेकिन मेरे मित्र भूल रहे हैं। कांग्रेस की हार तो होती ही क्योंकि जब हमारे सामने बैठने वाले मित्रों से इस बात के लिये कमर बांध ली है कि दूसरे के अपशकुन के लिये अपनी नाक कटा लेना स्वीकार है लेकिन आज जनता कांग्रेस को ही अच्छी पार्टी समझती है और जनता के हृदय पर कांग्रेस की सेवायें आज भी अंकित हैं और जनता कांग्रेस को बहुत अच्छा समझती है। लेकिन हमारे मित्रों ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस की हार के साथ साथ हमारे मित्रों को भी मुंह की खानी पड़ी और उनका भी बहुमत नहीं हो पाया बल्कि वह भी अल्पमत में पहुंचे हैं और कांग्रेस से कम ही हैं। नतीजा यह हुआ कि स्वतंत्र विचारधारा के लोग आये और जनतंत्र प्रणाली के अंदर स्वतंत्र आधार पर के लोगों के आने का प्रत्यक्ष फल यह है कि उनके विचार पहले कुछ होते हैं और निर्वाचन के समय एक हो जाते हैं लकिन बाद को फिर बदल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वहां चों चों का मुरब्बा इकट्ठा हो जाता है और परेशानी होती है और काम नहीं हो पाता है और जनता का हित नहीं हो पाता है।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल इसलिये लाया गया है कि जिस पार्टी की सरकार है उसकी विचारधारा के लोग अधिक हो जायेंगे और प्रेसीडेंट उसी विचारधारा के बन जायेंगे। लेकिन मेरे मित्र भूल गये जिसकी उन्होंने खुद ताईद की कि कांग्रेस की तगड़ी हार हुयी है और कांग्रेस का बहुमत भी नहीं है। प्रेसीडेंट के इलेक्शन का सवाल अव्वल तो उठता नहीं है। अगर अविश्वास का प्रस्ताव कोई आता है और कोई भी प्रेसीडेंट निकलता है तब भी यह बात समझ में नहीं आती कि जब कांग्रेस का बहुमत नहीं है तो कैसे उनका प्रेसीडेंट हो जायगा अतः यह बिल तो जनहित की चीज है।

आज समस्या उत्पन्न यह है कि प्रेसीडेंट स्वतंत्र विचारधारा के आगये हैं और कुछ सदस्य एक दल के आ गये ह जो बहुमत में हैं और कुछ सदस्य दूसरे दल के आगये हैं जो बहुमत में नहीं हैं तो नतीजा यह हुआ है कि इन दोनों दलों की खींचातानी में प्रेसीडेंट भी पिस रहा है और काम भी ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। आशा यह की गयी थी कि जो नया चुनाव होगा उसमें जो कमेटीज, संस्थायें और बोर्डस बनेंगे उनमें नयी विचारधारा को लेकर लोग जायेंगे और वह जनता की अच्छी सेवा कर सकेंगे और नये प्रोग्राम उनकी उन्नति के लिये जैसे प्लानिंग वगैरह के अच्छे सुझाव आयेंगे। लेकिन एक साल के अनुभव ने यह बतला दिया कि वहां की दलबंदी, खींचातानी और आपसी कशमकश ने कोई काम नहीं होने दिया सिवाय इसके कि प्रेसीडेंट अलग चक्कर में है और अल्पमत और बहुमत दल के लोग अलग चक्कर में हैं। परिणाम यह है की प्रेसीडेंट को कोई भी सहयोग नहीं प्राप्त है और काम ठीक से होने नहीं पाता है। तो इस उलझी हुयी समस्या को सुलझाने के लिये मंत्री महोदय ने उपयुक्त समय पर यह उपयुक्त बिल रखा है जो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश कल्याणकारी बिल है और जिसको हम सब को एक राय हो कर मान लेना चाहिये। इस बिल को जहां तक प्रवर समिति में भेजने का ताल्लुक है मेरे विचार से इसको वहां भेज कर देर करना है और जो बजट काल स्थानीय कमेटियों के सामने आ रहा है उसमें विलम्ब करना है। मेरी समझ में यह अच्छी बात नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इसे सब लोगों को एक मत हो कर स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नारायण दत्त जी ने जो प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे दुख इस बात का हुआ कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक नारायणदत्त जी का भाषण सुना। अगर वे ध्यानपूर्वक नारायण दत्त जी का भाषण सुने होते तो जो बात उन्होंने इस सदन के सामने कही शायद उसे वे न कहते। दूसरी बात माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने यह कही कि हमारे हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव भी इनडायरेक्ट तरीके से हुआ करता है, यही तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन दुःख इस बात का है कि जब माननीय मंत्री जी म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट पर इस सदन के सामने बहस कर रहे थे उस वक्त डायरेक्ट चुनाव के बारे में भी इस सदन के सामने बहस हो रही थी। उस वक्त माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने यह दलील नहीं रखी थी (इस सदन के सामने) कि इनडायरेक्ट तरीका बहुत अच्छा है।

तीसरी बात यह है कि अभी माननीय बसन्तलाल जी ने कहा कि नारायण दत्त जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार गयी है, इसलिये ये बातें आयी हैं और हम ही लोग इस तरह की बातें किया करते हैं कि हर एक से हमारा समझौता एलेक्शन के लिये हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो अपने यहां अल्मोड़े का भी तजुर्बा है। १६ सीटें अल्मोड़े में थीं, जिनमें से कांग्रेस वालों को सिर्फ ४ सीटें ही मिलीं और १२ सीटें विरोधी दल के लोग ले गये। हम उन लोगों में नहीं हैं। हम उस गन्दगी में नहीं पड़े। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ चार कांग्रेसी आ पाये वे चार भी कभी कांग्रेस में नहीं रहे थे। जितने पुराने कांग्रेस वाले थे वे तो सब हार ही गये। नये लोग चुने गये। हमें इस बात की खुशी नहीं है कि अल्मोड़ा म्युनिसिपैलिटी के अन्दर कांग्रेस इस बुरी तरह से हार गयी। कारण यह है कि जो दूसरे लोग यहां पर आये हैं वे बिल्कुल

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

रिऐक्शनरीज (प्रतिक्रियावादी) हैं। प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) लोग गये होते तो हमें खुशी होती।

फिर माननीय नारायणदत्त जी माननीय मंत्री जी से पूछ रहे थे कि किसने उनको यह सलाह दी? अगर वह मुझ से पूछ लिये होते तो मैं पहले ही बतला देता। माननीय मंत्री जी के सलाहकार इसमें वे लोग हैं जो उन चुनावों में हार गये। उन्होंने सोचा कि इधर से तो हार गये हैं, बहुमत भी वहां नहीं हुआ और एक साल के बाद वोट आफ नो-कान्फीडेन्स तो आही सकता है और उसके बाद जब बारी आयेगी तो फिर अगर जनरल चुनाव हुआ तो जीतने की आशा नहीं है इसलिये ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिये कि ये लोग अगर निकाले जाने लगें तो हम कैंडीडेट बन जायंगे और हमें ही टिकट मिल जायगा। यह उनकी इच्छा थी और उसी की पूर्ति करने के लिये माननीय मंत्री जी ने यह बिल इस सदन के सामने रखा। मैं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बड़ा सिद्धान्त का सवाल है। यह तो एक रास्ता साफ हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडिंग बिल जो आने वाला है, जहां सालों से चेयरमैन का चुनाव डाइरेक्ट हुआ तो आज तक यह प्रश्न सामने नहीं आया। जब म्युनिसिपैलिटीज अमेंडिंग बिल इस सदन में पेश हुआ था, क्या उस वक्त यह प्रश्न सामने नहीं था? जो डि० बोर्डों के चेयरमैन हैं वह भी अडल्ट फ्रेंचाइज पर चुन कर आये है। तब यह समझ में नहीं आया। इस म्युनि सिपैलिटीज के पिछले चुनाव में कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में राउट हुआ है और इसके लिये कांग्रेस को लज्जा आ ही सकती है। इतनी बड़ी संख्या जिसकी इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में आज हुकूमत है वह रूलिंग पार्टी हमारी नोटिफाइड एरिया और म्युनिसिपैलिटीज में जहां पर शिक्षित लोग रहा करते हैं उनमें जाकर उस कांग्रेस का राउट हुआ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—आपका तो फायदा ही हुआ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—फायदा तो होगा ही। लेकिन क्या कांग्रेस आज कल यह कह सकती है कि म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव में हारने के बाद जनता को हमारे ऊपर विश्वास है। हम पर न हो, लेकिन उन पर भी नहीं है। हम तो आज हुकूमत में नहीं हैं। हम पर विश्वास का सवाल पैदा ही नहीं होता है। लेकिन हम यह समझते हैं कि हमारी सत्ता न होते हुए, म्युनिसिपैलिटीज और नोटिफाइड एरियाज में परसेंटेज के हिसाब से हमारा हाथ ज्यादा है। हमारे पास सत्ता, पैसा, पूंजीपति, कुछ भी नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस जिसके पास सारी चीजें हैं अगर मुकाबला किया जाय कि उन्होंने चुनाव में कितने कैंडीडेट्स खड़े किये और अगर सारा परसेंटेज लगाएंगे तो उनको पता चलेगा कि हमको कितनी सफलता मिली है और उनको कितनी सफलता मिली है। लेकिन अब इस अमेंडिंग बिल को लाकर अपनी उस हार को छिपाया नहीं जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अमेंडिंग बिल आयेगा, उसमें भी यही बात होगी। जैसे म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर हमारा डाइरेक्ट चुनाव फेल हो गया और हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल में भी यही कहा जायगा कि वहां भी इन्डाइरेक्ट चुनाव होना चाहिये जैसे पहले होता था, वही अच्छा होगा। और भी तरीका है। अगर म्युनिसिपैलिटीज और नोटिफाइड एरियाज के अन्दर काम न चल सकता हो तो ठीक है, अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता। अविश्वास के प्रस्ताव के बाद फिर चुनाव उसी डाइरेक्ट तरीके पर होता है। वहां की जनता को यह अधिकार मिलना चाहिये कि जिन म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर्स ने चेयरमैन पर नो कांफीडेंस मोशन पास किया है उन पर जनता का विश्वास है या जिस प्रेसीडेंट पर अविश्वास का प्रस्ताव पास किया गया है उस पर जनता का विश्वास है। अगर वही प्रेसीडेंट जिसको म्युनिसिपैलिटीज के मेम्बर्स ने निकाला है अविश्वास का प्रस्ताव पास कर के, अगर बहुमत से फिर आ जाता है तो

वह मेम्बर्स जिन्होंने उसको निकाला है उनको वहां रहने का अधिकार नहीं रह जाता। यहीं पर जनता की राय का पता चलता है। यही डाइरेक्ट डेमोक्रेसी है। बहुत से ग्रुप्स, और पार्टियां होती हैं। कांग्रेस, इंडेपेंडेंट्स, सोशलिस्ट सभी जाते हैं। लेकिन गद्दी पर जाने के बाद पता चलता है कि क्या करते हैं। आप ट्रांवनकोर कोचीन को ले लीजिये। आज तक कांग्रेस यह कहती है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को हम लोगों ने हुकूमत पर रखा है। कांग्रेस ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को इसलिये ट्रांवनकोर कोचीन में हुकूमत बनाने दी कि टिक नहीं सकती थी। अगर वह सुबह हुकूमत बनाती तो शाम को उन पर अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता। अतः प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस बात को जानती थी कि कांग्रेस वाले बहुमत में हैं, अगर कांग्रेस वालों का सहयोग हमारे साथ न रहा तो कांग्रेस जब चाहेगी बाहर निकाल देगी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पहले से इस बात को जानती थी। कांग्रेस के लिये दूसरी तरफ मजबूरी थी। उसके लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवा इसके कि वह अपनी हुकूमत बनाती और ६ महीने बाद उसके खिलाफ नोकांफिडेंस मोशन आता और उसे मिनिस्ट्री डिजाल्व करनी पड़ती और फिर से जनरल इलेक्शन करना पड़ता। यह हिम्मत कांग्रेस की नहीं पड़ी कि वह इस दूसरी सिचुएशन का सामना करने को तैयार होती और जब देखा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ठीक चल रही है, उस का काम अच्छा हो रहा है तो रास्ते में बाधायें डालना शुरू कर दीं। उपाध्यक्ष महोदय, आज का आपने अखबार पढ़ा होगा। उसमें पता लग जायगा कि जो सपोर्ट हमारी कांग्रेस ने की। क्या सपोर्ट की? हम लोग तो मजबूर किये गये मिनिस्ट्री बनाने के लिये क्योंकि कांग्रेस वालों की हिम्मत नहीं पड़ी कि हुकूमत बना कर देखें और नो कांफिडेंस मोशन अपने ऊपर पास करायें और फिर जनरल इलेक्शन में आयें।

जिस तरह से गुट ट्रांवनकोर कोचीन में बना है नोटिफाइट एरिया और म्युनिसिपैलिटीज में भी वैसा ही गुट इस अमेंडिंग बिल को ला कर सरकार बनाना चाहती है। इस अमेंडिंग बिल को ला कर सरकार यह चाहती है कि जो प्रेसीडेन्ट्स उसके ग्रेप के नहीं हैं और जो प्रेसीडेंट बरकरार रहना चाहते हैं तो वे मतभेद को दूर करके उन्हीं को सपोर्ट करें, उनकी बातों को मान लें तभी वे वहां कंटिन्यु रह सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमें एक मौका उनको देना चाहिये। कोई बड़ा भारी रिवोल्यूशन नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर्स आप ने रख लिये हैं कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में तो उसी प्रकार नोटिफाइड एरिया और म्युनिसिपैलिटीज में भी एडमिनिस्ट्रेटर रख दिये जायं। सफाई और गन्दगी का इन्तजाम उन्हें करना है। लिहाजा म्युनिसिपैलिटीज और नोटिफाइड एरियाज के अन्दर पार्टी बाजी से काम न हो तो अच्छा होता। वहां प्राइमरी एजूकेशन, सफाई, लाइट, सड़कों की मरम्मत यही छोटी मोटी बातों को हल करना होता है, कोई बड़ा भारी राजनीति का सवाल नहीं होता है। अगर सब मेम्बरान मिल कर काम करें, पार्टीवन्दी के लेविल को छोड़ कर तो हमारी म्युनिसिपैलिटीज में बड़ा अच्छा काम हो सकता है। तो मैं तो यह कहूंगा कि बजाय इसके कि इस एक्सपैरिमेंट से जिससे कि आप एक साल में पीछे जा रहे हैं, इसी एक्सपेरीमेंट को जारी रक्खें और वहां के मेम्बर्स को सम्भालने का मौका दें। जब चेयरमैन को मालूम होगा कि हमें नया चुनाव लड़ना है, वोट आफ नो कांफिडेंस के बाद नया चुनाव होगा तो वह मेहनत से काम करेगा, जनता की राय के मुताबिक काम करेगा इसलिये कि वह समझेगा कि जनता के पास फिर से वोट के लिये जाना होगा और जिन मेम्बर्स ने अविश्वास का प्रस्ताव पास किया है उन्हें भी सोचना होगा कि अगर दूसरी मर्तबा चुनाव से वही चेयरमैन छट कर आ गया तो उन मेम्बर्स को इस्तीफा दे देना होगा तो मेम्बर भी बड़ी होशियारी से अविश्वास का प्रस्ताव पास करेंगे — सोच समझ कर कदम उठायेंगे। बड़ी डिटेल्स इसमें हैं। एक दम से सब इस एक्सपेरीमेंट के बारे में बतलाना मुश्किल है। एक साल हुआ माननीय मंत्री जी ने बड़ा लम्बा चौड़ा बयान दिया कि चेयरमैन का इलेक्शन डाइरेक्ट होना चाहिये, उस समय हमारी समझ में उनकी बात आ गयी। ठीक है, कुछ म्युनिसिपैलिटीज में उससे गड़बड़ हुई, अल्मोड़े में हालत खराब है, वहां का चेयरमैन तो अनसीट भी कर

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

दिया गया इलेक्शन ट्रायबुनल से। हल्द्वानी क भी हालत खराब है, भोवाली में भी यही हालत है। मैं इससे सहमत हूं कि गड़बड़ बहुत है उन्हें मौक़ा दिया जाय उस गड़बड़ को संभालने के लिये। 'लेट देम बी बेटर सिटीजन्स' ताकि जनता की भलाई हो। यह उन्हें सीखने दिया जाय। मैं यह चाहूंगा कि बजाय इसके कि डायरेक्ट इलेक्शन को इतनी जल्दी खत्म कर दें हमें कुछ मौका और देना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में तो चेयरमैनों का काम बहुत अच्छा हो रहा है, वहां पर कोई खराबी नहीं बतलाई गई। इसी लिये मैं नारायण दत्त जी के सुझाव का समर्थन करता हूं।और भी हमारे बहुत से भाई हैं जिन्होंने अपनी राय दी है कि इतनी जल्दी बदलना ठीक नहीं है। अभी बहुत सी सलाह हो सकती हैं और बहुतों से सलाह ली जा सकती है। सेलेक्ट कमेटी के सामने जाने से उसमें तरमीम हो सकती है और मैं समझता हूं कि उससे सदन का समय भी बच सकता है। इस कारण मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव नारायण दत्त तिवारी जी ने पेश किया है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय इसको माननीय मंत्री को स्वीकार कर लेना चाहिये। वहां पर इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे बल्कि जल्दी ही हो जायगा। इसी सेशन के अन्दर कमेटी बैठ जाय और उस पर हम लोग बहस कर लेंगे, और जो सुझाव हों उनको माननीय मंत्री जी मान लें तो फिर यह जल्दी ही सदन से पास हो जायगा।

श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गौर से जो भाषण इस विधेयक पर दिये गये हैं उनको सुनता रहा हूं। जो मुख्य प्रश्न इस विधेयक द्वारा उपस्थित किया गया है वह यह है कि अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार हो। अध्यक्ष के चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से किया जाय या अप्रत्यक्ष रूप से। यही विचारणीय प्रश्न है। हम में से कुछ लोग यह समझते हैं कि लोक तंत्र के नाम पर अप्रत्यक्षरूप से चुनाव करना जनतंत्र की प्रणाली के विरुद्ध है। इस सिद्धांत को मानते हुये भी हमको यह देखना है कि कार्य रूप में इस सिद्धांत को जहां पर हमने परिणत किया है वहां पर हमको क्या कठिनाई पड़ी है हमने चुनाव कराये हैं और अप्रत्यक्षरूप से चुनाव कराने के बाद क्या परिस्थिति पैदा हुई है इसे हमें देखना है। इस वक्त म्युनिसिपैलिटियां कैसे चल रही हैं हमें इसको भी देखना है। इस तरफ से अगर हम अपनी आंखें बन्द कर लें और इस तरफ ध्यान ही न दें, यह हमारे लिये सर्वथा अनुचित होगा। हमारे विरोधी भाइयों ने यह तर्क उपस्थित किया है और माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी ने भी, जिनका भाषण अभी समाप्त हुआ है, यह कहा कि कई जगहों पर कांग्रेसी बहुमत नहीं हुआ और कांग्रेस को हार खानी पड़ी और इसी कारण से मालूम होता है कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। (एक ध्वनि– यह सत्य है) आप कहते हैं कि सत्य है किन्तु मैं कहता हूं कि सत्य नहीं है। हमने इस सिद्धांत को कार्यरूप में परिणित कर के देखा है और हम जानते हैं कि इसमें कई त्रुटि हैं। मैं विरोधी पक्ष के भाइयों से यह पूंछूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि हम से ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा जगहों पर सोशलिस्ट पार्टी को हार हुई है। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हमारी ताकत ज्यादा है और उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि हमारे साथ में विशाल बहुमत रहा है। यह स्वीकार करते हुये भी उन्होंने कुछ लान्छन लगा दिये हैं और मंत्री महोदय पर यह आक्षेप कर दिया है कि अपना बहुमत बनाने के लिये यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह प्रश्न आज साल भर से पैदा है या नहीं? आगे फिर से एलेक्शन होने जा रहा है और हम चाहते हैं कि चुनाव हो। क्या यह सही नहीं है कि इस का विरोध कई माननीय सदस्यों ने इस सदन में किया था? क्या कोई आदमी इसको मानने से इन्कार कर सकता है कि म्युनिसिपैलिटीज में जो काम किया जाता है उसमें बड़ी बड़ी कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं. अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा कर बहुत से लोग चेयरमैन हो गये। दूसरी पार्टी के लोग स्वतंत्र ज्यादा हैं तो बहुमत उनका हो गया। मैं अपने जिले का हाल बतलाना चाहता हूं कि मऊ के म्युनिसिपैलिटी में २५ सदस्य निर्वाचित हुये हैं उसमें ६ सदस्य दूसरे हैं और १९ कांग्रेसी सदस्य हैं तो फिर किस प्रकार से काम हो सकता है? नतीजा यह

होता है कि काम सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। अब नोटिफाइड एरिया को आप ले लीजिये कि दोहरा घाट टाउन एरिया में जहां पर कुल ११ सदस्य हैं, उनमें ६ सदस्य कांग्रेसी हों और ४ दूसरी पार्टी के स्वतंत्र हैं। और चेयरमैन भी स्वतंत्र हो गया, यदि चेयर मैन हो गया स्वतंत्र तो कैसे चल सकता है म्युनिसिपैलिटी का काम ?

व्यावहारिक बात यह है कि मेम्बरान चुन के आ गये तो यह प्रश्न सामने आता है कि किसको चैयरमैन चुना जाय ? जिसे मेम्बरों का बहुमत प्राप्त होगा वही ठीक से शासन चला सकता है। यदि चेयरमैन को मेम्बरों का बहुमत प्राप्त नहीं है, चाहे वह किसी पार्टी का हो, ठीक प्रकार से शासन नहीं चला सकता है चाहे म्युनिसिपैलिटी हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो। मैं समझता हूं कि यह विधेयक जो लाया गया है कार्य को अच्छी तरह से ही चलाने के उद्देश्य से लाया गया है। हां, एक बात जरूर है जिस पर मैंने बहुत सोचा है और उसे मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। इसमें यह जो प्रावीजन रखा गया है कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से यह चुनाव करायें जायं और उसमें यह रखा गया है कि:

"In accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and the voting as such shall be by secret ballot."

मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। मेरा यह सुझाव होगा कि इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। पहले जैसे इलैक्शन होता था, हाथ उठा कर, बहुमत मालूम करना, जो अभी इलैक्शन हुआ था उससे पहले जैसा नियम था, वही नियम रहना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी से यह आशा करूंगा कि वह मेरे सुझाव पर फिर से विचार करने की कृपा करें और वोट की पद्धति को बदल कर सीधी सादी पद्धति रखें जैसी कि पहले थी।

इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीजें इस विधेयक में लाई गई हैं। उनके सम्बन्ध में मैं ज्यादा समय लेना आवश्यक नहीं समझता हूं। मैं अपने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि प्रवर समिति में इस विधेयक को भेज कर समय की बरबादी न करावें। जैसा विधेयक प्रस्तुत किया गया मैं इसका समर्थन करता हूं इन तीलियों के साथ जिनका ऊपर जिक्र मैंने किया है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे उनको मान लें और यह विधेयक पास कर दिया जावे।

श्री श्याम लाल (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल सदन के सामने पेश है मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि पहली पद्धति को बदलनें के लिये, इलैक्शन के पहले तरीके को बदलने के लिये, वह यह विधेयक बहुत जल्द ले आयी है। डायरेक्ट इलैक्शन से चेयरमैन का होना म्यूनिसिपैलिटी में खतरे से खाली नहीं है। म्युनिसिपैलिटी एक घरेलू चीज है। वह राजनैतिक अखाड़ नहीं है। म्युनिसिपैलिटी का काम है सफाई और रोशनी करना, नाली और सड़क बनवाना और नक्शे बनवाना। उनकी आमदनी भी ऐसी ही है, चुंगी से, वाटर टैक्स से और दूसरे जरियों से। इन सब बातों के होते हुये भी यह देखा जाता है कि बोर्ड में वही मेंबर चुनाव में आते हैं जिन का असर मुहल्ले में अधिक होता है। जो मुहल्ले वालों का रातदिन काम करते रहते हैं वोट उन्हीं को मिलता है। इसलिये वहां पार्टी कामयाब नहीं होती और न पार्टी का चेयरमैन ही कामयाब होता है। अगर किसी पार्टी का चेयरमैन आ गया और बोर्ड के मेम्बरों में स्वतंत्र ज्यादा हुये तो बोर्ड का काम नहीं चल पाता है जैसा कि हमने पिछले एलैक्शन के नतीजों से देखा फिर इसमें यह बात भी नहीं है कि जिस पार्टी का बहुमत हो उसी को चेयरमैन चुना जाय। किसी एक पार्टी का बहुमत हो सकता है और चेयरमैन दूसरी पार्टी का हो सकता है जसका उसमें अल्पमत हो। पहले इस प्रकार की बात हो चुकी है। इलाहाबाद में पहले ऐसा हो चुक है वहां पर ४६ मेम्बरों में से कांग्रेस के केवल १२ मेम्बर थे, लेकिन चेयरमैन कांग्रेस का ही चुना

[श्री श्यामलाल]

गया। क्योंकि लोग जानते थे कि श्री कैलाश नाथ काटजू एक निष्पक्ष आदमी हैं। मेम्बरों को विश्वास था कि यह चेयरमैन ईमानदार हैं, इसलिये यह बात नहीं है कि वह किस पार्टी का हो। इन सब बातों से मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो बात कही जाती है कि यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि कांग्रेस वहां पर अपने आदमियों को लाना चाहती है, यह बात बिलकुल गलत है। क्योंकि वहां तो यह देखा जायगा कि कौन काम अच्छा कर सकता है न कि वह जनसंघ, कांग्रेस, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी है। वे लोग तो उसी को चुनना ज्यादा पसन्द करेंगे जो ज्यादा ईमानदारी से काम कर सकेगा। इसलिये मेरे विचार से किसी को कोई इसके संबंध में ऐब लगाना ठीक नहीं है। मैं भी २५ साल तक मेम्बर रहा हूं और मैं जानता हूं कि चेयरमैन की बड़ी मुसीबत आती है जब कि मेम्बरान उस पर नाजायज तरीके पर दबाव डाल कर उससे कोई काम करवाना चाहते हैं और बाज दफा वह मजबूर हो जाता है और उसको वैसा करना पड़ता है जिससे जनता और शहर का बहुत नुकसान होता है। इसलिये मैं इस बिल की बड़े जोरों से ताईद करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसमें ज्यादा बहस करने की बिलकुल आवश्यकता नहीं है। बिलकुल साफ साफ बिल है और चेयरमैन उसी को चुना जाना चाहिये जो बोर्ड के मेंबरान चुनें न कि जनता। हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि फिर से चुनाव करा लिया जाय और फिर नो कांफीडेंस मोशन आये और फिर चुनाव हो। फिर अगर चेयरमैन उस पार्टी का हो जिसका वहां पर बहुमत है तो फिर उसके खिलाफ नो कांफीडेंस मोशन आये या ऐसा हो कि चेयरमैन मेम्बरानकी राय के खिलाफ जो चाहे वह करे। मेरी राय में यह तरीका गलत है इसलिये यह जो तरीका रखा गया है वह ठीक होगा। इसमें सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट का कायदा रक्खा गया है। गो मेरी राय में वही वोट डाल कर या हाथ उठाकर चुनाव करने का तरीका ठीक होगा लेकिन अगर माननीय मंत्री जी उसे चाहते हैं तो रख दिया जाय उसका भी ऐक्सपेरीमेंट कर लिया जाय कि वह कैसा रहता है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वशासन मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करनेके लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव बहुत सीधा साधा है जो कि व्यावहारिकता से संबंध रखता है। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जबकि इस प्रस्ताव को राजनैतिक दलों की बहस में डाल दिया गया और कांग्रेस तथा प्रजा सोशलिस्ट पारटी अथवा अन्य दलों के अल्पमत और बहुमत के नाम पर वादविवाद करना शुरू कर दिया गया।

माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्ताव करते समय उन कठिनाइयों पर पूर्णतः प्रकाश डाला है जिनके कारण इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। आज प्रश्न एक ओर सिद्धांत का है और दूसरी ओर सिद्धांत को व्यावहारिकता में लाने का है। वह ठीक है और मैं समझता हूं कि इस बात से इस सदन के सभी माननीय सदस्य गण पूर्णतः सहमत है कि जहां तक भी शासन व्यवस्था का संबंध है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय शामिल रहे। और इसी एक सिद्धांत को लेकर हमारा पिछला जनरल इलैक्शन भी हुआ जिसके द्वारा केंद्र तथा प्रांतों में सरकारें बनीं। और साथ ही इसके उसी सिद्धांत के आधार पर इसी सदन ने अपने म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में पिछला संशोधन किया और आशा यह थी कि जिस प्रकार जनता की ओर से हमारे पिछले जिला बोर्डस के चुनाव में एक अनुभव हुआ था कि जनता ने पार्टी के आधार पर वोट किया और जिला बोर्डों में पार्टी के आधार पर चेयरमैन और वहां के सदस्यों को बहुमत चुनकर भेजा और उसी आशा को लेकर हमने अपने इस सदन में पिछले म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट को भी, जो उसी सिद्धांत पर आया, उस सिद्धांत को भी स्वीकार किया था। लेकिन अनुभव ने जो अभी पिछले नगरपालिकाओं के चुनाव से हुआ है यह बतलाया है कि यह चीज और वह सिद्धांत व्यावहारिकता में काफी कठिन साबित हुये हैं। और उसका नतीजा यह हुआ कि म्युनिसिपल बोर्डस के इलैक्शन में लोगों ने किसी राजनैतिक दल के आधार पर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। एक और सदस्य का वोट जनसंघ के आदमी को दिया

तो दूसरी तरफ अपने अध्यक्ष का वोट दूसरी पार्टी के आदमी के लिये इस्तेमाल किया। नतीजा यह हुआ जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि अध्यक्ष एक दल का आ गया और एक बहुत बड़ा बहुमत दूसरे दल का आ गया। उदाहरण के तौर पर मैं अपने मुरादाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का हाल पेश करता हूं कि वहां एक बहुत बड़ी मेजारिटी कांग्रेस की है और चेयरमैन साहब की पार्टी अल्पमत में है और वह भी विभिन्न दल के लोगों के द्वारा बनी है। ४५ सदस्यों में ३० तो कांग्रेस के हैं और १५ अल्पमत दल के हैं। तो हमको देखना यह है कि हम अपने उन सिद्धांतों को जिनको कि हम आधार जनतंत्र का मान कर चले हैं उनको व्यावहारिकता में कहां तक निभा पाते हैं? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम उस सिद्धांत को ले कर उस पर चलें या जनता के लाभ को देखें।

(इस समय ४ बजे श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, पीठासीन हुये।)

माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि कुछ नहीं बिगड़ता अगर कुछ दिनों को म्युनिसिपल बोर्ड का काम न चले और अगर बोर्ड को बन्द कर दिया जाय तो कोई बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दे जो म्युनिसिपैलिटी का काम चलावें तब भी उनको ऐतराज जरूर होगा। उपाध्याय जी शायद यह भूल जाते हैं कि एक ओर जब वह यह मानने को तैयार नहीं हैं कि सदस्यों के द्वारा अध्यक्षों का चुनाव हो तो वह यह कैसे बरदाश्त कर लेंगे कि गवर्नमेंट अ ने ऐडमिनिस्ट्रेटर्स की नामजदगी करे और बोर्ड का काम चलावे। मैं समझता हूं कि यह बात केवल कहने मात्र की है और वह कदापि इस से सहमत नहीं हो सकते। वह कहेंगे कि यह सरकार केवल जनतंत्र का दावा मात्र करती है और जनता के चुने हुये सदस्यों को हटा कर अपने नामजद अफसर मुकर्रर करती है। इस तरह से आप की ओर से खुली हुई बात होगी जो रोज होती हैं और हम उन्हें सुना करते हैं। जो नई दिक्कत महसूस हुई उसी को दूर करने के लिये यह संशोधन सरकार की ओर से लाया जा रहा है। अगर उपाध्याय जी इस बात से सहमत हों और उनकी पार्टी इस में विश्वास करती हो कि यहां सब जगह ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिये जायं तो क्या मैं यह आशा करूं कि इस तरह की चीजें जो सरकार की ओर से समय-समय पर आवेंगी उनसे वह सहमति प्रकट करते रहेंगे। कल ही की बात है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक आया और उसमें केवल मंडल के सदस्यों को नामांकित करने का सवाल था, उसका सभी विरोधी दल के सदस्यों ने एक मत से विरोध किया और कहा कि यह जनतांत्रिक तरीके के विरुद्ध है। एक तरफ तो आप जनतंत्र की बात कहते हैं दूसरी ओर आप चाहते हैं कि सरकार की ओर से म्युनिसिपैलिटीज में ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिये जायं या आप कहते हैं कि काम बन्द कर दिया जाय। काम बन्द करने की बात तो अच्छी नहीं मालूम होती क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज का संबंध हमारी प्राइमरी एजूकेशन, हमारी सफाई और दूसरी चीजों से है जो हमारे साधारण जीवन से सीधा संबंध रखती हैं। प्रश्न यह है कि हम सिद्धांत के नाम पर और एक सिद्धांत को आधार मान कर व्यावहारिकता का ख्याल करें या न करें। जो म्युनिसिपल बोर्ड चुन कर तैयार हुये हैं उन के काम के ब्योरे में जा कर मैं सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता। माननीय मंत्री जी ने स्वयं आंकड़े देकर समझाया है कि किस तरह से आज म्युनिसिपैलिटीज का काम ठप है और सभी माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि आज बोर्ड्स की क्या दशा है, कहीं का बजट पास हो कर नहीं आया है। कहीं पर एक प्रस्ताव आ जाता है और उसी पर मामला उलझ जाता है, अनेक जगहों पर उपाध्यक्ष के चुनाव के मामले अटके पड़े हैं। तो हमें कोई रास्ता निकालना है कि जिससे इस तरह की बातें कम हों। इस तरह से हम मजबूर हो जाते हैं। यदि हम जनता का काम करना चाहते हैं, तो हमें जनतंत्र के लिये भी धीरे धीरे कदम बढाना पड़ेगा और एकदम जनतंत्र को लागू करने में जो कठिनाइयां आती हैं उन को दूर करने के लिये हमें कोई तरीका निकालना पड़ेगा चाहे वह पुराना ही तरीका क्यों न हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो पुराना तरीका है उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि आज की दुनिया में अच्छी नहीं मानी जातीं आज का जमाना उन चीजों

[श्री महीलाल]

को मानने के लिये तैयार नहीं है। जब हम उनको मानते हैं तो हमारे बिल में चोट लगती है। हमें अफसोस होता है लेकिन आज की परिस्थितियां हमें मजबूर करती हैं कि पुरानी चीजों में से भी कुछ चीजों को ले कर हम चलें और इसी कारण आज एक साल के तजुरबे के बाद हमें मजबूर होना पड़ता है कि हम पहले चेयरमैनों को हटाकर उनके चुनने का अधिकार सदस्यों को दें और यह कोई नई बात नहीं है। हमारे पुर ने म्युनिसिपल बोर्डस ऐक्ट में सदस्यों को चेयरमैनों को हटाने का अधिकार दे रखा है जिसके द्वारा हटाया जा सकता है। अब केवल पुनः चेयरमैनों को चुनने का प्रश्न है, उसमें माननीय उपाध्याय जी ने एक सुझाव दिया है कि सीधे जनता द्वारा चुने जाने चाहिये। जहां तक माननीय तिवारी जी का संबंध है उन्होंने तो कोई बात सुझाव के रूप में नहीं कही।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--सेलेक्ट कमेटी में सुझाव देंगे।

श्री महीलाल--सेलेक्ट कमेटी की बात त्रिपाठी जी कह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो माननीय सदस्य सेलेक्ट कमेटी में होंगे, क्या वे इस वक्त सदन में नहीं हैं? सेलेक्ट कमेटी में कहीं से बाहर के लोग आयेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--तो फिर वह प्रथा बन्द कर दी जाय।

श्री महीलाल--प्रथा की बात माननीय त्रिपाठी जी कहते हैं। वह प्रथा अपनी जगह पर महत्व रखती है। लेकिन एक संशोधन विधेयक के लिये जो कि हमारे एक सदन से पारित होकर आ चुका है उसको प्रवर समिति में भेजने की बात है, बड़ा विचारणीय प्रश्न है। एक सदन ने उसको मंजूर कर दिया है और कोई नये सिद्धांत पर कोई नया विधेयक भी बनने नहीं जा रहा है जिस पर कि विचार करना हो। मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य अपनी उचित और अच्छी सलाह सेलेक्ट कमेटी में देना चाहते हैं वह सुझाव वे यहां भी दे सकते हैं, संशोधन के रूप में दे सकते हैं जिसकी उनको पूरी स्वतंत्रता है। माननीय तिवारी जी ने जो अपनी तरफ से इस संशोधन विधेयक के संबंध में दलीलें पेश की हैं उनमें कुछ विशेष चीजें कह हैं। कुछ पुरानी खेर कमेटी की बात कही और बहुत सी इधर-उधर की बातें कहीं हैं जो अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन वे केवल उसी वक्त विचारने की बातें हैं जब हम नया म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट बनाने जा रहे हों। हम तो केवल एक संशोधन करने जा रहे हैं, एक बहुत ही छोटी सी बात में संशोधन करने जा रहे हैं कि हमारे म्युनिसिपल बोर्डों का कार्य किस प्रकार चले। उसके लिये उनकी तरफ से बहुत अच्छे सुझाव आने चाहिये थे।

मैं माननीय उपाध्याय जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने साफ साफ एक बात कही कि बजाय इसके कि सदस्यों द्वारा चुनाव हो हम सीधे सीधे जनता से चुनाव करवायें। यह बात सामने आयी अब उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की बातें करके एक छोटी सी बात के लिये लम्बी चौड़ी दलीलें दे कर मैं समझता हूं कि वह उन दलीलों के महत्व को कम करते हैं और सदन के समय का कुछ ज्यादा अच्छा उपयोग नहीं करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय तिवारी जी के संशोधन का विरोध करता हूं और उसे गैरजरूरी समझता हूं और माननीय मंत्री जी के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अधिष्ठाता महोदय, मैं एक पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

(एक क्षण के अनन्तर)

अधिष्ठाता महोदय, माननीय महीलाल जी ने अपने भाषण में मेरे बारे में यह इम्प्रेशन क्रियेट कराया कि मैंने ऐडमिनिस्ट्रेटर के रिजीम को शायद सपोर्ट किया। मैंने यह कहा था कि जहां तक सफाई आदि के इंतिजाम का संबंध है तो उसका इंतिजाम किया जा सकता है जैसे आज भी बहुत से ऐडमिनिस्ट्रेटर्स आप ने रख रखे हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—किससे यह इंतजाम कराया जाय ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—आज भी वह सब इंतजाम एक्जीक्यूटिव आफिसर्स वगैरह करते हैं।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो इस समय श्री नारायणदत्त तिवारी ने संशोधन पेश किया है कि यह विचार के लिये सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द हो, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरे सामने यह खेर कमेटी की रिपोर्ट है और जिसमें बड़े बड़े धुरंधर कांग्रेस के नेता मेम्बर थे।

श्री मोहनलाल गौतम—यह कई बार पढ़ी जा चुकी है।

श्री मलखान सिंह—पढ़ी जा चुकी है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जिस समय यह पिछला कानून बना म्युनिसिपैलिटी का उस समय यह विश्वास दिलाया गया था कि म्युनिसिपैलिटियों में ज्यादा से ज्यादा मेम्बरों की संख्या ५० होगी। ५० से ज्यादा न होगी और यह इसलिये किया गया क्योंकि चेयरमैन का एलेक्शन डाइरेक्ट हो रहा है इसलिये ज्यादा मेम्बर्स की जरूरत नहीं ह। क्योंकि खेर कमेटी ने तय किया था कि १२५ मेम्बर तक, १५ से १२५ मेम्बर तक म्युनिसिपल बोर्ड में होना चाहिये। ताकि अगर कोई आदमी एलेक्ट किया जाय तो उसमें ग्रूपिंग न हो सके। तो इसका जवाब माननीय मंत्री महोदय ने यह दिया कि हम ५० तक इसलिये रख रहे हैं कि चेयरमैन का चुनाव हम डाइरेक्ट करने जा रहे हैं। अब इस समय जो कहा जा रहा है कि इनडाइरेक्ट चुनाव हो तो उधर जो मेम्बरों की संख्या आपने ५० रखी है उसके लिये आप इस बिल में कुछ नहीं लाये। तो हमारा जो कहना है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाया जाय वह इसलिये कि उसी में सारे विचारों पर मंथन हो सकता है।

दूसरी बात आपने जो कही कि जैसा कि मेरे माननीय मित्र आजमगढ़ के मिश्र जी ने कही कि यह जो आप कर रहे हैं सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के जरिये से यह चुनाव हो तो आप फर्ज कीजिये कि तादाद में ३५ मेम्बर हैं। एक के १० हैं और बाकी पार्टियां बटी हुई हैं ७ वट में तो सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के माने यह होंगे कि १० का जो ग्रुप है उसका चेयरमैन हो जायगा और उसमें जो १५ मेम्बर रह जाते हैं वह वोट आफ नो कांफीडेंस किसी भी समय ला सकते हैं। तो जैसा कि मिश्र जी ने कहा कि सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट से एलेक्शन न होना चाहिये ठीक है। यह बहुत खतरनाक चीज है। जैसा कि इसके सपोर्ट में बतलाया कि हम माइनारिटी को प्रोटेक्शन करते हैं तो मैं समझता हूं कि वहां माइनारिटी का प्रोटेक्शन करने के बजाय हम एक निश्चित ग्रुप के हाथ में शक्ति दे देते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो कुछ भी किया गया है वह भी दुरुस्त नहीं किया गया।

एक बात मैं अपने ३०, ४० बरस के अनभव से बता सकता हूं। मेरे जिले में हाथरस की म्युनिसिपैलिटी है और उस हाथरस की म्युनिसिपैलिटी में जो अब तक इंडाइरेक्ट तरीके से चेयरमैन चुना जाता था वहां एक एक चेयरमैन ने ५०–५० हजार रुपया खर्च किया सिर्फ चेयरमैन बनने के लिये, एक मेम्बर को या दो मेम्बर को अपनी तरफ के ग्रूप में लाने के लिये। वहां पर यह दांव लगते थे और अब भी लगेंगे। तो मैं यह समझता हूं कि जो बात आपने पहले सोची थी कि जिसके मुताबिक आपने ५० तक ही मेम्बर रखे वह बात अभी आपने दूसरे ही दिन, आपको अभी ऐसा ज्यादा तजुरबा नहीं हुआ कि जिसे आप तोड़ने जा रहे हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो कुछ दिक्कतें आपके सामने हैं उनका एक बड़ा कारण अगर आप गौर से देखें तो यह है कि आपके वहां के जो अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह वह साइड्स लेने लगते हैं इधर से उधर। अगर यह दिक्कत न हो तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जितनी भी बातें हैं जैसे कि ४३ म्युनिसिपैलिटियों में बहुमत नहीं है, २२ में हालत डांवाडोल है और जो सब दिक्कतें आपने बतलाईं वह सब दिक्कतें दूर हो जांयगी। बहुमत के होते

[श्री मलखान सिंह]

हुये भी २३ आदमियों ने हाथरस की म्युनिसिपैलिटी में टू थर्ड की मैजरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया कि वहां का जो एकाउन्ट्स अफसर है और जो एक्जीक्यूटिव आफिसर है उन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाय क्योंकि वहां गोलमाल है एकाउन्ड्स में और चेयरमैन की मैजारिटी नहीं है। लेकिन फिर भी चेयरमैन अड़ा हुआ है और उसने आज तक उस रिजोल्यूशन पर अमल नहीं किया। किस बल से नहीं किया? इस बल पर नहीं किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब उसके हक में हैं कि चेयरमैन यही बने रहें। तो मैं कहना चाहता हूं आपके सामने कि आज जो दिक्कतें आ रही हैं यह दिक्कतें अगर आप कड़ाई से काम लें तो सब अपने आप हट जांयगी। कोई भी दिक्कत बहुमत या अल्पमत होने की वजह से नहीं रह सकती। जैसा मिश्र जी ने बताया कि मऊ की म्युनिसिपैलिटी में हमारे आदमी १९ चुने गये और चेयरमैन कम्युनिस्ट पार्टी का। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा गिरावट और कांग्रेस वालों की क्या हो सकती है कि जहां २५ में से १९ आदमी कांग्रेस के चुने जायं और चेयरमैन जो कुल के २५ के वोट से चुना जाता है वह कम्युनिस्ट हो। तो फिर आप अपनी कमजोरियां देखिये। आपको तो यही कोशिश करना चाहिये कि जिस तरह से हो सके कि जो आम कायदा है, प्रजातांत्रिक तरीका, वह यह है कि डाइरेक्ट वोट से कोई आदमी चुना जाय जिस पर जनता के ज्यादा लोगों को विश्वास हो। तब तो कार्य ठीक हो सकता है। जब आपका एक साल का टाइम है उसमें नो कांफीडेंस का मोशन ला सकते हैं तो इससे क्यों डरते हैं। आप यह भी कहते हैं और मानते हैं कि हम हारे नहीं हैं, बहुमत हमारा ही है तो फिर सब जगह वोट आफ नो कांफीडेंस करा लीजिये, चेयरमैन हट जायगा। तो यह दिक्कतें जब इस तरह से दूर हो सकती हैं तो मैं समझता हूं कि जो डाइरेक्ट इलेक्शन का कायदा है उसको तोड़ करके आप इंडाइरेक्ट इलेक्शन का तरीका ला रहे हैं और इंडाइरेक्ट तरीके का मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव जो हुआ उसमें डाइरेक्ट तरीके से चेयरमन चुना गया। उसके बाद चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। अब दूसरा आदमी जो आपने चुना वह आपके मेम्बर्स के वोट से चुना गया, कितने दिनों के लिये? ६ महीने के लिये। आज तीन वर्ष होने जा रहे हैं, क्योंकि आप उम्र बढाते चले जाते हैं, जो ६ महीने के लिये मेम्बर्स ने चुना था आज वह तीन वर्ष से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन है। तो यह जो तमाम बातें हो जाती हैं इंडाइरेक्ट तरीके से, इनको आप हल नहीं कर सकते हैं और इस तरह से करप्शन आता है, फेवरटिज्म आता है, नैपोटिज्म आता है, यह सब चीजें फैल जाती हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो उसूल और सिद्धांत की बात है उसी पर चलिये। आपको मालूम है अभी श्री बी० एन० तिवारी और दूसरे सज्जनों के साथ जिनके साथ हमें काम करना पड़ा, डीलिमिटेशन कमीशन में एक सिद्धांत की बात पर शेड्यूल कास्ट के, उसके ऊपर हम अड़े हुये हैं कि उनकी जितनी संख्या मर्दुमशुमारी में है उसके मुताबिक उन्हें रिप्रजेंटेशन मिलना चाहिये। यहां पर भी एक सिद्धांत की बात है। आया प्रेसीडेंट डाइरेक्ट वोट से चुना जाय या इंडाइरेक्ट तरीके से। तो मैं आपसे कहूंगा कि सिद्धांत की बात जनतांत्रिक प्रणाली के अन्तर्गत है और इसमें कोई भेद नहीं है। आप उसको बदल करके फिर यह चाहते हैं कि जो प्रेसीडेंट हो, कोई भी हो, बाहर का आदमी किसी का भी हो, मेजारिटी से किसी आदमी को भी पकड़ करके कह देंगे कि तू चेयरमैन हो जा और जिसको चेयरमैन करेंगे उससे सौदा भी करेंगे कि तुम हमारे कहने से यह काम करो, फलाने को नौकरी दिला दो। तो जितनी खराबियां इंडाइरेक्ट इलेक्शन से आ सकती हैं वह डाइरेक्ट इलेक्शन से नहीं आ सकतीं। जो प्रथा आरम्भ में ही आपने चलाई अब उसे तोड़ने जा रहे हैं। जो कानून आपने रखा है उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जिनसे सख्ती से अगर आप बरतेंगे तो वह सब दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इतनी जल्दी इस सिद्धांत को, जो आम सिद्धांत है, उसको न बदलें। क्योंकि उसके बदलने में खराबियां हैं। और दूसरी बात जो आपके सामने यह रखी कि आपने मेम्बर्स की तादाद जो ५० तक रखी है उसके बदलने के लिये तो आप कुछ इस बिल में लाये नहीं और वह भी मेरे भाई, अभी जो बोल रहे थे उन्होंने कहा था कि हमको आशा यही थी कि

जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हमारा बहुमत हो गया, और सब कुछ हो गया उसी तरह उसी आशा पर उन्होंने म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में भी यह बात रखी थी लेकिन तजुरबे ने इसके खिलाफ कर दिया, तो आप खुद अपने मुंह से ऐसा कहते हैं। माननीय मही लाल जी थे जिन्होंने यह बात कही थी। तो इस बात को आप स्वयं कबूल भी करते हैं और असलियत तो कभी छिपती नहीं, आप कबूल करें या न कबूल करें, यह सही बात है; तो मैं आपसे यह कहूंगा कि जो आपने आशा की थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरह से सेंट परसेंट आप अपने चेयरमैन कायम करा सकें, उस तरह से म्युनिसिपैलिटियों में नहीं करा सके, उसके लिये यह तरीका जो आपने इंडाइरेक्ट पीछे से बगल में छुरा भोंकने का रखा, चैयरमैनों का इंडाइरेक्ट एलेक्शन कराकर, यह मुनासिब बात नहीं है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि बाज जगह पर जहां पर कि आप आशा किये हुये हैं, वह आपकी आशा पूरी नहीं हो सकती। आखिर वजह क्या है, आप नो कांफीडेंस का मोशन क्यों नहीं आने देते हैं। उसकी वजह यही है कि आप समझते तो यह हैं कि यह जो पी० एस० पी० का कैंडीडेट चुन गया है, उसको, हमारी मैजारिटी है, हम हटा देंगे, मगर मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अतरौली म्युनिसिपैलिटी में भी यह है कि हमारे भाई एक मुसल्मान पी० एस० पी० के चैयरमैन चुन गये ह, आपकी मैजारिटी है लेकिन नो कांफीडेंस लाने के लिये हिम्मत नहीं है क्योंकि उसने जितना भी काम किया है हर एक मेम्बर की राय से किया है, और ठीक किया है। तो यह भी एक ऐसी बात है कि जिस पर आपको विचार करना चाहिये। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो कानून आपने बहुत सोच समझ कर के बनाया उसको इतनी जल्दी तो बदलने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बदलना चाहिये तो जो प्रस्ताव हमारे साथी नारायण दत्त जी ने रखा है उसे मानकर सेलेक्ट कमेटी में ले जाइये जिसमें कि हर एक तरह के दृष्टिकोण आ जायं और जैसा कि अभी माननीय मिश्र जी ने कहा कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट नहीं होना चाहिये या और इस तरह की जितनी बातें हैं, उन सब पर भी अच्छी तरह से विचार हो जायगा। तो मैं अन्त में यही कहूंगा कि आप उस प्रस्ताव को मान लें जो कि नारायण दत्त जी ने उपस्थित किया है और इसे सेलेक्ट कमेटी के सामने भेज दें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से अपने साथियों के व्याख्यान इस संशोधक विधेयक पर सुने। यह बात कि यह विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मेरी समझ में नहीं आती और वह इसलिये समझ में नहीं आती कि कौन सी इसमें बड़ी पेचीदगियां हैं जिनको कि प्रवर समिति में ले जाकर के ठीक करना होगा। केवल एक सीधी सी बात है जो कि सभी के भाषणों को सुनने से मालूम होती है और जो कि इस कानून के अन्दर है। वह यह कि प्रेसीडेंट का चुनाव डाइरेक्ट से इंडाइरेक्ट कर दिया जाय। जब यह संशोधक विधेयक माननीय मंत्री जी लाये तो विरोधी दल की तरफ से बहुत मतलब लगाये गये। जिसका जो अन्दाजा लगा, जो उसने हिसाब लगाया, वह कह गया। उपाध्याय जी ने यह कहा कि चूंकि कांग्रेस इस म्युनिसिपल चुनाव में रौंद उठी है, इसलिये वह इस संशोधन विधेयक को लायी है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस रौंद उठी है, हार गई है म्युनिसिपल बोर्डों के चुनाव में तो उसे क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है इसके लाने से?

मुझे अच्छा नहीं लगता इस विषय में कुछ कहना कि किसकी कहां कितनी जीत हुई। अल्मोड़े में उनकी जीत हुई बड़ी अच्छी बात है, मुबारकबाद है! (कई आवाजें "किस की जीत हुई")। शायद उन्होंने कहा "सोशलिस्ट की" (कुछ आवाजें "नहीं")। खैर ऐसी भी जगहें हैं जहां उनकी जमानतें तक जब्त हुईं और एक मेम्बर भी नहीं जीता। मैं इसको कहना मुनासिब नहीं समझता और न मैं कोई शेखी बघारता हूं लेकिन मेरे ही जिले में पी० एस० पी० के प्रेसीडेंट की जमानत जब्त हुई और जितने उनके सदस्य खड़े हुये सब के सब हार गये। १६ में से १२ कांग्रेस के आये और चेयरमैन कांग्रेस का हुआ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--टाउन एरिया का बतला दीजिये।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं म्युनिसिपैलिटी को बतलाता हूं। अधिष्ठाता महोदय, बात यह है कि जिसको सरकार चलाना पड़ती है उसे तो समाज की परवाह होती है। इस बात की परवाह नहीं रहती है कि कौन जीता और कौन हारा—समाज अच्छी तरह से चलता रहे यही एक जिम्मेदार सरकार का कर्तव्य होता है इसी नीयत और मंशा से यह विधेयक और भी जरूरी है।

आप इसको टाल नहीं सकते हैं या तो आप प्रेसीडेंट म्युनिसिपल बोर्ड को वीटो के पावर्स दे दें और अमरीका की तरह से प्रेसीडेंट को अधिकार दे दिये जायं। मेम्बर्स चाहें कुछ कहें लेकिन वह अपना काम करता रहेगा। आपको पूरे अधिकार उनको देने होंगे। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं कि प्रेसीडेंट भी रहें और मेम्बर्स भी उसके सीने पर रहें। यदि ऐसा हो तो वही बात हो जाती है जैसे कि पी० एस० पी० की नीति है कि इधर भी और उधर भी। ट्रावंकोर और कोचीन के विषय में मैं अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन यह इसी बात का सबूत है जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि ट्रावंकोर कोचीन में कम तादाद में होने पर भी हमारी गवर्नमेंट है। यह तो बड़प्पन उस दल का है जो सबसे ज्यादा बहुमत में है फिर भी यह देखते हुये कि शायद गवर्नमेंट के चलाने में थोड़ी सी झंझट पड़े। एक मेम्बर शायद कम है। कह दिया कि आप ही सरकार चलाइये। यह तो देश के प्रति वही उदाहरण है जो एक असली मां और बनावटी मां में होता है। एक लड़के के सम्बन्ध में झगड़ा करती हुई दोनों मां बादशाह के पास गईं। बादशाह ने कहा कि इस लड़के के टुकड़े कर दिये जायं तो सच्ची मां ने कहा कि महाराज लड़का न कटवाइये। इन्हीं को दे दीजिये जो बनावटी मां थी। तो जहां प्रान्त के बिगड़ने या देश के रुकने का प्रश्न आता है तो कांग्रेस ने कहा कि चाहे आपकी तादाद कम हो लेकिन फिर भी हम आपको ही आगे रखेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, प्रश्न यह है कि प्रेसीडेंट को अधिकार देने पड़ेंगे या नहीं। यदि यह संशोधन विधेयक आता कि प्रेसीडेंट को पावर्स दे दी जांय तो चारों तरफ से आवाजें आतीं कि तानाशाही हो रही है। चाहे आपकी म्युनिसिपैलिटी हो या मेरी हो। उनको हमें अखाड़ा नहीं बनाना है। तो प्रश्न यह है कि एक साफ सी म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे वह किसी की भी हो।

अधिष्ठाता महोदय, म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ऐसे चुनाव कराये जायं कि जिसकी सरकार हो उसी के अनुसार म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वग़ैरा चलें। ऐसी मेरी राय है क्योंकि बिना इसके काम नहीं चल सकता है। जनतन्त्र बड़ा अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तो पूर्व की तरफ चले और दूसरा उसे पश्चिम की तरफ खींचना शुरू कर दे। तो मैं आपसे केवल इतनी बात कहना चाहता था। एक बात जो इस संशोधन विधेयक में रह गयी है मैं सुझाव के रूप में माननीय मंत्री जी के सामने उसको रखना चाहता हूं कि कुछ नामजदगियां भी होनी चाहिये म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर। चुनाव के अन्दर बहुत सी ऐसी बातें अक्सर हुआ करती हैं जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स नहीं आ सकते हैं और म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर एक्सपर्ट्स की भी जरूरत होती है, शिक्षा के एक्सपर्ट्स हों, इंजीनियर हों और जानवरों की नस्ल को सुधारने के एक्सपर्ट्स हों। ऐसे भी विद्वान् लोग होते हैं जो कि चुनाव के झंझट में नहीं पड़ा करते हैं लेकिन उनकी समाज के अन्दर आवश्यकता होती है। औरतों का प्रतिनिधित्व भी बहुत कम है म्युनिसिपैलिटियों के अन्दर। इसलिये माननीय मंत्री जी से सुझाव के तौर पर मैं यह कहूंगा कि वह फिर से विचार करें कि नामजदगियां होनी चाहियें। जैसी म्युनिसिपैलिटी की स्ट्रेंथ हो उसी हिसाब से वहां पर कुछ मेम्बर सरकार की ओर से नामजद होने चाहियें।

एक चीज और मैं सुझाव के तौर पर रखूंगा कि वोट जो हो, चाहे वह चुनाव का हो, चाहे अविश्वास का हो वह खुला हुआ होना चाहिये। वह किसी देश की

नैतिकता का सबूत है। हाथ उठा कर वोटिंग होनी चाहिये। सीक्रेट बैलट को बन्द कर देना चाहिये।

तीसरी चीज यह है कि जब किसी चेयरमैन के खिलाफ वोट आफ नो कान्फीडेंस हो तो सरकार को यह अधिकार भी अपने हाथ में रखना चाहिये कि यदि सदस्यों ने अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल किया हो तो वह यदि चाहे तो सम्पूर्ण बोर्ड को बरखास्त कर सकती है और फिर से नया चुनाव करवाये। तो ये तीन बातें सुझाव के तौर पर मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

अन्त में मैं माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह एक छोटा सा संशोधन विधेयक है। इसे प्रवर समिति में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बात आप वहां कहेंगे वह करीब-करीब यहां सब कह चुके। इसके आगे कोई बात नहीं रहती। तो इसको जल्दी से पास कर दीजिये क्योंकि बहुत सी म्युनिसिपैलिटियों की गतिविधि में रुकावट पड़ी हुई है। इसमें कोई मोटिव की बात नहीं है। और मैं उपाध्याय जी से सहमत हूं कि म्युनिसिपैलिटियों के अन्दर पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार अगर न खड़े किये जायं तो अच्छा है, केवल वहां के नागरिक काम चलायें लेकिन इसका कसूरवार सब कोई है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको सीधे यहां पास कर दिया जाय और प्रवर समिति में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो विधेयक आपके सामने प्रस्तुत है उसमें पहला सवाल यह है कि प्रवर समिति को भेजा जाय या न भेजा जाय। माननीय नारायण दत्त जी ने कहा कि यह प्रवर समिति को भेजा जाय। इसमें यद्यपि लाट आफ सेन्स है और जाना भी चाहिये। लेकिन उसके लिये अब समय नहीं है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है। जब कौंसिल में इस पर बहस हो रही थी तो वहां पर इस प्रस्ताव को लाना चाहिये था और शुरू में ही इसको वहां पर ला देते तो यहां पर कोई झगड़े की गुंजायश नहीं रहती। लेकिन वहां इस प्रस्ताव को न लाकर यहां पर लाना यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है इसलिये कि अगर उस वक्त लाते तो एक सेलेक्ट कमेटी दोनों हाउसेज की बन सकती थी। उसमें इस बिल को अच्छी तरह से दोनों हाउस डिस्कस कर सकते थे लेकिन अब एक हाउस में प्रवर समिति बनाना और दूसरे हाउस को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना, इसमें बड़ी कठिनाई पड़ जायगी और सब लेबर लास्ट हो जायगा क्योंकि फिर दूसरे हाउस में इस विधेयक को जाना पड़ेगा और अगर वहां भी यही प्रस्ताव पास हो कि प्रवर समिति में यह बिल जाय तो उनकी भी कमेटी बनेगी और जितना पिछला काम है वह सब बेकार हो जायगा। इसलिये माननीय नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का आदर करते हुये भी कि यह बिल प्रवर समिति में भेजा जाय मैं इसका विरोध करता हूं। अब यह स्टेज नहीं रहा, यह समय गलत है और जिस स्टेज पर इसको लाना चाहिये था उस पर नहीं लाया गया। यह उनकी पार्टी की गलती हुई कि उचित समय पर इस प्रस्ताव को न लाकर बहुत ही लेट स्टेज पर इसको लाया गया है।

एक बात और भी है। अगर फर्ज कर लो कि इस बात को मान भी लिया जाय तो यकीन रखिये इस सेशन में यह बिल पास नहीं हो सकता। बजट सेशन में आयेगा और बजट सेशन में भी पास नहीं हो सकता क्योंकि पता नहीं २३ फरवरी या २४ फरवरी कब से बजट सेशन हो और उसमें बजट का बहुत बड़ा काम रहेगा। इस तरह से ६, ७ महीने गुजर जायंगे। अगर इसको तब तक डाल देते हैं तो सवाल यह है कि तब तक म्युनिसिपल (Municipal) एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। जब उनका बजट पास नहीं होगा, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो स्ट्राइक्स होंगे और मालूम तो ऐसा पड़ता है जैसी कि हमारे विरोधी सदस्यों की आदत है कि कोई तफरीह करना है। तफरीह यही है कि बजट पास नहीं होगा, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, जरा शोर मचेगा, हड़तालें होंगी और इन्हें लेक्चर देने

[श्री नौरंग लाल]

का मौका मिलेगा। अस्तु यह समझ में नहीं आता कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आखिर चलेगा कैसे। जब बजट पास नहीं होगा तो सड़कें कैसे साफ होंगी, रोशनी कैसे जलेगी, मास्टर्स बेचारे भूखे रहेंगे तो इस तरह से यह कहना कि ऐडमिनिस्ट्रेशन चल जायगा, यह बिल्कुल समझ में नहीं आता। बिना परिणाम को सोचे-समझे यह कह देना लैट इट गो इन इट्स ओन वे, यह ठीक नहीं है। इसलिये अगर यह बिल प्रवर समिति में भेजा जाता है तो ६ महीने के लिये फिर खटाई में पड़ जाता है। उस वक्त तक ऐडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता है? आज कई जगह पर काम चलाना नामुमकिन हो गया है। चेयरमैन कोई और है और मेम्बर्स कोई और हैं। मेम्बर्स कहते हैं कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। आज २२ जगहों पर ऐसी क्राइसेस मची हुई है। इसलिये इसमें इस समय कुछ करने की आवश्यकता ह। अगर यह लोग ऐसी ही जरूरत समझते हैं तो साल भर तक इस संशोधन बिल के अनुसार काम होने दीजिये और उसके बाद फिर एक संशोधन ले आइये और जैसा चाहिये कीजिये। यह रास्ता सब के सामने खुला हुआ है। इसलिये जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने प्रवर समिति में जाने के लिये रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। अब सवाल यह रह जाता है कि डाइरेक्ट एलेक्शन हो या इन्डाइरेक्ट। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम एक चीज को पहले पास कर चुके थे और हमने इसीलिये यह परिवर्तन किया था रिश्वतें और बहुत से भ्रष्टाचार चलते थे। काफी सोच समझ कर इस सदन ने पास किया था कि डायरेक्ट एलेक्शन होना चाहिये। अब हम फिर कहते हैं कि इन्डयरेक्ट एलेक्शन होना चाहिये। जरूर ताज्जुब सा मालूम पड़ता है कि पहले जो चीज हम बदल चुके हैं उसी को फिर करने जा रहे हैं। हमें उसमें जरा सी झेंप भी है, परेशानी भी है, इसके कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये। लेकिन सवाल सिर्फ यहां पर यह है कि आउट आफ टू ईविल्स हम को एक ईविल चुननी है। इसको चुनें या उसको । एक तीसरा तरीका यह हो सकता है कि कोई वाया मीडिया सजेस्ट किया जाय जिसमें इन दोनों विधियों का समावेष हो सके। यदि ऐसी तरकीब माननीय सदस्यों ने सुझाई होती तो उस पर मैं भी जोर देता और जिसको मैं समझता कि यह वाया मीडिया है। कहा गया कि सोच लेंगे। ६ महीने हो गये सोचते हुए, अब ५ दिन में क्या सोच लेंगे। बतलाया जाता कि यह हमारा सजेशन है। लेकिन कहा जाता है कि सोच लेंगे यह बात मेरी समझ में नहीं आई। रात भर में क्या सोच लेंगे। अगर कोई सजेशन बतलाया जाता तो हम माननीय मंत्री जी या पार्टी की परवा न करते हुए उनके साथ होते। हमारी समझ में तो कोई तरीका आया नहीं। हमने गल्ती महसूस की और उसे इस तरह से संभालने जा रहे हैं तो फिर इसमें क्या ऐतराज हो सकता है? जब वाया मीडिया समझ में नहीं आता तो वी हेव टू चूज लेसर ईविल बिटविन टू ईविल्स। दो खराबियों में जो छोटी खराबी है उसे हमें फिर तो छांटना है। अब तो यही तरीका है कि इलेक्शन इनडायरेक्ट हो--उसमें मैं यह ऐक्सेप्ट करता हूं कि कुछ खराबियां हैं--लेकिन हमें जो छोटी खराबी है उसे छांटना है। यही डेमोक्रेटिक तरीका है। यह ठीक है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में रिश्वत है, ब्राइबरी है लेकिन इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं रुकता था, वह चलता रहता था, थोड़ी बहुत खराबियां या थोड़ा बहुत करप्शन हर विभाग में है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे आइडियल मान कर शीशे में रक्खा जा सकता है। इसलिये मैं इसे प्रिफर करता हूं क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन से जो स्टैंड स्टिल वाला मामला है वह इसमें खत्म हो जायगा और सड़कें कम से कम साफ रहेंगी, लाइट भी होगी। अगर कोई इंटर मीडिया निकल आया तो उस वक्त हम अपोजीशन मेम्बर्स के साथ होंगे और उसे स्वीकार कर लेंगे लेकिन जब तक कोई ऐसी चीज नहीं है तब तक लामुहाला इस चीज को लेकर चलना होगा। हमें ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, रोकना नहीं है क्योंकि यहां

सिटीजन्स के अधिकारों का सवाल है। इसलिये अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन करें तो कोई हर्ज नहीं है फार दी टाइम बींग जब तक कोई वाया मीडिया सोच सकें। लेकिन कल हमें उसे चेन्ज करने की जरूरत पड़े तो हम अड़ जायं यह मेरी समझ में नहीं आया कि कौन सा सोशलिज्म है। जहां कोई नई चीज आये उसे इगनोर करना शुरू कर दें और पुरानी चीज पर डटे रहें। जिन चीजों को वह कंडम कर चुके हैं और जिनको गालियां दीं वही जब हाउस से पास हो गईं तो उन पर डट गये और वह बड़ा पवित्र किस तरह का सोशलिज्म है यह बात मेरी समझ में नहीं आई। कंजरवेटिव्जम का जहां डेफिनीशन किया गया है वहां यह कहा गया है कि जो कदम पास हो गया उसी पर डट गये और आगे जाने के लिये तैयार नहीं होते यही तो प्रतिक्रियावादिता है। प्रगतिशील वह है जिनको डर नहीं रहता और जो अपने में विश्वास रखते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जो पार्टी अपने को बड़ा क्रान्तिकारी कहती है, अपने को प्रोग्रेसिव कहती है और हमें प्रतिक्रियावादी बतलाती है वह आगे बढ़ने से क्यों हिचक रही है, क्यों डर रही है, क्यों घबड़ाती है कि पता नहीं क्या होगा। इसलिये हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में न पड़ें, ऐडमिनिस्ट्रेशन को देखिये। कोई जादू की लकड़ी नहीं है कि खराबियां एकदम से छूमन्तर से दूर कर दें। हमें चाहिये कि ऐडमिनिरट्रेशन को चलने दें।

एक सवाल यह उठाया गया कि एलेक्शन का तरीका क्या हो। एलेक्शन का मेथड जैसा सजेस्ट किया गया वैसा होना चाहिये या दूसरा हो। बैलट से हो या ओपेन हो। एक बात सदन के सामने कही गई कि ओपेन वोटिंग होनी चाहिये। कहने को तो ओपेन वोटिंग बड़ा अच्छा लगता है, डेमोक्रेटिक भी लगता है। मेरे विचार में तो वही बैलट पेपर का तरीका सही हो सकता है और इसके साथ में उससे प्रपोर्शनल रिप्रिजेन्टेशन भी है। अस्तु ओपेन वोटिंग का सिस्टम नहीं होना चाहिये। यह तो उसी समय हो सकता है कि जब हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाय और सब लोग सच बोलना शुरू कर दें और किसी को किसी आदमी से डर न रह जाय। जो भी हमारे अन्दर वीकनेस है वह सब नष्ट हो जायं। इसलिये हमको इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि हमारे यहां वोटिंग बैलटपेपर के द्वारा ही होना चाहिये और वह भी सिक्रेट होना चाहिये। इसलिये जो और सिस्टम यहां पर बतलाये गये हैं मैं उन सबका विरोध करता हूं।

एक और बात एलेक्शन के सिलसिले में इस बिल में रखी गयी है कि चुनाव प्रपोर्शनल रेप्रजेनटेशन से होगा। मैं आपसे अर्ज करूं कि और कोई तरीका इससे बढ़ कर नहीं हो सकता है। इसमें एक बात यह रहती है कि जो आदमी बहुत पापुलर है वह उसमें आ सकता है और उसके लिये अधिक अवसर रहता है। जिसकी ज्यादा पापुलरिटी होगी वही इसमें आयेगा और वहां पर क्वालिटी के खिलाफ आवाज उठायी जायगी। लिहाजा इस बिल के अन्दर इस तरह से प्राविजन रखे गये हैं कि जो क्रान्तिकारी हैं और अगर उनको हटा दिया जायगा तो फिर उचित रिप्रेजेन्टेशन नहीं रह सकता है। इसलिये यह चीज एलेक्शन के सिलसिले में बिल्कुल ठीक है। मैं इस समय इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। यह तो एक छोटा सा बिल है इस पर हमको ज्यादा इस सदन का समय नहीं लगाना चाहिये। यही दो बात जिन पर मैंने अर्ज किया है इस बिल के अन्दर विचारार्थ रखी गयी हैं और इस पर ज्यादा बहस की गुंजायश नहीं है। इसलिये जो प्रस्ताव माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने रखा है उसको खत्म किया जाय और जल्द से जल्द इस बिल को पास किया जाय जिसकी वजह से इस सेशन के अन्दर जो दूसरे काम हैं उनको भी किया जाय और इस वक्त जो काम करने में रुकावट है वह पूरा हो और बढ़ने का मौका मिले। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---श्रीमान अधिष्ठाता महोदय,.....

अधिष्ठाता---मैं विरोधीदल के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस समय इस बिल के लिये समय निर्धारित हुआ था उस समय श्री नारायणदत्त तिवारी ने कहा था कि डेढ़ दिन पहिली रीडिंग के लिये और डेढ़ दिन दूसरी और तीसरी रीडिंग के लिये रखा जाय। विरोधी दल का कोई सदस्य इस बिल पर बोलने के लिये नहीं खड़ा हो रहा है। इस प्रकार से सदन का समय नष्ट हो सकता है। इस वास्ते मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आइन्दा जब कभी समय निर्धारण करने के लिये कहें तो वह इस बात का ध्यान रखें कि सदन का समय अननेसेसरी नष्ट न हो। इस समय मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि इसमें विवाद की समाप्ति का प्रश्न भी उपस्थित किया जा सकता है क्योंकि विरोधी दल का कोई सदस्य इस पर बोलने के लिये खड़ा नहीं हो रहा है।

श्री मलखान सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि अध्यक्ष महोदय ने ऐसा तरीका कर रक्खा है कि चार सदस्य कांग्रेस पार्टी के बोल लें तब एक मेम्बर हमारा बोले और इसी ख्याल से इधर के लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। अभी-अभी मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि श्री राजनारायण जो बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिला इसलिये वे अभी-अभी आफिस में चले गये। (हंसी तथा एक आवाज---"वे तो बाहर बोल रहे हैं")---आप हंस सकते हैं लेकिन हमारे तरफ से बार-बार खड़े होने पर भी जब हमको मौका नहीं मिला तो हमने समझा कि आप उधर के लोगों को ही मौका देना चाहते हैं। इसको तो आप सेक्रेटरी साहब से ही मालूम कर सकते हैं कि उधर के तीन चार सदस्यों के बाद हमको मौका मिलता रहा है। इसी कारण से इधर के लोग खड़े नहीं हुए।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन् मुझे बड़ा दुःख हुआ जब कि आपने इस समय को हम लोगों की भर्त्सना के योग्य समझा। जैसा कि आपने कहा कि डेढ़ दिन निश्चित किया गया था लेकिन वह केवल विरोधीदल की सुविधा के लिये नहीं किया गया था। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी केवल विरोधी दल की सुविधा के लिये ही कोई काम नहीं करती है बल्कि सारे सदन की सुविधा के लिये ही वह समय को नियत करती है। अब स्पीकर साहब ने एक अनुपात बोलने के बारे में रक्खा था कि उधर के इतने सदस्य बोल चुकेंगे तब हमारी तरफ का एक सदस्य बोलेगा इसलिये इधर के लोग इस समय खड़े नहीं हुए। यह बात नहीं थी कि हमारी तरफ से कोई बोलना ही नहीं चाहता था।

श्री रामनरेश शुक्ल---आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर। मैं इस बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आपकी व्यवस्था के बाद भी कोई सदस्य इतनी लम्बी चौड़ी स्पीच दे सकता है और क्या यह नियमानुकूल है कि उसकी इस प्रकार से समालोचना की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं माननीय रामनरेश जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कभी भी पार्लियामेंटरी पद्धति के विपरीत नहीं जाना चाहता। मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के अनुसार ही कह रहा हूं जिसके अनुसार कोई भी सदस्य चेयरमैन की रूलिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है और मैं प्रोटेस्ट के तौर पर ही यह बात कह रहा हूं। अधिष्ठाता महोदय, अगर कोई शब्द मुझसे गलत निकल गया हो तो उसे माफ कर दें लेकिन मैं यह जरूर इंगित कर देना चाहता हूं और माननीय रामनरेश जी को विश्वास दिला

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देना चाहता हूं कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे चेयर की कोई डिसरेसपेक्ट हो।

श्रीमन्, अभी हमारी तरफ के कुल ३ व्यक्ति ही बोले हैं। माननीय रामसुभग जी अभी खड़े होना चाहते थे जब आपने माननीय नौरंगलाल जी को दुबारा पुकारा। पहले भी ऐसा हुआ है कि जब उधर के तीन सदस्य बोल चुके तब विरोधी दल की तरफ के सदस्य को बुलाया गया। वीरेन्द्रशाह जी ने अभी यह कहा था कि संयुक्त दल के सदस्य को भी मौका नहीं दिया गया है तो हमने कहा कि अब आपका मौका आ रहा है। अगर वे इस समय यहां पर नहीं हैं तो इसमें हमारा दोष नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि विरोधीदल वादविवाद में पूरा भाग लेना चाहता है। यह समझना हमारी ओर से ग़लत होगा कि हम वादविवाद में भाग लेना नहीं चाहते और न इसका अर्थ यह है कि हम वाद विवाद को सीरियसली नहीं ले रहे हैं।

अधिष्ठाता---माननीय नारायणदत्त जी, मैंने बारबार सोचा कि जो माननीय सदस्य, विरोधी दल के बैठे हुये हैं उनको मैं बोलने के लिये मौका दूं मगर जब कांग्रेस दल के ३ सदस्य बोल चुके हैं और फिर भी वह बोलने के लिये नहीं उठे तो मैंने समझा कि वह शायद हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं या उनके सदस्य बोल चुके हैं। तब मैंने ऐसी बात कही कि समय इस प्रकार से जो नष्ट होता है, उसका ध्यान माननीय सदस्य को रखना चाहिये।

श्री रतनलाल जैन---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो भाषण सदन में हुये हैं, विरोधी दलों के सदस्यों के या दूसरे पक्ष के, उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। इस समय जो प्रश्न उपस्थित है कि यह बिल प्रवर समिति में जाय, उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में एक ही प्रश्न है कि आया डाइरेक्ट इलेक्शन हो या इनडाइरेक्ट। इस बात पर काफी बहस यहां हो चुकी है। प्रवर समिति में इससे अधिक बहस नहीं होगी। इसके अतिरिक्त और जो छोटे-छोटे प्रश्न हैं उन पर बहस जिस समय इस विधेयक के खंड आयेंगे तब हो सकती है। इसलिये जो इसमें मुख्य प्रश्न है कि एलेक्शन डाइरेक्ट हो या इनडाइरेक्ट, इस पर बहुत बहस अब तक हो चुकी है और होगी। इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

एक प्रश्न यह है कि एलेक्शन कैसे हो। ऐसा तरीका आज तक संसार में नहीं निकला है जिसमें दूषण न हों। इनडाइरेक्ट एलेक्शन में भी काफी त्रुटियां हैं। अभी माननीय सदस्यों ने विरोधी दल के काफी कोटेशन दिये पहले जो खेर कमेटी बैठी थी उस कमेटी ने जो दूषण इनडाइरेक्ट इलेक्शन के बतलाये थे, उनकी तरफ निगाह इस सदन की दिलाई गई। उन्हीं तमाम त्रुटियों को देख कर माननीय मंत्री जी ने गत वर्ष यह विधेयक रखा था कि इनडाइरेक्ट इलेक्शन के बजाय डाइरेक्ट एलेक्शन हो। अगर पहले से खराबियां न होतीं तो उन्हें दूर करने की क्या जरूरत पड़ी थी? यह रखा गया था कि आम जनता अध्यक्ष के लिये वोट दे। तजुर्बे ने यह बताया कि अगर हम डाइरेक्ट एलेक्शन रखते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी में काम चल ही नहीं सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो अनुभव था वह यहां काम नहीं आया। जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स थे सब में कांग्रेस का बहुमत था। अध्यक्ष महोदय, और सदस्य भी उन्हीं के थे। इसलिये वहां यह संकट उपस्थित नहीं हुआ। परन्तु म्यूनिसिपैलिटी में यह संकट उपस्थित हो गया है। जो १२० के करीब म्यूनिसिपैलिटी में चुनाव हुये, कांग्रेस के अध्यक्ष क़रीब ४३ म्यूनिसिपैलिटीज में आये थे, बाकी में भिन्न-भिन्न दलों के अध्यक्ष चुने गये सदस्यों में भी यही हुआ

[श्री रतन लाल जैन]

कि अगर एक दल का अध्यक्ष है तो दूसरे दल का बहुमत हो गया। जब इस तरह की पोजीशन आयी तो बड़े असमंजस की अवस्था आ गई। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने रखा है कि ४३ म्युनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जिनकी परिस्थिति बड़ी डावांडोल है। वहां आज बहुमत अध्यक्ष के साथ नहीं है। कभी भी चेयरमैन हार सकते हैं। १८ म्यूनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जहां बजट ही नहीं पास हुआ, बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज हैं जहां अभी तक कमेटीज ही नहीं बनी हैं। जब यह परिस्थिति है तो क्या किया जाय। हमें केवल सिद्धान्त को ही नहीं देखना है बल्कि व्यावहारिकता को भी देखना है। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि प्रजातन्त्र की दो पद्धति हैं, डाइरेक्ट एलेक्शन भी है और इनडाइरेक्ट एलेक्शन भी है। एलेक्शन प्रजातन्त्र की जान है लेकिन यह बिल्कुल लाजिमी नहीं है कि वह डाइरेक्ट ही हो और इनडाइरेक्ट न हो। दोनों प्रजातन्त्र की पद्धतियां हैं लेकिन यह अवश्य है कि डाइरेक्ट एलेक्शन ज्यादा प्रजातान्त्रिक है बनिस्वत इनडाइरेक्ट एलेक्शन के। परन्तु यहां पर जो परिस्थिति आयी इसके द्वारा या तो आप अध्यक्ष को डिक्टेटर बना दें...

अधिष्ठाता—अब पांच बज चुके हैं। आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१३ दिसम्बर, १९५४

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर।)

हमीरपुर जिले में मत्स्य योजना के अन्तर्गत तालाबों की सूची

क्रम-संख्या	तालाबों के नाम	रकबा एकड़ में	तहसील	गांव
१	भंडारा चमरताला	५०	महोबा	भन्डारा
२	पसवारा झील	४०	,,	पसवारा
३	किदारी ताल	३१.२	,,	किदारी
४	वरा ताल	६.८८	,,	पहरा
५	वर्मा ताल	२०	महोबा	कवराई
६	चौधरी ताल	१३.२७	,,	कुलपहाड़
७	कैरा ताल	१५	चरखारी	बबरा
८	सतारी ताल	१३.१०	,,	सतारी
९	मोडेल तालाब	६६.७	महोबा	जलट
१०	वरा ताल	२१	चरखारी	अकथोहन
११	तेली पहारी	१५.७६	,,	तेली पहारी
१२	वरा ताल	१८.१९	,,	भुजरूजा
१३	बेन्दी ताल	१२.७६	,,	बन्दो
१४	गांव का ताल	६	,,	पनवारी
१५	मिथवा	२४	,,	अजेनेर
१६	वरा ताल	१९.८७	,,	पतोनाबाद
१७	सेला ताल	३२	,,	सेलामफ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर।)

प्रश्न संख्या २७ से सम्बन्धित सूची—

(१) बाढ़ की सूचना मिलते ही १५ बाढ़ सहायता केन्द्र खोले गये और ८० नावों का प्रबन्ध किया गया।

(२) सरकार ने बाढ़ तथा अहेतुक सहायता के लिये ३५,००० रु० स्वीकृत किया था। इस अनुदान में से २७,००० रु० मुफ्त सहायता तथा लोगों की बाढ़ के समय रक्षा आदि पर व्यय हुआ।

(३) जिले में तकावी के लिये कुल ४,४५,००० रु० स्वीकृत हुआ है। इसमें अभी तक २,९९,१३० रु० संकट कालीन तकावी तथा रबी के बीज के लिये खर्च हुआ है।

(४) बाढ़ क्षेत्र में ४ टेस्ट वर्क चल रहे हैं। टेस्ट वर्क के लिये १,००,००० रु० के स्वीकृत अनुदान में से अब तक लगभग २८,००० रु० व्यय हो चुका है।

(५) गरीबों को चना, गुड़, नमक, तेल और १,५०० गज कपड़ा मुफ्त बांटा गया।

(६) सरकारी पावनों की वसूली स्थगित कर दी गई। खरीफ की मालगुजारी में छूट भी नियमानुसार दी जायगी।

(७) सगड़ी तहसील के रौना पार क्षेत्र में और घोसी तहसील के मधुवन क्षेत्र में सूत कातने के केन्द्र खोले गये हैं। लोगों को इस कार्य के लिये चर्खे मुफ्त बांटे गये हैं।

(८) स्कूलों के ग़रीब लड़कों की फीस ५ महीने की माफ कर देने के आदेश दे दिये गये हैं।

(९) नदियों के कटाव से प्रभावित गांवों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृठ १३ पर ।)

सूची

(१) स्थायी नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के लिये स्वीकृत उम्मीदवार ।
(२) अवकाश प्राप्त नायब तहसीलदार या कानूनगो जो अस्थायी नायब तहसीलदार के पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहे थे, और अवकाश प्राप्त करते समय स्थाई नहीं बनाये गये थे ।
(३) सुपरवाइजर कानूनगो जिनका ऐमालनामा अच्छा रहा हो ।
(४) कोर्ट आफ वार्ड्स के सर्वराकार ।
(५) बन्दोवस्त के भूतपूर्व कर्मचारी जिन्होंने "फील्ड इन्सपेक्टर" या "सर्वे इक्सपर्ट" के पद पर काम किया हो और इस समय तहसील में "असिस्टेंट रजिस्ट्रार कानूनगो" अथवा कलेटरी में किसी अन्य पद पर काम कर रहे हों ।
(६) अवकाश प्राप्त "पार्टीशन इन्सपेक्टर" ।
(७) कृषि व ग्रामीण अर्थशास्त्र विषयों के ग्रेजुएट ।
(८) एम० एस०-सी० (कृषि शास्त्र)
(९) एम० ए० (ग्रामीण अर्थ शास्त्र) ।
(१०) एम० ए० (भूगोल) पैमाइश की अच्छी जानकारी सहित ।
(११) बी० एस०-सी० (कृषि शास्त्र) ।
(१२) बी० ए० अर्थशास्त्र अथवा भूगोल, पैमाइश की अच्छी जानकारी के सहित ।
(१३) एल०-एल० बी० ।

पी० एस० यू० पी०, ए० पी०--२४५ एल० ए०--१९५५--८०० ।